राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक १] तृतीय विधान सभा के प्रथम सत्र, १९६२ का ५९वां दिवस [संख्या ३७

बृहस्पतिवार, दिनांक १० मई, १९६२

विधान सभा की बैठक म. पू. ८ बज कर ७ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[गृह, वित्त, स्वायत्त शासन, विद्युत, चिकित्सा, पंचायत, जन-सम्पर्क, यातायात एवं सामुदायिक विकास–विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री बृजेन्द्रपाल !

ग्राम अरोदा, सब-तहसील मासलपुर में डकैती

५७१. श्री ब्रजेन्द्रपाल (करौली) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम अरोदा, सब-तहसील मासलपुर में दि० ३।४।६२ को डकती हुई जिसमें हरवंशराम के १७,०००) रुपये तथा चुन्नीराम और रामलाल के क्रमशः ५,०००) तथा ३,०००) रुपये का माल डकैत लूट कर ले गये ?

(२) क्या यह सही है कि डकैतों ने फायरिंग किया जिसके फलस्वरूप हरवंशराम के लड़के मनरूपलाल के पैर में छुर्रा लगा जिसको दिनांक १४।४।६२ को डी. एम. एच. ओ. करौली ने ऑपरेशन करके निकाला ?

(३) क्या यह सही है कि गांव वालों ने तीन व्यक्तियों; सर्व श्री करनसिंह, गांव देवरी व छुतर और पांचा गांव बल्लापुरा को डकैतों के रूप में पहिचाना और मौके की जांच के समय डीवाई. एस. पी., करौली को इस बात की सूचना दी ?

(४) क्या यह सही है कि पुलिस ने सस्पैक्ट्स को गिरफ्तार नहीं किया और इस मामले में भारी ढिलाई की ?

(५) डाकुओं को नहीं पकड़ने से, जबकि वह खुले आम आतंक फैला रहे हैं, गांववालों की जान व माल की भयपूर्ण आतंक की स्थिति को तुरन्त दूर करने की सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

Page No. 2

गृह मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) जी हां। यह सही है कि ग्राम अरोदा, थाना मासलपुर में ३-४-६२ को डकैती हुई, जिसमें श्री हरवंशलाल का १७,४२५) रुपये, श्री चुन्नीलाल का ४,६७३) रुपये तथा श्री रामलाल का ३,१५४।४। का माल डकैत लूट ले गये।

(२) जी हां। यह सही है कि डकैतों ने फायरिंग किया जिसके फलस्वरूप हरवंशलाल के लड़के मनरूपलाल के पैर में छर्रा लगा, जिसको १४-४-६२ को एम. ओ., अस्पताल करोली ने निकाला। एम. ओ. ने उसे एक धातु का टुकड़ा लिखा है।

(३) जी हां। यह सही है कि मुद्दई हरवंशलाल व उसके चचेरे भाई रामलाल ने ता० ४-५-६२ को डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, करोली गांव में मौके पर गये तब बतलाया कि उन्होंने करनसिंह सरपंच निवासी ग्राम देवरी व छतरसिंह व पंचनसिंह नि० ग्राम बल्लापुरा को डकैतों के रूप में ३-४-६२ को पहिचाना था। किन्तु इस बात का जिक्र एफ. आई. आर. व दूसरे दिन ४-४-६२ की तफतीश के समय नहीं किया।

(४) जी हां। यह सही है कि पुलिस ने उपरोक्त तीन व्यक्तियों के नाम लेने के बाद भी गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि उनका बयान तथ्यों पर आधारित नहीं पाया वरन् दुश्मनी के कारण उनके नाम लिये। श्री करनसिंह उसी गांव के सरपंच हैं और छतरसिंह व पंचनसिंह ने श्री करनसिंह की पिछले पंचायत चुनाव में मदद की थी और श्री करनसिंह श्री हरवंशलाल के विरुद्ध चुनाव में जीत गये।

दूसरे, उन तीनों व्यक्तियों को अरोदा ग्राम के सब लोग जानते-पहिचानते हैं; डकैती के तुरन्त बाद अन्य लोगों के साथ खेतों पर काम करते हुये वे भी मौके पर गये थे। यह मानने योग्य तथ्य नहीं हो सकता कि दिन के दो बजे प्रकट रूप से ये लोग डकैतों के साथ जाकर डाका डालते। अतएव उनके खिलाफ गिरफ्तारी के लिए उपयुक्त सबूत न होने के कारण गिरफ्तार नहीं किया गया।

(५) इस इलाके में एम. बी. सी. की तथा ए. पी. की आर्म्ड गार्ड गश्त कर रही है। तफतीश सरगर्मी से हो रही है। आतंक का आरोप निराधार है। तफतीश से मध्य प्रदेशीय दिद्दा व मक्खन ठाकुरों द्वारा इस डकैती का होना पाया गया है। पुलिस स्थिति से पूर्णतया सचेत है।

श्री ब्रजेन्द्रपाल : डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, करोली ने तफतीश कब की?

श्री मथुरादास माथुर : तफतीश तो एस. एच. ओ. ने की। डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के सामने यह बात रखी गई थी और एस. एच. ओ. ने जो तफतीश की उसमें यह बात नहीं पाई गई।

श्री ब्रजेन्द्रपाल : क्या डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस मौके पर गये थे?

श्री मथुरादास माथुर : उनको जाने की जरूरत नहीं थी, एस. एच. ओ. गये थे।

श्री ब्रजेन्द्रपाल : क्या यह सही है कि श्री करणसिंह को पचायत के प्रधान की सिफारिश से गिरफ्तार नहीं किया गया?

श्री मथुरादास माथुर : यह ठीक नहीं है।

श्री ब्रजेन्द्रपाल : क्या आपने इसकी जांच की है ?

श्री मथुरादास माथुर : प्रश्न में यह बात नहीं पूछी गई थी। जो प्रश्न में पूछा गया उसका उत्तर मैंने दिया है। लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि जांच की गई और जांच में यह पाया गया कि आपस में दुश्मनी के कारण उनके नाम लिये। इसके लिये मैंने पहले निवेदन किया है।

श्री ब्रजेन्द्रपाल : क्या इसकी जांच की जावेगी ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता हूँ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री दुर्गालाल।

राज्य में सांख्यिकी की संस्थाएं

५८२. **श्री दुर्गालाल बादृदार** (हवा-महल, जयपुर) : Will the Finance Minister be pleased to state:—

(1) Is it a fact that there are three independent Statistical Organisations in the State; viz.

(a) Directorate of Economics and and Statistics,

(b) Directorate of Economics and Industrial Surveys,

(c) Directorate of Valuation ?

(2) Is it a fact that the Directorate of Economics and Statistics has to keep a general supervision over all the information and has to deal with matters which are dealt particularly by other two branches ?

(3) Is it possible that the Government of Rajasthan can carry on with one Directorate as is generally done in other sister States like U. P., Bengal and Madhya Pradesh etc. and avoid a huge expenditure on the public exchequer ?

उप-मन्त्रिणी, अकाल सहायता (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) The following independent organisations exist in the State:—

(a) Directorate of Economics and Statistics,

(b) Directorate of economics and Industrial Survey, and

(c) Directorate of Evaluation.
But this Directorate cannot be categorised as a 'Statistical Organisation'.

(2) No.

(3) No. The Directorate of Economic and Industrial Survey is a purely temporary organisation. This organisation is entrusted with the task of conducting rapid economic surveys of 25 districts and intensive economic survey of one district, viz. Sawai-Madhopur district. It is expected

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

that these reports will be available to the Government by 1963-64.

The Directorate of Evaluation has been created with a view to assess and evaluate the working of important programmes of development and suggest suitable measures of effecting improvement. Even at the level of Government of India there is a Programme Evaluation Organisation which is separate and distinct from the Directorate of Economics and Statistics of the Government of India.

श्री दुर्गालाल बाड़दार : I have given the instances of some other Governments like U. P., Bengal and Madhya Pradesh. The system which is prevalent in those States, why could not that system be adopted by our State? It is a great expenditure of public exchequer.

श्रीमती कमला बेनीवाल : सुनाई नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष : किसी और राज्य में भी इस तरह की व्यवस्था है क्या ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : इसकी तो मैंने जांच नहीं की।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : मेरा प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट था और यही बात स्पष्टीकरण के लिये पूछी गई थी कि दूसरे राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था है क्या ?

श्री अध्यक्ष : जिस व्यवस्था के लिये आपने पूछा था अभी उस ही व्यवस्था को जारी रखना चाहते हैं, यह तो आपको बता दिया है।

श्री दुर्गालाल बाढदार : प्रश्न नम्बर ३ में मैंने साफ पूछा हैं; my question, Hon'ble Speaker, Sir, was very clear. इसका उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : उत्तर तो दिया गया है, 'No'.

श्री दुर्गालाल बाड़दार : मैंने प्रश्न पूछा उसका पूरा उत्तर नहीं आया है। रीज़न्स नहीं दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने रीज़न्स बता दिये हैं।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : क्या इसकी कम्पेरेटिव स्टडी आपके द्वारा की गई है ? क्या कम्पेरेटिव स्टडी का नतीजा....

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया अलग अलग काम तीनों विभागों के पास हैं। उनको एक करने के रीज़न्स महसूस नहीं होते। आपने यह नहीं पूछा कि अन्य स्टेटों में यह है ! अगर आपने पूछा होता तो मैं आपको जानकारी करके बता देती।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा।

जोधपुर में गन्दा नाला

५७३. श्री आनन्दसिंह कछवाहा

Page No. 5

(श्री आनन्दसिंह कछवाहा)

(जोधपुर-अ) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

क्या यह सही है कि तीन वर्ष पूर्व जोधपुर में केबिनेट द्वारा जोधपुर शहर में गन्दे नाले को ठीक करने के लिए कुछ धनराशि स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो कितना रुपया स्वीकृत किया गया ? क्या यह कार्य पूरा हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायगा ?

उप-मंत्री, स्वायत्तशासन (श्री दौलतराम सारण) : जी हां। गत तीन वर्ष पूर्व केबिनट द्वारा जोधपुर शहर में गन्दे नाले को ठीक करने हेतु २ लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई थी। यह कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है, क्योंकि इस कार्य के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा एस्टीमेट्स प्राप्त होने पर ज्ञात हुआ कि इस कार्य में तीन लाख रुपये की धनराशि की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है और यह कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जायगा।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : यह कब तक पूरा हो जावेगा ?

श्री दौलतराम सारण : अब जल्दी ही शुरु होकर पूरा होने की आशा है।

एक माननीय सदस्य : यह शुरु हुआ है या अभी तक शुरु ही नहीं हुआ है ?

श्री दौलतराम सारण : यह तो मैं अपने उत्तर में बता चुका हूं।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : जो धन राशि इसके लिए स्वीकृत हुई है वह सारी इसी काम के लिए खर्च होगी ?

श्री दौलतराम सारण : यह तो मान कर चलना चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या केबिनेट ने इसके लिए यह निर्णय भी लिया था कि यह काम म्युनिसिपेलिटी द्वारा होगा या सरकारी अन्य विभाग द्वारा होगा ?

श्री दौलतराम सारण : यह तो मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट बता दिया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५७४

श्री गोकुलचन्द।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट।

अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, जोधपुर

५७५. श्री आनन्दसिंह कछवाहा (जोधपुर-अ) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) जोधपुर शहर में अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट चलाने में प्रति वर्ष पिछले पांच वर्षों में कितना रुपया खर्च हुआ ?

(२) पिछले पांच वर्षों में भूमिहीनों के लिए कितने प्लॉट बनवाये व फरोख्त किये ?

(३) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर

Page No. 6

(श्री आनन्दसिंह कछवाहा)

में करीब दस हजार भूमिहीन लोग प्लॉट लेना चाहते हैं ? यदि हां, तो सरकार जल्द से जल्द भूमिहीनों के लिए प्लॉट अलॉट करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

(४) क्या सरकार अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, जोधपुर द्वारा जो प्लॉट बना कर देने की गति रही है उससे सन्तुष्ट है ? यदि नहीं, तो क्या विशेष प्रबन्ध करने के लिए सरकार सोच रही है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) जोधपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट १-११-६० से स्थापित हुआ है। अतः पिछले ५ वर्षों के खर्चे का प्रश्न ही नहीं उठता। गत वर्ष करीब ३०,०००) रुपया खर्च हुआ है।

(२) इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट स्थापित होने के पश्चात् ४५० प्लॉट्स बनवाये और उनमें से अब तक कोई प्लॉट फरोख्त नहीं किया गया। सरकार द्वारा स्वीकृति गत फरवरी मास में दे दी गई है और ट्रस्ट द्वारा वितरण शीघ्र शुरू कर दिया जायेगा।

(३) यह सही नहीं है कि १० हजार लोग प्लॉट लेना चाहते हैं, क्योंकि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को दिये गये आवेदन-पत्रों की संख्या कुल २,२०० है। विभिन्न-विभिन्न स्थानों में योजनाएं बनाई जा रही हैं और उनके पूर्ण होने पर १,८०० प्लॉट दिये जा सकेंगे।

(४) जी हां। क्योंकि प्रत्येक योजना को पूर्ण करने में समय लगता है।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : एक साल में ३० हजार रुपये खर्च हुए और ४०० प्लॉट्स बने। क्या सरकार इस कार्य से संतुष्ट है कि यह काम ठीक तरह से हो रहा है और जो खर्चा हो रहा है वह उचित है ?

श्री दौलतराम सारण : सारी बातों का उत्तर मैंने अपने प्रश्न के उत्तर में दे दिया है और स्थिति को देखते हुए कोई ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। काम ठीक हो रहा है।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : १० हजार आदमी प्लॉट मांग रहे हैं और आप उनको दे नहीं रहे हैं।

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया कि २,२०० ही प्रार्थना-पत्र आये हैं।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : १० हजार प्रार्थना-पत्र हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या आपके पास जो २,००० प्रार्थना-पत्रों की सूचना है वह अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की रिपोर्ट के अनुसार है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री जयनारायण।

निवाई में सस्ती बिजली

५७६. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) चम्बल योजना से जो बिजली निवाई में आनेवाली है वह कहां कहां होकर आ रही है और निवाई को कब तक मिल जावेगी ?

Page No. 7

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(२) क्या यह सही है कि यह बिजली सस्ती दी जायेगी ? यदि हां, तो किस रेट पर ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) चम्बल योजना से बिजली सवाई-माधोपुर से टोंक होती हुई निवाई जाएगी। निवाई में चम्बल की बिजली अगस्त १९६२ तक पहुंचने की आशा है।

(२) चम्बल क्षेत्र के लिए प्रोवीज़नल टेरिफ लागू हो चुकी है; उन्हीं रेट्स पर चम्बल की बिजली निवाई में दी जाएगी।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैंने प्रश्न नं० २ में रेट्स के बारे में पूछा है।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने कहा कि चम्बल क्षेत्र के लिए प्रोवीज़नल टेरिफ रेट पर मिलेगी।

श्री जयनारायण सालोदिया : इन रेट्स के बारे में जानकारी मिल सकती है ?

श्री हरिश्चन्द्र : पब्लिक रेट्स हैं। सबको जानकारी मिल सकती है।

प्रश्न संख्या ५७७

श्री अध्यक्ष : श्री मनफूलसिंह।

(अनुपस्थित)

खादी कार्यकर्त्ताओं की जमीन

५७८. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या नगर सुधार समिति ने खादी कार्यकर्त्ताओं के नाम से जयपुर में कोई जमीन ली है ? यदि हां, तो कितनी और कहां ?

(२) यह जमीन किसने किस किस को बांटी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) नगर सुधार समिति, जयपुर ने खादी कार्यकर्त्ताओं के नाम से कोई जमीन जयपुर में नहीं ली है, किन्तु १०६ खादी कार्यकर्त्ताओं को बजाजनगर में जमीन सरकार की आज्ञा से अवश्य दी गई है, जिसकी सूची सदन की मेज पर प्रश्न संख्या ६८ क्यू. बी. के उत्तर में रखी जा चुकी है।

(२) इसका उत्तर इस प्रश्न के भाग (१) में दिया जा चुका है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने १०६ कार्यकर्त्ताओं को प्लॉट्स अलॉट किये। क्या इस प्रकार के खादी कार्यकर्त्ताओं की संख्या १०६ ही थी या उनकी दर्ख्वास्तें ज्यादा थी ?

श्री दौलतराम सारण : जिन्होंने मांगी और जिनको आवश्यक समझा गया उनको दी गई।

श्री मुरलीधर व्यास : आवश्यकता का क्या आधार रखा ? दर्ख्वास्तें ज्यादा हों तो किस आधार पर दर्ख्वास्तों को मंजूर करके १०६ को ही प्लॉट्स अलॉट किये गये ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : इस पर पहले काफी बहस हो चुकी है।

Page No. 8

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या गवर्नमेन्ट ने एक एक को प्लॉट अलॉट किया....

श्री अध्यक्ष : यह तो आप लिस्ट में देख सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं गवर्नमेन्ट से पूछ रहा हूँ।

गवर्नमेन्ट ने एक एक नाम पर प्लॉट अलॉट किये हैं या आपस में अलॉट करने के लिए जमीन दे दी थी कि वे आपस में अलॉट कर लें ?

श्री अध्यक्ष:सरकार ने जो आज्ञा भेजी थी वह यह भेजी थी कि इनको प्लॉट दिये जावें ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, यह भी मालूम होना चाहिये कि कितनों की एप्लीकेशन्स नामंजूर हुई और कुल कितनी एप्लीकेशन्स आई ?

श्री अध्यक्ष : सरकार के इन्डिविजुअल ऑर्डर्स होने चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : नहीं हैं।

श्री दौलतराम सारण : यह सूचना तो अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इस समय नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : ये अलॉटमेन्ट अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट एक्ट के मातहत किये हैं या दूसरे एक्ट के मातहत ?

श्री दौलतराम सारण : अलॉटमेन्ट जो किये हैं वे गवर्नमेन्ट ने किये हैं।

श्री भैरोंसिंह : वह तो ठीक है।

श्री अध्यक्ष : ट्रस्ट ने अलॉटमेन्ट किये हैं और आपने कहा है कि उनको दे दीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या इलेक्शन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट एक्ट के तहत ये अलॉटमेन्ट किये हैं।

गृह मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेम्बर्स एक्ट के अन्तर्गत।

श्री भैरोंसिंह : किस कानून को एक्सरसाइज़ करके आपने ये अलॉटमेन्ट किये हैं ? कौनसा कानून लागू किया गया ?

श्री अध्यक्ष : यह कानूनी दृष्टिकोण भी ठीक है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा यह क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेन्ट है।

श्री अध्यक्ष : वे जरा सोच लें।

श्री मुरलीधर व्यास : प्रश्न १ में यह है क्या सरकार ने खादी कार्यकर्ताओं के नाम से इस प्रकार जमीन दी है ? आपने कहा कि १०६ को दी है। एक आदमी को दी है या अलग अलग दी है; इसका स्पष्ट तौर पर उत्तर नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष : यही आप फिर दोहरा रहे हैं। यही भैरोंसिंहजी ने कहा था।

श्री मुरलीधर व्यास : १०६ को अलग अलग दिये गये हैं प्लॉट्स या एक एक को दिये हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री हरिराम !

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि गवर्नमेन्ट को अलॉटमेन्ट करने के पॉवर्स नहीं हैं ?

श्री अध्यक्ष : अलॉटमेन्ट तो ट्रस्ट ने किये हैं।

श्री भैरोंसिंह : ट्रस्ट को तो पॉवर्स नहीं हैं।

श्री दौलतराम सारण : इस प्रश्न को कानूनी तौर पर फिर जांच करवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिराम !

सड़क निर्माण

५७६. श्री हरिराम चौहान (तिजारा) [श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) द्वारा पूछा गया] : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि तहसील तिजारा से कोटकासिम होती हुई रेवाड़ी जाने वाली सड़क केवल ८ मील कच्ची है ?

(ख) क्या यह सही है कि पंजाब सरकार ने रेवाड़ी से राजस्थान की सीमा तक पक्की सड़क बनवा दी है ?

(ग) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार इस टुकड़े को पक्का करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जावेगा ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री-भवानीशंकर नन्दवाना) : (क) १६॥ मील कच्ची है।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां। आशा है, यह कार्य तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ होकर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ के वर्ष में।

श्री अध्यक्ष : अब के काफी डेफिनिट उत्तर दिया है।

(विराम)

श्री रघुनाथ बिश्नोई।

जालोर जिले में डॉक्टर और अन्य स्टाफ

५८०. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि जिला जालोर में सब डिस्पेन्सरियों में पूरे डॉक्टर कभी नहीं भेजे गये हैं और इससे जन साधारण को बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है ?

(२) जिला जालोर में सब अस्पतालों में तथा प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स को मिला कर कुल कितने डॉक्टरों की स्ट्रेन्थ है ? उसमें अब कितने डॉक्टर कम हैं ? उस कमी को सरकार कब तक पूरा कर देगी ?

(३) जालोर जनाना अस्पताल में कितने फीमेल डॉक्टर्स की कमी है और उस कमी को कब तक पूरा कर दिया जावेगा ?

(४) पंचायत समिति, सांचोर में चीतलवाना प्राइमरी हैल्थ सेन्टर में पूरे डॉक्टर

Page No. 10

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

व अन्य स्टाफ सरकार कब तक भेजने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्रिणी, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी नहीं।

(२) जिला जालोर के अस्पताल, डिस्पेन्सरियों एवं प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्रों में कुल २० डॉक्टरों के स्थान स्वीकृत हैं जिनमें से ५ डॉक्टरों के स्थान रिक्त हैं। यह कमी डॉक्टरों के उपलब्ध होने पर ही पूरी की जा सकेगी।

(३) जालोर जिले में कोई जनाना-अस्पताल नहीं है। केवल जालोर अस्पताल में ५ डॉक्टरों के स्थान रिक्त हैं, जिनमें से एक लेडी डॉक्टर भेजने का आयोजन है। परन्तु लेडी डॉक्टरों की कमी के कारण अभी नियुक्ति नहीं की जा सकी है। उपलब्ध होते ही नियुक्ति कर दी जायेगी।

(४) प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र, चीतलवाना में डॉक्टर तो है ही, अन्य स्टाफ जैसे कि मिडवाइफ, लेडी हैल्थ विजीटर और सेनिटरी इन्सपेक्टर जैसे ही उपलब्ध होंगे भेज दिये जायेंगे।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह काम कब तक पूरा करने की संभावना है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : ज्यों ही मिलते ही।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह बतायें कि जालोर में जनाना अस्पताल है वहां पर पहले जब अस्पताल बना था तो लेडी डॉक्टर थी लेकिन उसकी मृत्यु हो गई और तब से कोई लेडी डॉक्टर वहां पर नहीं भेजी गई है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जैसा आपको बताया गया है कि लेडी डॉक्टर के मिलते ही भेज दी जायेगी।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : पाली में ६ तो क्या २४ डॉक्टर हैं। जालोर में ६ की आवश्यकता होते हुए भी वहां नहीं भेजे जा रहे हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : पाली में ६ हैं और जालोर में ५ हैं।

श्री भगराज चौधरी : पाली भी २६ बेड का अस्पताल है और जालोर में भी है तो पाली से क्यों नहीं हटा कर वहां भेजा जाता है।

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बरकतुल्लाखां) : रेशनलाइज़ेशन-वे में एडजस्टमेन्ट करने की बात सोच रहे हैं। जिस जिले में अधिक हैं वहां से हटा कर दूसरी जगह उनको पोस्ट कर दिया जायगा।

श्री मुकुटविहारीलाल गोयल (बयाना): पाली में २४ बता रहे हैं।

श्री बरकतुल्लाखां : पाली में २४ नहीं हैं, यह मैं यकीन से कह सकता हूं। जहां अधिक डॉक्टर हैं तो वहां से हटा कर जालोर भेज दिये जायेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : २८ डॉक्टर हैं क्या ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : पाली में कितने डॉक्टर है वास्तव में ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न जालोर का है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जालोर है तो उसमें कुल कितने हैं ?

श्री अध्यक्ष : बताया कि पांच हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर कितने रहने चाहिये, यह पूछा है ?

श्री अध्यक्ष : जिला भर का प्रश्न है। २० में से ५ डॉक्टरों की कमी बतायी है।

श्री भगराज।

श्री भगराज चौधरी : हालांकि यह प्रश्न जालोर से सम्बन्धित है, लेकिन जनता द्वारा डॉक्टरों की मांग की जाती है तो सरकार यह कहती है कि कमी होने के कारण अमुक स्थान पर डॉक्टर नहीं देते हैं। सरकार को यह तो मालूम होना चाहिये कि कहां कहाँ पर डॉक्टर्स अधिक हैं और कहां से पूर्ति की जा सकती है।

श्री बरकतुल्लाखां : मैं यकीन के साथ कहता हूं कि जो इन्फोर्मेशन दी गई है वह बिल्कुल सही है।

श्री अध्यक्ष : (श्री गिरधारीलाल व्यास के खड़े होने पर) यह तो पाली का हुआ और आप भीलवाड़ा के लिए पूछेंगे ?

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : मैं तो जनरल सवाल पूछता हूं।

डॉक्टर शहरों में अधिक रहना पसन्द करते हैं और गांवों में कम। इसलिए शहरों के अस्पतालों में स्ट्रेन्थ से भी अधिक डॉक्टर्स हैं और गांवों में इसीलिए नहीं पहुंच पाते हैं।....

श्री बरकतुल्लाखां : शुरू में डॉक्टर्स को कम्पल्सरीली दो साल के लिए तो रूरल एरिया में रहना पड़ता है। यह बायर्स मार्केट नहीं है सेलर्स मार्केट है। डॉक्टर्स अपनी बात को मनवाने में कामयाब हो जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों का कहना यह है कि जो कमी है वह प्रोप्रोर्शनेटली क्यों नहीं भरी जाती है ?

श्री बरकतुल्लाखां : कोशिश यह की जा रही है कि रेशनलाइज़ेशन जो कि करने जा रहे हैं उसके अन्तर्गत सब जगह भरो जावें और पहुंचाये जायं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चून्डावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है। राज्य भर में डॉक्टरों की कमी है वह कब पूरी कर दी जावेगी ?

श्री अध्यक्ष : और कितनी कमी है ?

श्री बरकतुल्लाखां : ४०० के लगभग कमी है।

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पतलाल।

डेपुटेशन पर भेजे गये अधिकारीगण

५८१. **श्री सम्पतलाल बोहरा (मावली)** : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No. 12

(श्री सम्पतलाल बोहरा)

(१) कितने अधिकारीगण पंचायत समितियों में डेपुटेशन पर भेजे थे तथा उनकी अवधि क्या थी ?

(२) डेपुटेशन पर भेजे हुए ऑफिसर्स में से कितने लोग वापिस राजकीय सेवा में आने को इच्छुक हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(३) क्या सरकार कोई ऐसा नियम बनाने का विचार कर रही है जिससे उनकी सेवायें पंचायत समितियों में ही स्थायी रह जायं और वे राजकीय सेवा में न आ सकें ?

उप-मन्त्री, पंचायत (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) १,६१७ अधिकारी। उनकी अवधि दो साल की थी।

(२) कोई भी नहीं।

(३) जी नहीं।

श्री सम्पतलाल बोहरा : सुनाई नहीं दिया। भाग तीन के बारे में फिर से बताया जाय।

पंचायत मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : उसका उत्तर दे दिया कि 'जी नहीं।'

श्री अध्यक्ष : आप अपना उत्तर वापिस पढ़ दें।

श्री दौलतराम सारण : मैंने तो पढ़ा नहीं, उन्होंने पढ़ा है।

श्री दिनेशराय डांगी : I think it is a malpractice to speak again on the mike.

श्री अध्यक्ष : आपको प्रेक्टिस करवा रहे हैं।

श्री दिनेशराय डांगी : कानों में दवाई डलवा कर आवें।

(१) १,६१७ अधिकारी। उनकी अवधि दो साल की थी।

(२) कोई भी नहीं।

(३) जी नहीं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : जो अधिकारीगण पंचायत समिति से वापिस पेरेन्ट डिपार्टमेन्ट में आना चाहते हैं उस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

श्री दिनेशराय डांगी : वापिस आने का सवाल नहीं, वे ऑलरेडी राजकीय सेवा में ही हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या आप पंचायत समिति की सेवा को राजकीय सेवा मानते हैं ?

श्री दिनेशराय डांगी : डेपुटेशन पर जो भेजे गये हैं वे राजकीय सेवा में ही हैं। वे केवल पंचायत समितियों के नियन्त्रण में कार्य कर रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जो अपने पेरेन्ट डिपार्टमेन्ट में आना चाहते हैं उनके बारे में सरकार के क्या विचार हैं ?

श्री दिनेशराय डांगी : कोई नहीं आना चाहता।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अगर उन लोगों को वापिस लेने का सवाल नहीं है तो उनको उसी स्थान पर स्थायी रूप से नियुक्त क्यों नहीं कर दिया जाता ?

श्री दिनेशराय डांगी : फॉर एक्ज़ाम्पल एग्रीकल्चर एकसटेन्शन ऑफिसर होते हैं, यह पोस्ट ऐसी है जिसका काम पंचायत समितियों में ही होता है इनको वहां काम करना पड़ता है ।

श्री विजयसिंह झाला : टैक्निकल पोस्ट का सवाल नहीं है, प्राइमरी स्कूल्स के टीचर्स हैं जो मिडिल स्कूल में जाना चाहते हैं वे क्या नहीं जा सकते ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जैसा कि उत्तर में बताया गया है दो तरह के लोग हैं; कुछ तो पंचायत समिति सर्विस के लोग हैं, टीचर्स वगैरह; इसके अलावा कुछ ऑफिसर्स हैं जो डेपुटेशन पर हैं। वे ऑफिसर्स दो साल के लिये भेजे गये हैं । उनमें से कोई आदमी सरप्लस होता है ट्रान्सफरेबल पोस्ट्स हैं, इधर उधर ट्रान्सफर करते रहते हैं । उनकी ऐसी कोई डिमान्ड नहीं है कि हमें जल्दी से पंचायत समिति से हटा लिया जाय ।

श्री विजयसिंह झाला : जब माननीय उप-मन्त्री ने यह कहा कि इनको वापिस लेने का प्रश्न ही नहीं उठता, ऐसी हालत में उनको वहीं पर स्थायी रूप से नियुक्त क्यों नहीं कर दिया जाता ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उनका कहना यह था कि जो परमानेन्ट सर्विस में हैं उनका प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री विजयसिंह झाला : प्रश्न भाग तीन के उत्तर में मन्त्री महोदय ने कहा, "जी नहीं" और जब यह पूछा गया कि वापिस डिपार्टमेन्ट में जाना चाहते हैं, उस पर उन्होंने कहा कि "प्रश्न ही नहीं उठता ?" आखिर कौन सी बात सही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : "प्रश्न ही नहीं उठता" यह जवाब में है ही नहीं ।

शपथ-ग्रहण

५८३. श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या टोडारायसिंह नगरपालिका के सदस्यों ने शपथ ग्रहण कर ली है ?

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : नगरपालिका का चुनाव अभी नहीं हुआ है । इसलिए शपथ का प्रश्न ही नहीं उठता । यहां पर धारा २६३ म्युनिसिपल एक्ट के अन्तर्गत एक कमेटी कार्य कर रही है ।

श्री अब्दुलजब्बार : क्या जो कमेटी कार्य कर रही है उस कमेटी के मेम्बरान ने शपथ-ग्रहण कर ली है ?

श्री दौलतराम सारण : यह मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : चाहे म्युनिसिपल कमेटी के नोमिनेटेड मेम्बर हों या इलेक्टेड; दोनों हालतों में पहले शपथ ग्रहण करनी होती है, उसके बाद वे कार्य कर सकते हैं टाउन म्युनिसिपैलिटी एक्ट के अनुसार ।

श्री दौलतराम सारण : कौन सी धारा के अनुसार ।

श्री भैरोंसिंह : धारा ७ के द्वारा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : What the Minister has to say now ?

सड़क निर्माण

५८३. श्री लक्ष्मीचन्द (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) क्या यह सही है कि बारां से मांगरोल वाया बबोरी कलां सूरथाग बस चलती है ?

(२) क्या यह सही है कि मांगरोल से सूरथाग तक सड़क कच्ची है ?

(३) क्या यह सही है कि इस सड़क की मन्जूरी पहली व दूसरी योजना में पक्की बनने की हो चुकी थी ?

(४) यदि हां, तो यह सड़क क्यों नहीं बनी और अब कब तक बन जायेगी ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां ।

(२) जी हां ।

(३) जी नहीं ।

(४) चतुर्थ योजना तक ।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या सरकार इस सड़क को पक्की बनायेगी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : चतुर्थ योजना में विचार कर सकते हैं ।

श्री दुर्गालाल बादृदार (हवामहल, जयपुर) : सारी योजनायें ही चतुर्थ में क्यों नहीं रख दी जाती ।

श्री अध्यक्ष : पांचवीं तक भी पहुंचेगी ।

सांचोर में गोचर भूमि का कब्जा

५८४. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सच है कि रेवेन्यू विभाग ने गोचर भूमि का वास्तविक कब्जा तहसील सांचोर में पंचायतों के सुपुर्द नहीं किया है ? अगर हां, तो क्यों ? अगर दिया गया है तो किन किन पंचायतों को गोचर जमीन का कब्जा कब कब सौंपा गया ? सूची सदन की मेज पर रखी जाय ।

(२) क्या यह सच है कि तहसील सांचोर में पंचायतों को पटवारियों ने गोचर जमीन की कोई सूचना नहीं दी है और न ही कब्जा सौंपा है ?

(३) क्या यह सच है कि गोचर जमीन के नियन्त्रण के लिये तहसील सांचोर में पटवारी लोग पंचायतों के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं ?

(४) क्या सरकार पंचायतों की गोचर जमीन पर नाजायज़ कब्जा करने पर जुर्माना वसूल करने का अधिकार देने का विचार रखती है ?

Page No. 15

उप-मंत्री, पंचायत (श्री दिनेशराय डांगी): (१) जी नहीं।

(२) गोचर भूमि का कब्जा जिन पंचायतों को सौंप दिया गया है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) जी नहीं। उनका पूर्ण सहयोग है।

(४) सरकार पंचायतों को ऐसा अधिकार देने का विचार नहीं रखती है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अगर पटवारियों का सहयोग है तो पांच पांच साल से जिनका कब्जा है, पक्के मकानात बने हुए हैं लेकिन ट्रेसपासर के जरिये से हटाये जा रहे हैं ? पटवारी पांच साल से चुप रहे।

श्री दिनेशराय डांगी : ऐसी मेरी जानकारी नहीं है। माननीय सदस्य शिकायत लिखवा कर भिजवा दें।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : रेवेन्यू विभाग द्वारा, हर पंचायत का कितना बीघा रकबा है; क्यों इसके लिये नक्शे में दिया हुआ है ?

श्री दिनेशराय डांगी : यह अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : सूची आपको मिली हुई है उसमें दर्ज है कि कितना बीघा ट्रान्सफर कर दिया गया। जितना ट्रान्सफर हुआ उतनी लिस्ट दी है।

प्रश्न संख्या ५८५

श्री अध्यक्ष : श्री अमृतलाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५८६

श्री सतीशकुमार।

(अनुपस्थित)

निवाई कस्बे का शफाखाना

५८७. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि निवाई कस्बे के शफाखाने में दवाओं के अभाव से जनता परेशान है व मामूली दवाई भी मरीज को बाजार से खरीदनी पड़ती है ? यदि नहीं, तो कितने रुपये सालाना की दवाई उक्त शफाखाने को भेजी जाती है ?

(२) क्या यह सही है कि वहां जच्चाखाना न होने से आसपास की करीब बीस, बीस मील की जनता परेशान है और अधिकतर केस जच्चाखाने के अभाव में बिगड़ जाते हैं ?

(३) क्या सरकार वहां शीघ्र जच्चाखाना खोलना चाहती है ? अगर हां, तो कब तक ?

उप मन्त्रिणी, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

(३) मूल आधारों पर 'ए' श्रेणी का अस्पताल होना चाहिये था; हिन्डौन शहर पर लागू नहीं होता। ३०० या ३०० से अधिक रोग-शय्याओं वाले अस्पताल 'ए' श्रेणी में लिये जाते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने भाग दो का उत्तर क्या दिया ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

श्री जयनारायण सालोदिया : अध्यक्ष महोदय, वहां जच्चाखाना खोलना बहुत आवश्यक है। इसके बिना केस खराब हो जाते हैं। सरकार की तरफ से उत्तर दिया जाता है कि 'प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता' ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या वहां जच्चाखाने की आवश्यकता इसलिए समझी नहीं जाती कि वहां बच्चे पैदा ही नहीं होते ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : जच्चाखाना खोलने की सरकार वहां आवश्यकता क्यों नहीं समझती ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बरकतुल्लाखां) : बच्चे सभी जगह पैदा होते हैं इसलिए सभी जगह जच्चाखाना खोलना मुमकिन नहीं है ।

श्री दुर्गालाल बाढदार : जच्चाखाना के अभाव से वहां केसेज़ डिलीवरी के खराब हो जाते हैं, क्या इस तरफ राज्य सरकार विचार कर रही है ?

यह उत्तर नहीं हो सकता कि, "यह प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता;" इस बारे में राज्य सरकार को विचार करना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : इस कार्य के लिए वहां क्या व्यवस्था है ? वहां क्या एक मिडवाइफ काम कर रही है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी हां ।

श्री अध्यक्ष : सरकार की ओर से क्या व्यवस्था है इस कार्य के लिए ? हमारे पास जो प्रश्न का उत्तर आया है उसके भाग दो में कहा गया है "जी नहीं" । इस डिस्पेन्सरी में ६ रोग शय्यायें स्वीकृत हैं, जिसमें एक मिड-वाइफ भी कार्य कर रही है । अब क्या परि-स्थिति है ?

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : यह प्रश्न वैसे तो स्थानीय है लेकिन जनरल प्रश्न की पूर्ति करता है, इसका हल निकाला जाना चाहिये ।

श्री जयनारायण सालोदिया : आखिर कौनसा उत्तर सही माना जाय ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आखिर उत्तर कौनसा सही माना जाय ? उप-मंत्रिणीजी ने दिया है वह सही माना जाय या अभी आपने पढ़ कर सुनाया है उसे सही माना जाय ?

श्री अध्यक्ष : इसके बावजूद भी वे कह रही हैं कि प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

थाना आवां गांधीग्राम, तहसील देवली में दायर हुए मुकदमे

५८८. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि मुकदमा नं० १२, सन् १९६० तहत जुर्म दफा ३७८।४४८ ता० हिं० व मुकदमा नं० १ तहत दफा ३७८ ता० हिं०, सन् १९६१ थाना आवां गांधीग्राम, तहसील देवली में दायर हुए थे? अगर हां,

Page No. 17

(श्री दिग्विजयसिंह)

तो किसके खिलाफ और क्या वह चालान हो गये ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त मुकदमों में पुलिस ने कई गिरफ्तारियां की थीं ? अगर हां, तो किस किस की ?

(३) क्या यह सही है कि इन मुकदमात में माल पकड़ा गया था ? अगर हां, तो किस जगह और किस ऑफिसर द्वारा और क्या क्या माल था ?

(४) क्या यह सही है कि जिस ऑफिसर ने माल-मुलजिम गिरफ्तार किया वह ऑफिसर उसी जगह पर है और ये केसेज़ उसी के पास हैं ? अगर नहीं, तो उसका तबादला कहां हुआ और कब तथा उस जगह उसका पोस्टिंग कब हुआ था ? इन केसेज़ की तफतीश कौन कर रहा है ?

गृह मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) जी हां। मुकदमा नं० १२, सन् १९६० सुक्खा, रामा, सुखदेव आदि ६ चमारों के विरुद्ध था व मुकदमा नं० १, सन् १९६१, १० चमारों के विरुद्ध था। मुकदमा नं० १२ जेर दफा ३७९।४४७ ता० हिं० व मुकदमा नं० १ जेर दफा ३७९ ता० हिं० के अन्तर्गत दर्ज किये गये। जांच पूर्ण न होने से इन मुकदमों का न्यायालय में चालान अभी नहीं किया गया है।

(२) इन मुकदमों में की गई गिरफ्तारियों का विवरण इस प्रकार है :

(क) मुकदमा नं० १२ में निम्नलिखित १६ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया :—

१. ओंकार, २. किशोरी, ३. काना, ४. छोटा, ५. रामा, ६. सुक्खा, ७. कालू, ८. छीतर, ९. सांवला, १०. गोरिया, ११. सेडू, १२. देविया, १३. लालिया, १४. कालिया, १५. कजोड़, १६. ग्यारसा।

(ख) मुकदमा नं० १ में निम्नलिखित ११ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया :

१. रामा, २. लादू ३. किशोर, ४. देवा, ५. कान्हा, ६. ओंकार, ७. कालू ८. मोरू, ९. दामोदर, १०. सुक्खा, ११. भंवरलाल।

(३) जी हां। एच. सी. श्री मोहम्मद इब्राहीम ने श्री जवाहरा जाट के खेत में कटी हुई ज्वार को पुलिस के कब्जे में ले लिया।

(४) इन मुकदमों की जांच आरम्भ में थाना आंवां के एस. एच. ओ. श्री इन्द्रदेव ने की जो वहां दिनांक २४-३-६१ से तैनात थे। मुलजिमान की गिरफ्तारी उनके द्वारा की गई व उनके आदेशानुसार माल को पुलिस के कब्जे में श्री मोहम्मद इब्राहीम एच. सी. ने लिया। श्री इन्द्रदेव दिनांक १२-५-६१ से ४ माह के अवकाश पर रहे व तदनन्तर उसका स्थानान्तर पुलिस लाइन्स, टोंक में हो गया। इन मुकदमों की जांच मालपुरा के डी.एस.पी. द्वारा की जा रही है। श्री इन्द्रदेव के बाद जांच कार्य उनियारा के सी. आई. श्री जगन्नाथ-प्रसाद के पास रहा। उनका उनियारा में पद स्थानापन्न दिनांक २७-७-६० को हुआ और वे अभी वहीं हैं। अब इन मुकदमों की जांच मालपुरा के डी. एस. पी. द्वारा की जा रही है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : यहां कुल कितना माल बरामद हुआ ?

श्री मथुरादास माथुर : वही जवार बरामद हुई थी।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : जवार की शनाख्तगी की कार्यवाही हुई है ?

श्री मथुरादास माथुर : जवार की शनाख्तगी होती नहीं।

प्रश्न संख्या ५८६

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशकुमार।

(अनुपस्थित)

गंगानगर म्युनिसिपेलिटी के चुनाव

५६०. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) म्युनिसिपेलिटी, गंगानगर के पिछले चुनाव कब हुए थे ?

(२) उक्त म्युनिसिपल कौन्सिल एडमिनिस्ट्रेटर के तहत कितने अर्से से है ?

(३) म्युनिसिपल कौन्सिल के द्वारा चुनाव कराने के बारे में सरकार की क्या योजना है ?

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलत राम सारण) : (१) दिनांक २-७-१६५६ को।

(२) म्युनिसिपल बोर्ड, गंगानगर में १६-१२-५६ से एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हैं।

(३) गंगानगर नगरपालिका की सीमा के विस्तार का प्रश्न विचाराधीन है। इसके निर्णय के बाद चुनाव की कार्यवाही शुरू की जायगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

पक्की सड़क-निर्माण

५६१. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या मालाखेड़ा से पृथ्वीपुरा और बालेटा तक पक्की सड़क बनाने की योजना सरकार ने स्वीकार कर ली है ?

(२) यदि हां, तो क्या इस सड़क को बनाने का ठेका दिया गया है ?

(३) इस सड़क का निर्माण कितने अर्से में पूर्ण होने की सम्भावना है ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही नहीं है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में मालाखेड़ा से पृथ्वीपुरा और बालेटा तक सड़क बनाना पहले मन्जूर हुआ था फिर किसी प्रेशर की वजह से उसे काट दिया गया ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी—नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री महोदय जानकारी करके पता लगायें कि इसको डाइवर्ट करके पृथ्वीपुरा से पाण्डुपोल तक कर दिया गया, क्या यह सही नहीं है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी नहीं। मैंने पता लगा कर ही जवाब दिया है।

विकास प्रदर्शनियां

५६२. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल जयपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) क्या यह सही है कि सन् १६६१-६२ में संचालक, सार्वजनिक सम्पर्क विभाग द्वारा विकास प्रदर्शनियां की गई थी ? यदि हां, तो कहां कहां, कब कब और कितने कितने दिनों तक ?

(२) इन प्रदर्शनियों में कितने कितने खर्चे की स्वीकृति थी और वास्तव में कितना कितना खर्चा हुआ ? यदि अधिक हुआ तो कितना कितना और किस स्वीकृति से ?

(३) क्या यह सही है कि ऐसी विकास प्रदर्शनियां इससे पहले भी हुई हैं ? यदि हां, तो कृपया यह बताया जावे कि पिछले ४ वर्षों में ये प्रदर्शनियां कब कब और कहां कहां हुई और उन पर क्या क्या खर्चा हुआ ?

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) जी हां। १६६१.६२ वित्तीय वर्ष में पांच स्थानों पर विकास प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। ये प्रदर्शनियां निम्न-लिखित स्थानों पर उनके आगे अंकित अवधि अनुसार आयोजित की गई

१. कलकत्ता-दिनांक अवधि
   २४. १२.६१ से ३१.१२.
   ६१ ८ दिवस

२. उदयपुर-दिनांक
   ८. १. ६२ से २३. १.
   ६२ १६ दिवस

३. कोटा-दिनांक
   १०. १. ६२ से २२.१.
   ६२ १३ दिवस

४. जोधपुर-दिनांक
   २८.१.६२ से ११.२.
   ६२ १५ दिवस

५. बीकानेर-दिनांक १.२.
   ६२ से १५.२.
   ६२ १५ दिवस

(२) इन प्रदर्शनियों के लिए कुल राशि ३,३०,०००) रु० की स्वीकृति दी गई जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :

स्थान	स्वीकृत राशि
१. कलकत्ता	रु० ५०,०००.००
२. उदयपुर	रु० ७५,०००.००
३. कोटा	रु० २५,०००.००
४. जोधपुर	रु० ७५,०००.००
५. बीकानेर	रु० ५०,०००.००

इन प्रदर्शनियों में से कलकत्ता प्रदर्शनी पर रु० २४,७५१. १६ नये पैसे अब तक व्यय हुए हैं। अतएव इसके बारे में अधिक खर्च का प्रश्न नहीं उठता। बाकी चारों प्रदर्शनियों का हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है। हिसाब पूरा होने पर इनके बारे में अन्तिम स्थिति मालूम हो सकेगी।

(श्री मथुरादास माथुर)

(३) जी हां। इस प्रकार की प्रदर्शनियां पहले भी राजस्थान में सन् १९५६-१९५७ व १९५८ में जयपुर में आयोजित की गई थी। उन पर क्रमशः ४४,०३५. ३७ न. पै., ६४, ६३५. ०६ न. पै., २,५५,६८४.३३ न. पै. खर्च हुआ था।

श्री भैरोंसिंह : यह आपने अलग अलग स्थानों के लिए अलग अलग जो धन-राशि स्वीकृत हुई वह बतायी उसका हिसाब-खर्चे का अकाउन्ट आया या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : कलकत्ते के अकाउन्ट्स आ गये हैं; जैसा कि जवाब में कहा गया है बाकी के अकाउन्ट्स कम्प्लीट नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : जनरल फाइनेन्शियल रूल्स के अन्तर्गत प्रदर्शनी के खत्म होते ही उनका हिसाब पेश किया जाना चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर : जनरल फाइनेन्शियल रूल्स के अनुसार जो एडवान्सेज़ दिये जाते हैं उनका हिसाब पेश हो जाना चाहिये, वह हिसाब पेश हो चुका है।

भैरोंसिंह : कुल कितनी प्रदर्शनियों के खर्चे का हिसाब आना बाकी है ?

श्री मथुरादास माथुर : तीन प्रदर्शनियों का नहीं आया है।

श्री भैरोंसिंह : इनका हिसाब नहीं आने का क्या कारण है ?

श्री मथुरादास माथुर : रूल्स इतना ही कहते हैं कि एडवान्सेज़ दिये जावें उनका अकाउन्ट एक महीने में आ जाना चाहिए। पर जो एक्सपेन्डीचर जनरल हुआ है उसका हिसाब बाकी है, कुछ प्राइवेट पार्टियों के बिल हैं वे भी पेन्डिंग हैं। अभी उनका फाइनल अकाउन्ट नहीं हुआ है, इसलिए नहीं रख सके हैं।

श्री भैरोंसिंह : फाइनेन्शियल रूल्स के अनुसार गत वर्ष का खर्चा गत वर्ष की समाप्ति तक पेश होना चाहिये और उसके बेसिस पर ही रकम ड्रॉ की जानी चाहिये; क्या यह सही नहीं है ?

श्री मथुरादास माथुर : ऑर्डिनरिली।

श्री भैरोंसिंह : जो रूल्स के अनुसार है, उसमें ऑर्डिनरिली और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरिली का क्या सवाल है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या बात है ?

श्री मथुरादास माथुर : यह नुमाइश फरवरी के अन्त तक खत्म हुई और मार्च के अन्त में फाइनेन्शियल ईयर खत्म हो जाता है। अब जो एडवान्सेज़ दिये उनका हिसाब तो आ गया; बाकी बिल कुछ आये, कुछ नहीं आये कन्ट्राक्टरों के। वगैरह के. इसलिए जो उस ईयर में आ गये उनका तो भुगतान उस ईयर के अमाउन्ट से हो गया। अब बाकी का पेमेन्ट इस साल के बजट से होगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो अमाउन्ट सेक्शन्ड था वह सब खर्च हो चुका और अभी खर्चे का हिसाब और भी आना बाकी है ?

श्री अध्यक्ष : यह तो वे कह चुके हैं।

Page No. 21

श्री मथुरादास माथुर : कलकत्ते का तो कोई प्रश्न नहीं है; बाकी रहा एडवान्सेज़ का रुपया, वह पूरा आ चुका। अब इस एग्ज़ीबिशन का बाकी का हिसाब अभी आया नहीं इसलिये तसल्ली से नहीं कह सकता; पर ऐसा लगता है कि जो सेंक्शन दी थी उससे ज्यादा खर्चा होना मालूम पड़ता है।

श्री भैरोंसिंह : मैं माननीय मन्त्री महोदय की जानकारी के लिए बताऊं कि हिसाब तो आ गया है, पर चूंकि ज्यादा खर्चा हो गया है इसलिए आप बता नहीं रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही नहीं है कि डेली एक्सपेन्डीचर का अकाउन्ट रोज बरोज मेन्टेन किया जाता है और इस एक्सपेन्डीचर का डेली अकाउन्ट रखा जाता है, तो क्या आप उसकी टोटल नहीं बता सकते?

श्री मथुरादास माथुर : जो कुछ है वह मैंने आपको बताया है, छिपाने की कोई कोशिश नहीं की गई है। एक्सपेन्डीचर का डेली अकाउन्ट होने पर भी मान लीजिये कि हमने इलेक्ट्रिसिटी का कन्ट्राक्ट दिया और बिल उसके समय में नहीं आये या पूरे नहीं आये, कुछ बाकी रह गये तो इसका कम्प्लायेन्स एक महीने के भीतर भीतर हो जाना और सारा हिसाब तैयार हो जाना मुमकिन नहीं। अब फाइनेन्शियल ईयर मार्च में खत्म हो गया। तो पूरा हिसाब अभी नहीं मालूम हो सकता।

श्री भैरोंसिंह : जो अमाउन्ट सेंक्शन हुआ उससे जब अधिक खर्च होने का अन्दाज आपका भी है तो अन्दाजन ज्यादा खर्चा कुल कितना हो जावेगा, यह बताने की कृपा करें?

श्री मथुरादास माथुर : मैं बता दूं लेटेस्ट अकाउन्ट की पोजीशन इस तरह है— उदयपुर ७४,६५६.२५ नये पैसे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगेन्स्ट सेन्क्शन्ड ऑफ....यह भी बता दीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : अगेन्स्ट ७५,०००), यह मैं जबाब दे चुका हूं।

कोटा २५,००० अगेन्स्ट २५,०००)

बीकानेर ५० हजार के अगेन्स्ट में ६६ हजार।

जोधपुर ६७,८२६ अगेन्स्ट ७५ थाउजेन्ड।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि डिपार्टमेन्टल हैड को सेंक्शन्ड अमाउन्ट से ज्यादा खर्च करने का कोई अधिकार नहीं है?

श्री मथुरादास माथुर : जी।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर यह कैसे खर्च किया गया?

श्री मथुरादास माथुर : अब इसे रेगुलराइज़ कर लेंगे। इसमें ऐसा हुआ कि पहले एस्टीमेट लगाया दस दिन के लिए। अब अगर नुमाइश जनता के आग्रह पर या और किसी कारण से दस दिन और बढ़ गई तो नेचुरली खर्चा बढ़ जाता है। तो फिर यह तो हो नहीं सकता कि बन्द कर दें और फिर मन्जूरी लेकर करें। तो उस समय तो स्थिति को देखते हुए

(श्री मथुरादास माथुर)

आगे बढ़ा लेते हैं और बाद में गवर्नमेन्ट से रेगुलराइज़ करा लेते हैं। इमर्जेन्सी में ऐसा करना पड़ जाता है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा सवाल यह है कि रूल्स में हेड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट को सेंक्शन्ड रकम से अधिक खर्च करने का अधिकार है या नहीं, इमर्जेन्सी में भी ?

श्री अध्यक्ष : वे तो स्वीकार कर चुके हैं, 'नहीं है।'

श्री भैरोंसिंह : पहले वाले गृह मन्त्रीजी इस प्रकार स्वीकार कर लेते थे। मैं नये गृह मन्त्रीजी से सवाल करता हूं। उनसे बहुत आशाएं हैं। वे इस प्रकार की टेन्डेन्सी को प्रोत्साहन नहीं देंगे।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने निवेदन किया कि इमर्जेन्सी केसेज़ में करना पड़ जाता है, ऑर्डिनरिली नहीं। बाद में इसे रेगुलराइज़ करा लेते हैं।

श्री भैरोंसिंह : There ore no clause in the financial rules about emergency.

श्री मथुरादास माथुर : We regularise it from back date.

श्री भैरोंसिंह : That could never be anticipated, Sir.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : यह हिसाब कब तक मुकम्मिल हो जावेगा ?

श्री मथुरादास माथुर : मेरा ख्याल है ज्यादा से ज्यादा एक महीने में हो जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : प्रदर्शनी को एक्सटेन्ड करने के लिये सेंकशन किससे ली गई ?

श्री मथुरादास माथुर : मिनिस्टर कन्सर्न्ड से।

अलवर जिले को चम्बल की बिजली

५६३. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) अलवर जिले को चम्बल योजना की बिजली सप्लाई करने का कब तक का प्रोग्राम है ?

(२) क्या यह सही है कि चम्बल योजना की बिजली जयपुर में आने के बाद अलवर जिले को देने से पहले अजमेर की तरफ ले जाई जावेगी ?

(३) यदि हां, तो अलवर जिले को चम्बल योजना की बिजली सप्लाई में पीछे रखे जाने के क्या कारण हैं ?

विद्युत् मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र); (१) यह राणा प्रतापसागर प्रोजेक्ट अधिकारियों से सम्बन्धित है।

(२) जी हां।

(३) चम्बल विकास योजना के प्रथम स्टेज कार्यक्रम के अन्तर्गत एक १३२ के. वी. लाइन कोटा से अजमेर तक सम्मिलित थी, पर सूक्ष्म कार्य अध्ययन के पश्चात् इसका एक सिंगल सरकिट लाइन जयपुर से अजमेर तक पुनर्स्थापित किया गया। यह लाइन निर्माणाधीन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सब-पार्ट तीन का जवाब दें, अलवर जिले को पीछे रखे जाने का क्या कारण है ? इसे बिजली कब तक मिलेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : पीछे रखने का तो कोई कारण ही नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप यह बता दीजिये कि किस साल तक अलवर को बिजली आप दे देंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र : इस वक्त कहना मुश्किल है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : थर्ड प्लान से आगे भी सरकार जा सकती है ?

श्री हरिश्चन्द्र : हो सकता है।

प्रश्न संख्या ५६४

श्री अध्यक्ष : श्री मजलिसखां !

(अनुपस्थित)

अग्रिम वेतन-वृद्धि

५६५. **श्री जोधसिंह (गिरवा)** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या सन् १९५३ में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा क्वालिफाइंग अकाउन्ट्स क्लर्क्स की परीक्षा ली गई थी और उसमें पास होने वालों को अग्रिम वेतन वृद्धि दी गई थी ?

(ख) क्या यह सत्य है कि सन् १९६० में उसी प्रकार की परीक्षा में करीबन ७०० व्यक्ति उत्तीर्ण हुए थे किन्तु फिर भी अभी तक उनका वेतन नहीं बढ़ाया गया है ?

(ग) यदि हां, तो सरकार उनके लिए क्या व्यवस्था कर रही है और कब तक उनका वेतन बढ़ाये जाने की आशा है ?

उप-मन्त्री, वित्त (श्री चन्दनमल बैद): (क) जी हां, परीक्षा पास करनेवालों को अग्रिम वेतन दिया गया था। परीक्षा वित्त विभाग द्वारा ली गई थी।

(ख) सन् १९५९ की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों को अग्रिम वेतन देने की कोई घोषणा नहीं की गई थी और न अग्रिम वेतन देने का विचार ही है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री जोधसिंह : जब पहले वालों को दी गई तो इनको क्यों नहीं दी जा रही है ?

श्री चन्दनमल बैद : पहले जब फाइनेन्सियल अकाउन्ट्स रूल्स बने थे शायद क्लर्क ज्यादा संख्या में नहीं आवेंगे इसलिए उनको प्रोत्साहन देने के लिए यह घोषणा की गई थी। पर बाद में स्थिति चेन्ज हो गई और अधिक संख्या में क्लर्क्स आने लगे, तो इसकी जरूरत नहीं समझी गई।

श्री जोधसिंह : तो सरकार ने यह पहले गलती की, यह समझना चाहिये ?

प्रश्न संख्या ५६६

श्री अध्यक्ष : श्री हरदत्तसिंह।

(अनुपस्थित)

सड़क-सुधार

५६७. श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सपोटरा से ५ मील नदी तक सड़क पर तारकोल डालने के लिए टेन्डर स्वीकार हो चुके हैं ?

(२) क्या यह सही है कि टेन्डर करीब दो साल पहिले स्वीकृत हुए हैं, किन्तु आज तक वहां पर कार्य शुरू नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी नहीं।

(२) यह सही नहीं है। प्रश्न नहीं उठता।

श्री गोविन्दसहाय : इसके तो टेन्डर हो चुके हैं। आप कहते हैं 'जी नहीं' यह कैसे ?

एक माननीय सदस्य : यह तो मन्त्री महोदय का तकियाकलाम शब्द है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मैंने निवेदन किया कि टेन्डर ही नहीं किया गया।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि टेन्डर इन्वाइट नहीं किये गये ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : सीमेन्ट के टेन्डर किये ही नहीं गये।

श्री भैरोंसिंह : सड़क के ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : सड़क तो बन रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह।

पुल निर्माण

५६८. श्री रघुवीरसिंह (बाड़ी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बाड़ी-सरमथुरा सड़क में आने वाली नदियों पर पुलें बनाने का कार्य कब तक समाप्त होगा ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : तृतीय पंचवर्षीय योजना में चालू होकर चतुर्थ योजना के प्रारम्भ में।

प्रश्न संख्या ५६६

श्री अध्यक्ष : श्री मजलिसखां।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६००

श्री नत्थीसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द।

६०१. श्री मूलचन्द (दौसा): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) आर. जे. एल. १४६७, १३२०, १०६५, १११८, १३६६ नं० की बसें किस मार्ग पर किन २ स्थानों से होकर किन २

(श्री भूलचन्द)

परमिटों के तहत चल रही हैं ? क्या ये गाड़ियां चांदराना (दौसा तहसील) तक चलती थीं या चल रही हैं ?

(ख) क्या यह सच है कि ये गाड़ियां निर्धारित रूट पर नहीं चल रही हैं ? यदि हां, तो कब से ?

(ग) क्या सरकार परमिटों की शर्तें तोड़नेवालों के विरुद्ध कदम उठा रही है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : इसका उत्तर अभी आया नहीं, आगे रख दीजिये । We want more time to reply to this question.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

रानीवाड़ा में एन. ई. एस. ब्लॉक

६०२. **श्री भगराज चौधरी** (रानीवाड़ा): क्या सामुदायिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(अ) क्या यह सच है कि एन. ई. एस. ब्लॉक रानीवाड़ा में खोलने के लिये जिला जालौर से दो बार विशेषज्ञों की राय सर्व प्रथम सरकार को दी गई थी ?

(आ) यदि हां, तो अभी तक एन. ई. एस. ब्लॉक रानीवाड़ा में क्यों नहीं खोला गया ?

(इ) क्या सरकार इस साल रानीवाड़ा में एन. ई. एस. ब्लॉक खोलने का विचार रखती है ?

(ई) यदि हां, तो कब तक ?

उप-मन्त्री सामुदायिक विकास (श्री दिनेशराय डांगी) ; (अ) अप्रेल सन् १९६२ से रानीवाड़ा में विकास खण्ड खोलने की सिफारिश जिला परिषद एवं जिलाधीश जालौर से प्राप्त हुई है ।

(आ) प्रश्न विचाराधीन है ।

(इ) विचाराधीन है ।

(ई) निर्णय शीघ्र लेलिया जायगा ।

श्री भगराज चौधरी : करीब दो साल पहले भी जिला परिषद् और कलेक्टर ने सिफारिश दो बार सरकार के पास भेजी थी ।

श्री दिनेशराय डांगी : दो बार की तो जानकारी नहीं, पर अब अप्रेल में सिफारिश आई है । इसके अनुसार कुछ खंड अप्रेल में खोल दिये गये, मई में कुछ खोल दिये जावेंगे और कुछ अक्टूबर में खोले जावेंगे ।

श्री भगराज चौधरी : क्या यह सही है कि स्पेशलिस्टों और जिला परिषद् की राय बार बार आती रही, पर फिर भी सरकार ने अपने मनमाने तौर पर ब्लॉक खोले हैं ?

श्री दिनेशराय डांगी : इसमें मनमानी नहीं है । जिला परिषद् की राय मुताबिक ही है ।

सड़क का सुधार

६०३. **श्री फूलचन्द जैन** (सुजानगढ़) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जयपुर से बीकानेर जाने वाली सड़क पर, सीकर सालासर के बीच में करीब पांच मील तथा सांडवा जसरासर के बीच में करीब पन्द्रह

Page No. 26

(श्री फूलचन्द जैन)

मील की जो कच्ची सड़क है उस पर क्या डामर बिछाये जाने का ठेका दिया जा चुका है ? यदि हां, तो कब दिया गया तथा कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा है।

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : सीकर सालेसर के बीच ६ मील के भाग का ठेका अभी नहीं दिया है तथा सांडवा ससरासर के बीच माप मील ६३ से ६६ तक का ठेका ता० २२-५-६१, मील ६६ से ७४ तक का ठेका २३-१-६२, मील ७४ से ७६ तक का ठेका ३०-१२-६१ तक आशा है, यह कार्य ६२-६३ में पूर्ण हो जावेगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जो काम ५६ में दिया गया उसको कब तक समाप्त हो जाना चाहिये था ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जनवरी ६२ तक।

श्री भैरोंसिंह : फिर यह क्यों नहीं खत्म हुआ ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह काम चल रहा है और जल्दी ही अब खत्म होगा।

श्री भैरोंसिंह: 'चलने' का सवाल नहीं है, जब जनवरी समाप्त हो जाना चाहिये था और नहीं हुआ तो सरकार ने ठेके की शर्तों के अनुसार क्या कार्यवाही उस ठेकेदार के खिलाफ की है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : महीने दो महीने का वक्त तो लग ही जाता है। फिर भी जब फाइनल होगा तो पेनल्टी लगाने का प्रश्न है, वह हम देख लेंगे।

(६ म. पू.)

अलेक्ज़ेन्ड्रा हॉस्पिटल, अलवर

६०४. **श्री सतीशकुमार शर्मा (बानसूर)** [श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) द्वारा पूछा गया] : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या अलेक्ज़ेन्ड्रा हॉस्पिटल, अलवर में नये बेड्स लगाये जाने की कोई योजना है ?

(२) क्या यह सही है कि इस अस्पताल के मेडीकल वार्ड में ऊपर की मंजिल का काम एक साल से अधिक समय से चल रहा है ?

(३) यदि हां, तो क्या इसका काम मुकम्मिल होने की कोई मियाद नहीं रखी गई थी ? अगर हां, तो क्यों ?

(४) इस काम को अब कब तक मुकम्मिल कराये जाने की संभावना है ?

उप-मंत्रिणी, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) यह कार्य निर्माण विभाग द्वारा डिपार्टमेंटल किया जा रहा है, ठेकेदार द्वारा नहीं। इसलिये उसके लिये कोई मयाद नहीं रखी गई है।

Page No. 27

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

(४) इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक कार्य पूरा होने की आशा है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चून्डावत (भीम): ठेकेदार को इस बिल्डिंग के बनाने के लिए क्या कोई समय नहीं दिया गया था ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यह डिपार्टमेंट के द्वारा किया जा रहा है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही नहीं है कि पहले यह काम एक ठेकेदार को दिया गया था और ठेकेदार बहुत देरी करने के कारण फिर पी० डब्ल्यू० डी० ने लिया था ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी नहीं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही नहीं है कि पी० डब्ल्यू० डी० आंशिक रूप से देरी कर रही है और अस्पताल की ऑथोरिटीज़ काफी लिख रही है पी० डब्ल्यू० डी० को कि इसके लिए जल्दी की जाये क्योंकि इससे बहुत दिक्कत हो रही हैं ।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : वह जल्दी ही इन्तजाम किया जा रहा है । २०० बेड्स की जगह बना कर दी जा चुकी है और बाकी का काम जल्दी ही खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : क्या यह सही है कि इसमें देरी करने के कारण अस्पताल को अपग्रेड कराने के बारे में देरी हो रही है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी नहीं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही नहीं है कि पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा देरी होने का कारण यह है कि मामूली से मामूली काम के लिए सेंक्शन जयपुर से करानी पड़ती है और इसलिए उस विभागीय काम में देरी हो रही है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह ।

बिजली की योजना

६०५. **श्री रघुवीरसिंह** (बाड़ी) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या सेपउ व सरमथुरा में बिजली लगाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(२) क्या सरमथुरा में सस्ती बिजली की लाइन कोटा से वाया करौली लाई जायेगी ?

(३) अगर हां, तो कब तक ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल !

सड़क निर्माण की मांग

६०६. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सीलीसेड़ से ढहलावास को जाने वाली सड़क की हालत बहुत खराब है ?

(२) क्या यह सही है कि इस इलाके की जनता बहुत अर्से से सीलीसेड़ से ढहलावास होती हुई गरुबाजी तक पक्की सड़क बनवाने की मांग करती आ रही है ?

(३) क्या सरकार का इरादा निकट भविष्य में इस सड़क को पक्का बनाने का है ?

(४) यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) यह वन विभाग की कच्ची सड़क है। इस विभाग से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं।

(४) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार ने अपनी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का पूरा खाता बना लिया है ?

गृह-मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : शुरु कर दिया है; we will consider it in the 4th Plan.

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह सड़क का बहुत छोटा टुकड़ा है। गिरवाजी एक तीर्थ स्थान है। क्या सरकार इस बात को देखते हुए कि वहां पर बहुत बड़ा मेला भरता है और बहुत छोटा सा टुकड़ा है इसको इसी योजना में इसी एक साल में कराने का प्रयत्न करेगी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : विचार किया जायेगा।

प्रश्न संख्या ६०७

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशकुमार शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री रामानन्द अग्रवाल !

पक्की सड़क का निर्माण

६०८. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार को मालूम है कि विजय मंदिर से नौरंगबाद, झाड़ौली, घाटला होती हुई खैरथल कस्बे तक जाने के लिये कोई पक्की सड़क नहीं है जिसके कारण जनता को बहुत परेशानी है ?

(२) क्या सरकार का इरादा सर्वे करा कर इस सड़क को निकालने का है ?

(३) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) मालूम है, कोई पक्की सड़क नहीं है।

(श्री भवानीशंकर नन्दवाना)

(२) फिलहाल सम्भव नहीं है।

(३) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार फौरन कम से कम इसके सर्वे के काम को हाथ में लेकर कच्ची सड़क बनवाने के ऊपर विचार कर सकती है।

श्री अध्यक्ष : विचार किया जायेगा।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : सर्वे तो की ही जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

सांचोर में नल योजना का कार्य

६०६. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सच है कि सांचोर में नल योजना का कार्य चल रहा है ? अगर हां, तो इस योजना का कितना कार्य हो चुका है और कितना बाकी है ?

(ख) क्या यह सच है कि नल योजना का कार्य सांचोर पशु मेला से पहले पूरा होने वाला था ताकि मेले में नल द्वारा पानी दिया जा सके ? अगर हां, तो यह कार्य समय पर पूरा क्यों नहीं किया गया ?

(ग) अब यह कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

(घ) क्या इस स्कीम में हरिजन बास में भी नल ले जाने की योजना है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (क) हां, सांचोर जल योजना के अन्तर्गत पाइप लाइन का कार्य पूर्ण हो चुका है। पानी की टंकी के कार्य के लिए टेन्डर लिये जा रहे हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह जल योजना इस साल के आखिर तक पूर्ण हो जायेगी; बशर्ते जेनरेटिंग सेट आ जायें।

(घ) पंचायत चाहेगी तो हरिजन बास में भी नल (पब्लिक स्टेंड पोस्ट) लगा दिया जावेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसके अन्दर क्या सरकार नल योजना के लिए बोरिंग करायेगी।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : हां ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : पूछ रहे हैं कि क्या सरकार बोरिंग करायेगी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न; श्री रामानन्द अग्रवाल।

गबन के मामले

४०२. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : Will the Minister for Power Department be pleased to state:—

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

1. How many cases of embezzlements have taken place in various Power Houses after the formation of Rajasthan State Electricity Board ? A list of the cases showing amount involved therein may please be laid on Table of the House.

2. What action has been taken against the persons involved for the recovery of the amount ?

3. What measures have been devised to be adopted by the Rajasthan State Electricity Board to check such cases ?

विद्युत् मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : 1. 9 cases. A list is placed below.

2. Action taken against individual concerned is given in column 4 of the list.

3. Government have already laid down Rules for preventing embezzlement and these Rules are also followed by the Rajasthan State Electric Board.

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जो आपने एक्शन लेने के लिए कहा है, तो कितने अर्से से पेन्डिंग पड़े हैं एक्शन लेने के लिए ?

श्री हरिश्चन्द्र : ५७ के बाद के हैं ये केसेज़ । डेट्स मेरे पास नहीं हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ५ वर्ष के अर्से के कितने केसेज़ पेन्डिंग पड़े हैं ? क्या आप महसूस नहीं करते कि बहुत लम्बा अर्सा हो गया है और बहुत जल्दी तय करने चाहिए ।

श्री हरिश्चन्द्र : महसूस करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को लिख देंगे कि जल्दी कर दे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इनमें कितना अमाउन्ट इन्वोल्व्ड है ?

श्री हरिश्चंद्र : वह तो कॉपी है, आप देख लीजिए ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या इसमें कुछ गजटेड ऑफिसर्स भी इनवोल्वड् हैं ?

श्री अध्यक्ष : कॉपी देख लीजिये ।

(विराम)

श्री तेजाराम गहलोत !

जिला पाली के सरपंचों के विरुद्ध गबन की शिकायतें

४०७. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) पाली जिले में किन किन सरपंचों के विरुद्ध गबन व फोर्जरी की शिकायतें जिलाधीश, पाली के पास दि० १-१-६० से ३१-३-६२ तक की गई व किस किस तारीख को व उनमें से कितनी फैसल की व कितनी जेर जांच हैं ?

(२) पाली जिले में किन किन पंचायत

(श्री तेजाराम गहलोत)

समिति के कर्मचारियों के विरुद्ध पंचायत समिति की सम्पत्ति का दुरुपयोग (मिसएप्रोप्रियेशन) करने की शिकायतें उक्त अर्से में हुई और कलेक्टर ने उनमें से किन किन पर क्या क्या कार्यवाही की ?

उप-मन्त्री, पंचायत (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) केवल पंचायत समिति सुमेरपुर के वरिष्ठ लेखक श्री सूरजमल के विरुद्ध निम्न शिकायतें प्रेषित हुई :—

(१) १७७.०८ न. पै. का गबन, इसकी जांच पंचायत समिति सुमेरपुर के प्रधान द्वारा की जा रही है ।

१४१.७२ न. पै. का गबन, धारा ४०६ आई. पी. सी. के अन्तर्गत मामला उप-जिला मजिस्ट्रेट, बाली के पास विचाराधीन है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री तेजाराम गहलोत : क्या उप-मन्त्री महोदय बतायेंगे कि जो सूची दी गयी है उसमें नम्बर ७ पर यह लिखा गया है कि जिलाधीश की रिपोर्ट आ गयी है; तो क्या उस रिपोर्ट में सरपंच के खिलाफ गबन साबित हुआ है और हुआ है तो कितने रुपयों का और जब गबन साबित है तो कलेक्टर ने राज्य सरकार के पास कानून के तहत भेजा है और कलेक्टर ने क्यों नहीं एक्शन लिया ?

श्री दिनेशराय डांगी : जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है वह राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है और उसके ऊपर विचार-विमर्श करने के बाद में ही माननीय सदस्य को बता सकेंगे ।

श्री तेजाराम गहलोत : क्या उस रिपोर्ट में सरपंच के खिलाफ रुपयों के गबन का मामला साबित है ? अगर है तो कितनों का और किस तारीख का ?

श्री दिनेशराय डांगी : अभी कार्यवाही चल रही है ।

श्री तेजाराम गहलोत : जब आपने बताया कि रिपोर्ट आ चुकी तो फिर कार्यवाही किस बात की चल रही है ? कलेक्टर ने किस बात की रिपोर्ट पेश की है ?

श्री अध्यक्ष : रिपोर्ट विचाराधीन है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कहीं रिपोर्ट का गबन न हो जाये ।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : Unless you do it.

श्री तेजाराम गहलोत : आपने प्रश्न नम्बर २ में बताया कि केवल पंचायत समिति सुमेरपुर के वरिष्ठ लेखक के विरुद्ध शिकायतें हैं, तो क्या यह सच है कि सोजत पंचायत समिति के अकाउन्टेन्ट के खिलाफ भी शिकायत है जिसका इसमें हवाला नहीं दिया गया है ?

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो कर्मचारियों के बारे में पूछ रहे हैं और दूसरी तरफ सरपंचों के बारे में पूछ रहे हैं और यह प्रश्न उप-सरपंचों के

Page No. 32

(श्री दिनेशराय डांगी)

बारे में पूछा है और नम्बर दो में कर्मचारियों के लिए पूछा है इसलिए खुद ही माननीय सदस्य क्लियर नहीं हैं ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न दोनों के बारे में है।

श्री तेजाराम गहलोत : प्रश्न दोनों के बारे में है, जब कि एक पंचायत समिति के क्लर्क के बारे में इतला दी है और दूसरे के खिलाफ और केसेज़ हुए हैं तो क्या उसके खिलाफ शिकायत नहीं हुई, इसकी जानकारी तो हाउस को देनी चाहिये मन्त्री महोदय को। इस तरह की शिकायत हुई है जिसका मुझे व्यक्तिगत तौर से मालूम है, तो क्या मन्त्री महोदय उसके खिलाफ एक्शन लेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : अभी तक जो हमारे पास सूचना है वह एक ही आदमी के लिए है। अब आप सूचना दे रहे हैं, तो मैं देखूंगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : आपने नम्बर (२) के लिए लिखा है कि ४०६ का आई. पी. सी. का मुकदमा क्लर्क के खिलाफ है तो उसको पुलिस में नहीं भेजने के क्या कारण हैं जबकि उसके खिलाफ डॉक्युमेन्टरी प्रूफ है तो जल्दी एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह मामला उप जिला मजिस्ट्रेट के पास विचाराधीन है, अगर पुलिस में भेजने की आवश्यकता होगी तो वहां भेज देंगे।

श्री तेजाराम गहलोत : सूची में नम्बर १६ पर जो मामला है, तो क्या इस तरह की शिकायत की जिलाधीश ने जांच नहीं की ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह तो सूची में लिखा है, किसकी जांच कर दी और किसके कागजात आ चुके वह सारी की सारी सूचना सूची में दी गयी है।

श्री तेजाराम गहलोत : अध्यक्ष महोदय, एम्बेज़लमेन्ट के केसेज़ इतने लम्बे अर्से तक जांच में पड़े रहें तो यह तो एम्बेज़लमेन्ट को और प्रोत्साहन देना है। अगर ऐसी शिकायतों की जल्दी से जल्दी जांच करायें तो अच्छा होगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके बारे में ताकीद कर देंगे। अभी कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें सारे कलेक्टर्स को ताकीद कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या ५८७ 'निवाई कस्बे का शफाखाना'' इसका वापिस उत्तर दिया जायगा। पहले गलत उत्तर दे दिया था मंत्री महोदया ने।

उप-मंत्रिणी स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : प्रश्न नम्बर नहीं देने के कारण गलत उत्तर दे दिया था।

श्री अध्यक्ष : फिर भी काफी मिल गया।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : (१) जी नहीं। निवाई कस्बे की डिस्पेन्सरी का दवाइयों का सालाना बजट ४,०००) रुपये का है जो उक्त अस्पताल के औसत रोगी और दैनिक इन्डोर रोगियों के लिये पर्याप्त है।

(२) जी नहीं। इस डिस्पेन्सरी में ६ रोग

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

शय्याएं स्वीकृत हैं, जिनमें एक मिडवाइफ भी कार्य कर रही है।

(३) जी नहीं।

श्री जयनारायण सालोदिया : मेरा प्रश्न जच्चाखाने के संबंध में था, जो बहुत जरूरी प्रश्न है। जच्चाखाने के बारे में उदासीनता बरतने के बारे में मैंने प्रश्न किया था और आप कहती हैं कि प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : यह नहीं कहा कि प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): नोहर से आये हुए एम. एल. ए. साहब का प्रश्न छूट गया है, इजाजत दें तो प्रश्न पूछ लूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न तो बहुत से छूट गये हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : पहले उत्तर कौनसे प्रश्न का था ?

श्री अध्यक्ष : इसके लिए सूचना चाहिए।

(९.१२ म० पू०)

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

श्री अध्यक्ष : श्री बालकृष्ण कौल।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : Sir, I place on the Table of the House a copy of each of the :

1. Appropriation Accounts of 1960-61
2. Finance Accounts, 1960-61
3. Audit Report 1962.

जन लेखा समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री हरिदेव जोशी (सभापति, जनलेखा समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं जनलेखा समिति के पहले प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं जो निम्नलिखित लेखे व अंकेक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित है :—

(१) विनियोग लेखा, १९५८-५९ एवं अंकेक्षा प्रतिवेदन, १९६०।

(२) वित्त लेखा, १९५८-५९ एवं अंकेक्षा प्रतिवेदन, १९६०।

जोधपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९६२ से संबंधित ज्ञापन

(सदन की मेज पर रखना)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं जोधपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९६२ से संबंधित ज्ञापन सदन की मेज पर रखता हूं।

(९.१४ मं० पू०)

भरतपुर जिले में तोल के नये बाटों के न मिलने सम्बन्धी ध्यान आकर्षित करना

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत भरतपुर

(श्री रामकिशन)

जिले में तोल के नये बाटों के न मिलने के कारण उत्पन्न स्थिति की ओर उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद): भरतपुर जिले में तोल के नये बाटों का पूर्ण प्रबन्ध किया हुआ है और इनका कोई अभाव नहीं है। इस जिले में नये बाटों को बेचने के लिए २६ डीलर्स नियुक्त किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त इस जिले में चार नये बाट बनाने वाले कारखाने हैं। इनमें से रमेश आइरन फाउन्ड्री लगभग २,५०० बाट प्रति सप्ताह बना रही है। राजस्थान से बाहर आगरा, मथुरा व दिल्ली आदि से भी नये बाट मंगाने की सुविधा दी जा चुकी है।

भरतपुर जिले के माप-तोल कार्यालय में अप्रेल, १९६२ के अन्त तक ९२,८५१ नये बाटों पर मोहर लगाई जा चुकी है। २६ विक्रेताओं में से १३ विक्रेता, जिनकी सूचना इस कार्यालय में प्राप्त है, ने मार्च के अंत तक २५,४८८ बाट बेचे हैं तथा १ अप्रेल को उनके पास करीब ७,००० बाटों का स्टॉक था। अनुमान है कि बाकी १३ विक्रेताओं ने भी लगभग २५,००० बाट बेचे होंगे।

उपरोक्त तथ्यों से मालूम होगा कि नये बाटों का भरतपुर जिले में कोई अभाव नहीं है। इसके अतिरिक्त भरतपुर के सहायक निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार भरतपुर के सारे दूकानदार नये बाट खरीद चुके हैं। केवल डीग व धौलपुर में नये बाटों की अभी आवश्यकता है, जिसके लिये पर्याप्त मात्रा में नये बाट उपलब्ध हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): क्या यह सही है कि धौलपुर के आदमियों को मोहर लगाने के लिये भरतपुर आना पड़ता है और धौलपुर से भरतपुर आने वालों को आगरा को टेरिटरी पार करनी पड़ती है जो करीब ७२ मील है?

श्री चन्दनमल वैद : आपका कथन बिल्कुल सही है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : क्या सरकार को इस बात का अंदाज है कि खूमचे वाले और दूसरे लोगों को ७२ मील की टेरिटरी पार करके भरतपुर तक आने में कितनी तकलीफ होती है?

श्री चन्दनमल वैद: डीलर्स लोग मोहर लगवाते हैं, हर व्यापारी को जाने की जरूरत नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह असुविधा न केवल भरतपुर में ही; बल्कि अलवर में भी एक तरह से महसूस की गई है। एक तो बाट स्टेन्डर्ड वजन के नहीं हैं एवं दूसरी बात इनके मिलने की कमी है, ब्लेक तक होता है; उस कीमत पर नहीं मिलते हैं जिस पर कि मिलने चाहिये?

श्री चन्दनमल वैद : इसके बारे में मेरे पास न शिकायत है, न जानकारी।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): प्रार्थना यह भी है कि जहां ये बाट मिले हैं वहां इस्तेमाल भी इनका नहीं होता है।

श्री रामकिशन : क्या मंत्रीजी विचार करेंगे कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली आदि से बाटों

(श्री रामकिशन)

की कीमत ड्योढी है राजस्थान में; इस वजह से भी दिक्कत होती है ?

श्री चन्दनमल वैद: भरतपुर में नये बाट बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अगर कीमत ज्यादा हैं तो वहां नहीं खरीदें, भरतपुर में ही मिल सकते हैं।

श्री रामकिशन : मैं यह पूछ रहा हूं कि कीमतें समान नहीं है....

श्री अध्यक्ष : Order Please !

एक माननीय सदस्य : बाटों के बारे में जो मोहर लगाई जाती है उनके लिये जगह जगह जाना पड़ता है। मोहर लगाने के लिये सरकार को तो सिर्फ ६५ नये पैसे मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा दूसरी एजेन्सीज़ के द्वारा मोहर लगाई जाती है तो १) रु० ३० न. पैसे देने पड़ते हैं। इसी तरह से तराजू पर लगाने में सिर्फ ३५ पैसे सरकार को दिये जाते हैं और दूसरी एजेन्सीज को ४)रु० दिये जाते हैं, यह कहां तक उचित है ? उनको इतने पैसे देने की क्या जरूरत है जब कि सरकार को इससे आमदनी नहीं होती, तो क्या कारण है कि इन एजेन्सीज को नहीं हटाया जाता ?

श्री चन्दनमल वैद : प्रश्न था बाटों के सिलसिले में कमी का। मैं समझता हूँ इसका जवाब मैं काफी साफ दे चुका हूँ। प्रश्न भरतपुर से संबंधित था। अलवर और दूसरी जगहों के लिये प्रश्न नहीं था।

श्री अध्यक्ष : विचार तो करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सवाल चाहे एक जिले का हो लेकिन दिक्कत सब जगह हो रही है। माननीय सदस्य ने कहा यह भी सही है कि मोहर लगाने में ४), ४) रुपये एजेन्सीवाले ले लेते हैं, फिर भी बाट मिलते नहीं हैं। इस बारे में सारे राजस्थान की प्रोब्लम हो तो मन्त्री महोदय को आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिये।

श्री चन्दनमल वैद : कोई माननीय सदस्य अपनी दिक्कत पेश करेंगे तो निश्चित तौर से समुचित व्यवस्था और जवाब देने का प्रयत्न करूंगा।

श्री रामकिशन : आपने फरमाया कि भरतपुर में बाहर से लाने की इजाजत दे दी जायगी; लेकिन यदि लायेंगे तो उनको वापिस करना पड़ेगा इसमें दिक्कत होगी।

श्री चन्दनमल वैद : बाहर से मंगाये जायेंगे तो उनको यहां स्टॉक करना होगा। बाहर से आयेंगे उनको स्टॉक करने के बाद और मोहर लगवाने के बाद ही डीलर बेच सकते हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : प्रश्न यह है कि डीलर्स के पास काफी मात्रा में बाट उपलब्ध हो सकते हैं; पर मोहर लगे हुए बाट उपलब्ध हैं या नहीं, ताकि धौलपुर और डीग के डीलर्स उन्हें खरीद सकें ? उधर चालान धड़ाधड़ हो रहे हैं, बाट उठा कर ले जा रहे हैं, तमाम तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं, गड़बड़ की स्थिति पैदा हो गई है, क्या इसके बारे में आप ध्यान नहीं देंगे ?

श्री चन्दनमल वैद : मैं निवेदन कर चुका हूं कि ६२,८५१ बाटों पर मोहर लगाई

(श्री चन्दनमल वैद)

जा चुकी है, आंकड़े उपलब्ध किये। धौलपुर में बांट डील करनेवाले ५ डीलर्स और डीग में भी दो डीलर्स हैं। मैं समझता हूँ इससे ज्यादा क्या सुविधा चाहिये।

श्री अध्यक्ष : अब इस पर कोई बहस नही होगी।

स्थगन-प्रस्ताव

श्री मानसिंह महार (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक एडजोर्नमेन्ट मोशन दिया था और टू अवर्स डिस्कशन का कॉल अटेन्शन नोटिस दिया था, बाडमेर जिले में ... वेर्सिटीज हैं उसके बारे में। तो मैं पहले एडजोर्नमेंट मोशन मूव करूं या....

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी के पास सूचना नहीं आई है इसलिये सूचना आने के बाद निर्णय किया जायगा।

श्री मानसिंह महार : कल कल का सैशन है, सूचना इसलिये डिले कर दी गई कि कल सैशन खत्म हो जायगा। बाद में बात होगी वह ८ महीनों पर जायगी। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मंत्रीजी के पास वायरलैस मौजूद है।

श्री अध्यक्ष : वायरलैस पहले कर दिया गया है। मन्त्री महोदय ने किया है।

श्री मानसिंह महार : कल के लिए रख लिया जाय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): यह महत्वपूर्ण विषय है और मैं आपको नम्र निवेदन करूंगा कि इस एडजोर्नमेन्ट मोशन को मूव करने की इजाजत दे दी जाय।

श्री अध्यक्ष : लेजिस्लेटिव बिजनेस।

(विराम)

जोधपुर यूनिवर्सिटी बिल, १९६२

श्री मानसिंह महार (आमेर) : इसके लिए क्या फर्माया ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय को सूचना आ जायगी ? उसके बाद निर्णय लिया जायेगा।

श्री मानसिंह महार : कल पर रखा जाय।

श्री अध्यक्ष : जो भी सूचना होगी वह आपको दे दी जायगी।

जोधपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९६२

(खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री सम्पतलाल (मावली) : अध्यक्ष महोदय, जोधपुर यूनिवर्सिटी....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, I want to make a point of order, Sir.

यह जो फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम जोधपुर यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में माननीय शिक्षा मन्त्री ने पेश किया है, यह बिजनेस कन्डक्ट रूल्स के रूल नम्बर ६१ के अनुसार नहीं है। इस रूल ६१ के अनुसार इस मेमोरेन्डम में, इसका जो पोसिबल खर्चा होने वाला है, उसकी लिस्ट, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग एक्सपेन्डीचर का ब्यौरा दिया जाना चाहिये था और उस एक्सपेन्डीचर को किस तरीके से पूरा किया जायगा, वह दिया जाना चाहिये था। मन्त्री महोदय

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

ने अपने मेमोरेन्डम में केवल इस बात का तो ब्यौरा दिया है कि उस एक्सपेन्डीचर को किस तरह से मीट किया जायगा, स्टेट की ग्रान्ट है या दूसरी ग्रान्ट दी गई है उससे, लेकिन वह पोसिबल रेकरिंग एक्सपेन्डीचर कितना होगा, नॉन रेकरिंग एक्सपेन्डीचर कितना होगा, कौन कौन से क्लॉज़ेज़ के तहत है, वे सारी बातें इसमें दी जानी चाहिए थीं और वही हिस्सा ज्यादा महत्वपूर्ण है – किस तरह का एक्सपेन्डीचर हम इनकर करने जा रहे हैं; यदि हम इस बिल को मंजूर कर लें तो। जब तक एक्सपेन्डीचर का ब्यौरा नहीं आता है तब तक यह सदन निर्णय में पहुंचने में असमर्थ होगा कि यह बिल जिसको स्वीकार करने जा रहे हैं,इसके फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन्स हैं, वे रीज़नेब्ल हैं, या अनरीज़नेबल; जो इससे उपयोगिता होने वाली है वह सही है या नहीं। अतः मेरा यह निवेदन है कि यह जो फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम पेश किया है यह रूल ६१ की पूर्ति नहीं करता है, इसलिए यह कोई फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम नहीं है और इसलिये शिक्षा मन्त्री को यह कहा जाय कि वे दूसरा फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम दें और जब तक फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम नहीं आ जाता तब तक बिल को आगे कन्सीडरेशन के लिए न लिया जाय।

श्री अध्यक्ष:जो फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम आया है उसे मैं हमारे नियमों के अनुसार व संविधान के अनुसार उपयुक्त समझता हूँ; क्योंकि जो आज जानकारी सरकार के पास है, इस बजट में जो प्रावधान किया गया है विश्व विद्यालय की स्थापना के हेतु, उस सारे का उल्लेख इस मेमोरेन्डम में हो सकता है। अतः उनकी आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का सवाल है। निवेदन यह है कि कल जब यह बिल विचारार्थ लिया गया था उस समय यह आपत्ति उठाई गई थी कि इस बिल के साथ फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम रूल्स के अनुसार नहीं है। उस वक्त अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्णय के अनुसार यह था कि इस बारे में व्यवस्था रिज़र्व रखी जाती है और व्यवस्था उस रूलिंग के अनुसार रिज़र्व रख ली गई। उस बीच में फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम पेश कर देना, क्या इस तरह से कमी की पूर्ति करने की तारीफ में नहीं आती ? एक सवाल। दूसरा प्रश्न यह है कि जब यह विषय प्रवर समिति के लिए प्रस्तुत किया गया उससे पहले फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम आता तब प्रवर समिति के सदस्य उसकी लाइट में अन्वेषण कर सकते थे। इसलिए ही डिसेन्टिंग नोट में अपने वक्तव्य इस सम्बन्ध में रखे हैं। तो इन मुद्दों पर यह अहम् चीज है। पहली चीज है वह अहम् है, अध्यक्ष की व्यवस्था रिज़र्व रख ली गई, उस बीच कमी की पूर्ति कर ली। मैं समझता हूँ यह न्यायसंगत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : निर्णय सुरक्षित रखा गया था। अब उस निर्णय की आवश्यकता पैदा नहीं होती; क्योंकि जो कमी के विषय में आपत्ति उठाई गई थी वह पूरी कर ली गई है। जिस तरह कमी पूरी की गई है उसमें कोई गैर कानूनी बात हो, या नियमों के विरुद्ध चीज हो, ऐसी बात नहीं है। संविधान में आर्टिकल २०७ (३) में उल्लेख है:–

(श्री अध्यक्ष)

"A Bill which, if enacted and brought into operation would involve expenditure from the Consolidated Fund of a State shall not be passed by a House of the Legislature of the State unless the Governor has recommended to that House about the consideration of the Bill". इसलिए पास करने से पहले किसी भी स्तर पर अगर वह रिकमन्डेशन आ जाती है तो वह नियमों के अनुसार है और हमारे संविधान की भी पूर्ति करता है इसलिए यह आपत्ति भी अस्वीकार की जाती है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : दूसरा व्यवस्था का सवाल है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह मान्य करें कि चेयर की रूलिंग जो सुरक्षित की गई थी कि इस बिल के साथ फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम होना चाहिए था यों ही रही ?

श्री अध्यक्ष : मैंने जैसा आपसे निवेदन किया उस आपत्ति पर जो निर्णय सुरक्षित किया गया था वह स्थिति बदल गई और उस पर निर्णय देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सदन के समक्ष मेमोरेन्डम आ चुका है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेमोरेन्डम तो इस क्लॉज़ के मातहत जिस समय बिल प्रस्तुत किया जाता है, उस समय........

श्री अध्यक्ष : उसका निर्णय मैं दे चुका हूं कि संविधान के अनुसार पास होने से पहले किसी स्तर पर दे सकते हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : मेमोरेन्डम तो........

श्री अध्यक्ष : यह बात कही जा चुकी है; इसे रिपीट न करें, दोहरायें नहीं ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : व्यवस्था का सवाल यह है कि फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम अभी आया है जो अधिकांश सदस्यों ने पढ़ा तक नहीं है; क्योंकि अंग्रेजी में वह है और मानो पढ़ भी लिया होगा तो बिल पर विचार हो रहा है, अब बिल पर विचार करने से पूर्व, मैं यह जरूर निवेदन करूंगा कि ऐसा मौका मिलना चाहिए कि इस मेमोरेन्डम की नजर में हम फिर से विचार कर सकें और सदन इस समय इस स्थिति में नहीं है कि बहस कर सके ।

श्री अध्यक्ष : सदन इस स्थिति में है, सदन विचार करेगा । जो बहस होगी वह इस आधार पर होगी ।

श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : I should think that the Financial Memorandum should be the integral part of the Bill and there is a Ruling from the Chair as I quite follow that at the psssing stage the Financial Memorandum should be there. I should have thought that as an integral part of the Bill this Financial Memorandum should have been submitted along with the Bill.

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी में आया है, हिन्दी में नहीं आया। अंग्रेजी न जानने वाले भाइयों के सामने दिक्कत है, उसके बारे में क्या व्यवस्था है ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : साथियों से पूछ लें।

श्री अध्यक्ष : अंग्रेजी में आ जाना काफी माना जाना चाहिए।

श्री हीराभाई : माना जाना चाहिए....

श्री अध्यक्ष : आपने व्यवस्था मांगी, मैंने दे दी।

श्री मुरलीधर व्यास : आपकी व्यवस्था यह भी है कि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में मिलनी चाहिए। इस तरह की व्यवस्था आप दे चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : अब बहस होगी। कौन माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं ?

श्री हीराभाई : अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था भी साथ साथ हो सकती है कि अंग्रेजी जाननेवालों की राय ली जायगी, बाकी की नहीं ली जायगी।

श्री अध्यक्ष : मैं व्यवस्था दे चुका हूँ। हम मानते हैं कि आप अंग्रेजी जानते हैं।

श्री हीराभाई : मैं नहीं जानता हूँ।

श्री अध्यक्ष : फिर भी कानूनी तौर पर हम मान सकते हैं।

(विराम)

श्री सम्पतलाल !

श्री सम्पतलाल (मावली): अध्यक्ष महोदय, जोधपुर यूनिवर्सिटी बिल पर मैं भी अपने विचार रखना चाहता हूं। माननीय सदस्य, जो जयपुर से आने वाले हैं, ने कल अपना यह विचार रखा था कि जोधपुर यूनिवर्सिटी बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। इसके पीछे कितने ही कारण हैं, बिल के बनाने में जितनी जल्दबाजी की गई है, इसलिए इसमें जिस प्रकार की त्रुटियां रह गई हैं, इसमें जितने क्लॉज आने से बच गये हैं उस हिसाब से इस पर विचार किया जाय तो मैं यह समझता हूं कि यह आवश्यक है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। जहां तक इस हिस्से का सवाल है कि यह यूनिवर्सिटी कहां स्थापित की जाय, इसमें कोई विरोध नहीं है। जोधपुर में इस यूनिवर्सिटी को रखा जाय, इस बारे में कोई विरोध नहीं करता है, लेकिन जहां तक इसके नाम का सवाल है; मैं अध्यक्ष महोदय, आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो इसका नाम रखा गया है जोधपुर यूनिवर्सिटी बिल, मैं इसको उपयुक्त नहीं समझता और यह चाहता हूं कि यदि इसका नाम किसी ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम पर रखा जाता, जोधपुर के वीर दुर्गादास के नाम पर रखा जाता तो अच्छा होता। इसका नाम वीर दुर्गादास विश्वविद्यालय रखने से महत्वपूर्ण बात यह होगी कि जो आप इन्टीग्रेशन करना चाहते हैं, वह अच्छी तरह से हो सकता है; क्योंकि सांस्कृतिक भावनायें इसके साथ जुड़जाती हैं....

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द): भामाशाह विश्वविद्यालय रख लें।

श्री सम्पतलाल : भामाशाह विश्वविद्यालय रख सकते हैं, मीरां विश्वविद्यालय रख सकते हैं, या और कोई नाम, राजस्थान के ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से रख सकते थे। अब तक जो यूनिवर्सिटीज बनी हैं, उनको किसी व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं बनाया गया है। इसलिए यह परम्परा कायम रखी जाती तो ज्यादा अच्छा होता।

अब इस यूनिवर्सिटी के बारे में क्या विशेषता होगी, यहां पर किस प्रकार की शिक्षा दी जा सकती है, इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता; लेकिन मेरा जो विशेष निवेदन है वह यह है कि किसी विशेष कल्चर को लेकर यह यूनिवर्सिटी बनाई जानी चाहिये। ऐसा न हो कि किसी की कार्बन कॉपी कर ली जाए। हमारी यूनिवर्सिटी ऐसी होनी चाहिए कि लोग यह न कहें कि यह आज के युग से पांच साल पीछे है। हमारी यूनिवर्सिटी २५ साल आगे की हो। जो यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है उससे देश में ऐसी बनाई जावे जो देश के लिए आगे आने वाली पीढ़ी को मार्ग-प्रदर्शन कर सके। आज हम यह चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी हिन्दी में काम करे और हमारे यहां यूनिवर्सिटी का माध्यम हिन्दी हो; मगर इसमें कहीं यह पता नहीं लगता कि आपने इसका माध्यम हिन्दी रखा है। आपको इसका माध्यम हिन्दी रखना चाहिये। यह अवश्य है और मैं आशा करता हूं कि यह इतना जल्दी संभव नहीं है कि इसमें हमको एक दम सफलता मिले; लेकिन अगर इसकी ओर कदम बढ़ाया जावे तो बहुत बड़ा कदम होगा और हमारी यूनिवर्सिटी की एक विशेषता होगी। इसके लिए मैं यह चाहूंगा कि इसमें जब सारा सामान खरीदा जावे उस समय टाइपराइटर जो खरीदें वे हिन्दी के ही खरीदें। यदि सारे के सारे टाइपराइटर हिन्दी के ही खरीदेंगे तो बादमें आपको हिन्दी के टाइपराइटर खरीदने में डबल पैसा खर्च नहीं करना होगा। इसलिये आप अंग्रेजी के टाइपराइटर न खरीद कर हिन्दी के ही टाइपराइटर खरीदें। अगर अंग्रेजी के खरीदेंगे तो बाद में चेन्ज करने होंगे। यह एक बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि इसका कार्य शुरू से ही हिन्दी में किया जावे और जब टाइपराइटर हिन्दी में होंगे तो कार्य हिन्दी में ही होगा। और इस तरह से धीरे धीरे कुछ वर्षों में हिन्दी कर दी जावे। यह एक विशेषता होगी और हमारी यूनिवर्सिटी का महत्व भी बढ़ेगा।

इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि हमारी शिक्षा पद्धति किस प्रकार की हो, इसके बारे में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जावे जो इस बात को देखेगी कि हमारे राजस्थान की शिक्षा का आगे आने वाला जो प्रकार हो वह किस प्रकार का होगा और इस पंचवर्षीय योजना में किस प्रकार राजस्थान में इसका विकास होना चाहिये। एक ऐसी योजना बनाई जावे जो १५ वर्षों के लिए हो। जिसमें यह हो कि किस प्रकार की हमारी शिक्षा होनी चाहिये, जो हमारे यहां के लोगों के लिये आवश्यक है और हमारी आवश्यकता किस प्रकार से पूरी की जा सकती है। इस तरह से १५ वर्षों में विशेष प्रकार का मार्ग लेकर चल सकते हैं। आज हम देखते हैं कि शहरों में झगड़े होते हैं, क्षेत्रीय भावना दिनो-दिन बढ़ती है। अगर हम इसके लिये कोई प्रबन्ध करेंगे कि क्षेत्रीय भावना नहीं पनपे तो यह भी एक बहुत बड़ी बात होगी। जब हम किसी प्लान से चलते हैं तो

(श्री सम्पतलाल)

हमें उसके लिये पहले प्लान बना लेना चाहिये और मैं यह कहूंगा कि हमारे शिक्षा क्षेत्र में कोई प्लान नहीं है। हम अनप्लान्ड चलते हैं। इसलिए आप इसके लिये कार्यक्रम बना कर निश्चित रूप से चलें तो मुझे आशा है कि आप देश का और राजस्थान का सुधार कर पावेंगे।

इस बिल में जल्दी जल्दी में बहुत सारी मिस्टेक्स रह गई हैं। इसलिये उनको हटाने के लिये मैं कुछ निवेदन करूंगा। क्लॉज़४ में:-

" (16) to borrow on the security of University property and subject to the prior concurrence of the State Government money for the purposes of the University."

I think it is not correct. मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री इसको सुधारने की कृपा करेंगे।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : It is a matter of amendment.

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : भाषा की दृष्टि से कोई गल्ती हो तो उसको ठीक करावें, अर्थ की गल्ती ठीक नहीं करावें।

श्री सम्पतलाल : यह तो आपकी योग्यता का परिचय है, यह तो ठीक है। इसी प्रकार ३० (४) में छठी लाइन में शब्द स्टेप्स लिखा है इसको भी सुधार लिया जावे तो ठीक होगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): It is a printing error.

श्री सम्पतलाल : सेक्शन १२ (६) में १५ दिन की मयाद अपील के लिये रखी है और कानूनन किसी भी अपील के लिये मयाद ३० दिन की होती है। इसके लिये एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बिल में भी ३० दिन की मयाद आपने रखी है। मेरी समझ में नहीं आता कि आपने इसमें सिर्फ १५ दिन की मयाद क्यों रखी है ? क्या आपकी मंशा इस यूनिवर्सिटी के लड़कों के साथ विशेष प्रकार की स्थिति करने की है जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के साथ नहीं है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि यह १२ (६) में जो मयाद १५ दिन की रखी है उसके स्थान पर ३० दिन की रखी जावे तो ज्यादा उपयुक्त होगा। इसी प्रकार कॉन्स्टीट्यूशन ऑफ सीनेट में ऑडिटर्स हैं, इसके अन्दर नहीं रखे गये हैं। मैं समझता हूं कि यदि यह एक्ट में रखा जाता तो ज्यादा उपयुक्त होता, जिससे किसी प्रकार की गड़बड़ी आगे जा कर एकाउन्टस में नहीं होती। Ordinarily the word "auditor" does not exist, Chartered Accountant should be used here or the word "Auditors" यहां पर यह सिस्टम है कि एकाउन्टस चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा ही प्रमाणित होते हैं, वे किसी भी एकाउन्ट का ऑडिट कर सकते हैं। इसलिये जो वर्ड ऑडिटर है उसके बजाय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट होना चाहिये; चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हाई स्टेन्डर्ड के होते हैं, आर्डिनेरी रूप के नहीं होते हैं। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में नहीं हैं। क्योंकि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बी. कॉम. पास करने के बाद ४ साल तक ट्रेनिंग लेने के बाद होता है और वह इस प्रकार से हाई स्टेन्डिंग स्टेटस का होता है इसलिये उसका होना जरूरी है। ऑडिटर उपयोगी नहीं है। इस प्रकार राज-

Page No. 42

(श्री सम्पतलाल)

स्थान एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में वर्ड्स् यूज़ नहीं किये हैं। माननीय मन्त्री महोदय इस पर विचार करेंगे तो इस सेक्शन में भी एमेन्ड-मेन्ट कर सकेंगे। इसके बाद यह है:

'and shall not be liable to question in any Court of law.'

मैं कहता हूं कि ये वर्ड्स् यूज़ हुए हैं इससे वे किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। कोई भी कोर्ट में जा सकता है। अगर किसी को किसी के प्रति शिकायत हो तो वह जा सकता है या किसी को किसी प्रकार की डिफिकल्टी हो तो उसको ठीक कराने के लिए न्यायालय में जा सकता है। इसलिए इसके लिये प्रतिबन्ध लगाना उचित नहीं है। यह कोई न्यायसंगत बात नहीं है। इन्साफ के लिए न्यायालय के अलावा दूसरा कोई अच्छा स्थान नहीं होगा, जहां पर उसको इन्साफ मिल सके। इसके बाद there is no clause of residuary authority as it is in Section 41 of the Rajasthan Agricultural University Bill. यह क्लॉज़ ठीक तरह से नहीं आया है। इसको बढ़ा दिया जावे तो ज्यादा ठीक होगा।

इसी प्रकार Age of retirement under Section 30; यह जोधपुर यूनिवर्सिटी बिल में नहीं रखी है। मेरा ख्याल है जल्दी जल्दी में यह बात भी रह गई है :—

"Subject to any provisions in the statutes to the contrary all the employees of the University shall ordinarily remain in service until the age of sixty years, whereafter they will retire."

लेकिन जोधपुर यूनिवर्सिटी बिल बनाते समय यह विशेष क्लॉज़ रह गया। अगर माननीय मन्त्री इसको बढ़ा दें तो ठीक होगा।

इसी प्रकार इसके साथ फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम आना चाहिये था। इसके नहीं आने से एक बहुत बड़ी कमी बिल को बनाने में रहेगी। इसलिये मेरा मकसद एक ही है और चूंकि इसमें कई कमियें रह गई हैं इसलिये मैं उनकी ओर सरकार का ध्यान दिलाते हुए यह निवेदन करूंगा कि इन कमियों को पूरा करने के लिए इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जावे तो बहुत अच्छी बात होगी। हम यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं, जो शिक्षा के बारे में है और उस बिल को बनाने में भी इतनी त्रुटियें रह जावें तो यह शोभाजनक बात नहीं होगी। अगर आपको कोई शंका हो कि इसमें ढिले करने की नियत से यह बात कही जा रही है तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पास पॉवर है, आप इसको पास कर सकते हैं जैसे कृषि यूनिवर्सिटी का हुआ है। अगर आप इस पर पूरा समय देते तो उचित था। यह बिल इतना जल्दी में बनाया गया है कि बहुत सी बातें इसमें रह गई हैं कुछ क्लॉज़ेज़ को इसके साथ एफिलियेटेड किया जावेगा। इसमें कुछ विशेषता होनी चाहिये वह नहीं रखी गई है।

मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूँगा कि कुछ बातें तो ऐसी हैं जिनको सरकार को स्वीकार कर ही लेना चाहिये। इसमें कुछ प्रावधान अवश्य हैं, जैसा मैंने नाम के बारे में कहा था कि किसी उपयुक्त व्यक्ति का नाम या सांस्कृतिक एकता के नाम पर कोई नाम ढूंढ सकें तो अच्छा होगा। इसके साथ साथ इसका मीडियम हिन्दी हो तो यह भी बड़ी

(श्री सम्पतलाल)

अच्छी बात होगी । मयाद बढ़ा कर ३० दिन की कर दी जाय। रेज़िड्यूरी क्लॉज़ को भी जोड़ दिया जाय और रिटायरमेन्ट की एज के बारे में जैसा मैंने निवेदन किया था कर दिया जाय तो कई बातों की कमियां रह गई हैं उनकी पूर्ति हो सकेगी।

कई माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष ....

श्री अध्यक्ष : श्री आनन्दसिंह कछवाहा।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा (जोधपुर-'अ') : अध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष में दस विश्वविद्यालय खुलने जा रहे हैं और उनमें से राजस्थान में दो खोले जा रहे हैं, यह बड़े हर्ष की बात है और उसके लिए मैं राजस्थान सरकार को बधाई देता हूँ। राजस्थान का जब से निर्माण हुआ है और राजस्थान इसीलिए बना कि सारी स्टेट्स के लोग मिलकर विकास करें। विकास योजनायें सरकार ने हमारे सामने रखी हैं, लेकिन चारों तरफ से क्षेत्रीय भावना को लेकर जो विरोध होता है यह एक दुर्भाग्य की बात है।

विकास कार्यों की जहां तक बात है चारों तरफ हर क्षेत्र में विकास के कार्य हो रहे हैं। उदाहरण के लिए ही मैं आपको बताऊं कि बीकानेर डिविज़न को ही ले लीजिये। मेडीकल कॉलेज है वहां पर। इन्जीनियरिंग कॉलेज वहां खुलने जा रहा है। राजस्थान केनाल है, सूरतगढ़ में बड़ा कृषि का फार्म खोल दिया गया है और हनुमानगढ़ में फर्टीलाइज़र फेक्टरी खोली जा रही है। कोटा को लीजिए, चम्बल-डेम है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक है और बड़े बड़े उद्योग वहां पर खोले जा रहे हैं। इसी प्रकार उदयपुर में भी राणा प्रतापसागर से बिजली मिलेगी, मिल है, मेडीकल कॉलेज है और खनिज विभाग भी वहां है, कृषि विश्वविद्यालय भी खोलने जा रहे हैं। इस तरह से उस डिविज़न में भी विकास के कार्य हो रहे हैं।

जयपुर को ही ले लीजिये। यहां राजधानी होने की वजह से बहुत काफी विकास हुआ है। मेडीकल कॉलेज यहां पर है, बड़े बड़े उद्योग खोले हैं और खुलने जा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जयपुर में कौनसे उद्योग खोले गये हैं ?

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : खुले हुए हैं और खुलने जा रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : पहले ही खुले हुए थे।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : जब जोधपुर के विकास की बात आती है तो विरोध होता है। चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे मेडीकल कॉलेज के नाम से हो, चाहे हाईकोर्ट के नाम से हो, कोई भी सब्जेक्ट हो तो जहां जोधपुर का प्रश्न आया नहीं कि विरोध होता है। यह एक बड़े दुख की बात है।

(घंटी)

श्री निरन्जननाथ आचार्य (राजसमन्द): We have a soothing atmosphere today, Sir.

Page No. 44

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : जब इसका विरोध होता है तो कहा जाता है कि इसको फिर सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय, येनकेन प्रकारेण किसी भी तरह से जब कोई जोधपुर के बारे में बात आती है तो उसको टाला जाता है। यह कोई शोभाजनक बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : जोधपुर यूनिवर्सिटी के भले के लिए डिले करवा रहे हैं।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : आप हम बैठे हुए हैं तो भला ही भला है। आप बार बार यह कहते हो. ..

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : हमारे मुंह पर पट्टी बांधना ....

श्री निरन्जननाथ आचार्य : बहुत देर हो गई।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : जब कोई जोधपुर के विकास की बात आती है,-चाहे मेडीकल कॉलेज की बात हो, चाहे विश्व-विद्यालय को बात हो तो बस एक्सपर्ट कमेटी से पूछा जाये, प्रवर समिति में भेजा जाय, कोई कमेटी बुलाई जाय, यह बार बार कहा जाता है। आखिर मैं पूछना चाहता हूँ कि मत तो कम से कम एकसा रहना चाहिये, आखिरकार चाहते क्या हैं ? मेडिकल कॉलेज की बात हो तो दुख होता है, यूनिवर्सिटी की बात हो तो दुख होता है !

मैं आपको उस समय की याद दिलाऊं जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तो कहां कहां क्या क्या रहना चाहिये, यह प्रश्न उठा था। हाईकोर्ट के लिये और राजधानी के लिये सरदार पटेल ने एक इन्क्वायरी कमेटी बैठाई थी जिसने २७-३-४९ को अपनी रिपोर्ट पेश की थी और उसने राजधानी जयपुर में रखने की रिकमन्डेशन की थी, जोधपुर में हाई कोर्ट, एक्साइज़ का विभाग और मिलिटरी का हैडक्वार्टर हो। इसके लिये विचार करने के लिए रखा गया और जोधपुर में विश्व विद्यालय खोलने का कहा गया। उसी प्रकार से सरकार ने हाईकोर्ट को जोधपुर में रखा। जब हाईकोर्ट की एक बैंच रखी गई तो दूसरी राव कमेटी का संगठन किया गया जिसकी ओर से २६-२-५८ को रिपोर्ट पेश की गई थी। उसने निर्णय दिया था कि हाईकोर्ट जोधपुर में ही रहे और जयपुर की बैंच को हटा दिया जाय। पब्लिक सर्विस कमीशन को और हायर सैकन्डरी एजुकेशन बोर्ड और रेवेन्यू बोर्ड अजमेर में रखे जायं। इस प्रकार से जब कमेटीज़ का निर्णय आता है तो आप उसको मान्यता नहीं देते हैं और जब कभी इन विषयों पर विचार उठता है तो कहा जाता है कि इसको एक्सपर्ट कमेटी के पास भेजा जाय, प्रवर समिति को भेजा जाय आदि बातें होती हैं।

जोधपुर विश्वविद्यालय का बिल पेश हुआ है उसके लिए कहना चाहता हूं कि जोधपुर में विकास कार्य कम हुए हैं। हाईकोर्ट के बारे में बार बार कहा जा रहा है। १५० आदमी कुल काम करते हैं उससे जोधपुर की आर्थिक स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : You agreed to that?

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : भिजवा दीजिये। जब विश्वविद्यालय की बात आई तो यह तो केवल आंसू पोंछने की बात है; हालां कि इसका बड़े जोर-शोर से विरोध किया जा रहा है। यह बिल जो आया है वह केवल आंसू पोंछने की बात है। मैंने एक प्रश्न पूछा था कि विश्वविद्यालय की बिल्डिंग कहां होगी, तो कहा गया कि मौजूदा बिल्डिंग है जसवन्त कॉलेज की उसमें। जसवन्त कॉलेज खुला हुआ है उसका पाटिया बदल कर विश्व विद्यालय का पाटिया लगा दिया जावेगा और कोई अधिक परिवर्तन होगा नहीं। जब विश्व विश्वविद्यालय खोलने जा रहे हैं तो सरकार की यह नीति स्पष्ट होनी चाहिये कि कौन कौन से कोर्स होंगे। यदि रेज़िडेन्शियल यूनिवर्सिटी होगी तो उसके लिए कोई बजट रखा जाना चाहिये था। जयपुर के अन्दर विश्वविद्यालय है उसमें जो कोर्स चल रहे हैं और पिछले एक-दो सालों में वहां नये नये कोर्सेज़ भी खुले हैं और खोले जा रहे हैं और जब विश्वविद्यालय जोधपुर में खोला जा रहा है तो जो कोर्स जयपुर में खुल रहे हैं यदि जोधपुर में भी खुलेंगे तो इससे सरकार को डबल खर्चा होगा। इसलिए इस बात का निर्णय होना चाहिये कि कौन कौन से कोर्स जयपुर में होंगे और कौन कौन से कोर्स जोधपुर यूनिवर्सिटी में होंगे। इससे सरकार को भी लाभ होगा और जनता को भी लाभ होगा। यदि कोर्सेज़ के बारे में ही निश्चय करेंगे तब ही वास्तव में यूनिवर्सिटी होगी नहीं तो केवल कॉलेज के पाटिये को बदलना हुआ। इस-लिये सरकार से जोरदार शब्दों में यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप यूनिवर्सिटी जोधपुर में खोलना चाहते हैं जैसी एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिये वैसी ही वह यूनिवर्सिटी खुले, अन्यथा यदि केवल कॉलेज के पाटिये को बदलना ही है तो इससे न ही खोलें तो अच्छा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : That is what we say.

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : डिसेन्टिंग नोट जिन माननीय सदस्यों की ओर से दिया गया है वे सिलेक्ट कमेटी में उपस्थित भी नहीं थे। कमेटी ने जो सर्व सम्मत निर्णय किया उसके बाद में देखते हैं कि डिसेन्टिंग नोट तैयार हो कर आते हैं। यह समझ में नहीं आया।

एक माननीय सदस्य ने बताया कि ६० फी सदी केरल में एजुकेशन है और राजस्थान में केवल १४ फी सदी ही है और इसलिए और यूनिवर्सिटी की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं जहां एजुकेशन नहीं वहां तो इसकी ज्यादा आवश्यकता है। वह डेज़र्ट एरिया है वहां कॉलेज नहीं; पोपुलेशन कम है वहां रेज़ीडेन्शियल यूनिवर्सिटी हो जिससे लोग आ कर लाभ उठा सकें।

एक माननीय सदस्य ने यह भी बताया गवर्नर राजस्थान इसके चान्सलर रहेंगे तो इस कारण वह भी सरकारी नीति पर चलेगा। लेकिन माननीय सदस्यों को यह पता होना चाहिये कि हर आदमी की हर जगह अलग अलग ड्यूटीज़ होती हैं। विधान सभा में हम आते हैं तो यहां के कानून अलग हैं, यहां के अध्यक्ष महोदय की आज्ञा को हम सब मानते हैं, बाहर जाकर हम यहां के कायदे कानून से बाध्य नहीं हैं। उसी प्रकार हमारे घर में

(श्री आनन्दसिंह कछवाहा)

हमारी ड्यूटीज़ अलग होती हैं। उसी तरह से गवर्नर महोदय के एज़ ए स्टेट हैड ड्यूटीज़ अलग हैं और चान्सलर ऑफ दी यूनिवर्सिटी उनके कार्य अलग होंगे। उसमें सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा मान कर चलना चाहिये।

अन्त में; मैं फिर एक बार सरकार से निवेदन करूंगा कि यूनिवर्सिटी आपको खोलनी है तो स्पष्ट नीति के साथ खोलें। रेज़ीडेन्शियल यूनिवर्सिटी के रूप में खोलें तो वहां के लोगों का भला हो सकता है।

श्री गंगासिंह (जायल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विश्व विद्यालय विधेयक इस सदन के समक्ष पेश हुआ है; उसका मैं स्वागत करता हूं। मैं यह समझता हूं कि राजस्थान जैसे बड़े प्रान्त के लिए ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज़ हों; ताकि यहां शिक्षा का ज्यादा से ज्यादा प्रसार हो सके। जहां तक जोधपुर विश्वविद्यालय का संबंध है यह सवाल आज का नही यह सवाल करीब दस साल से लगातार चल रहा है। १९५२ में जब असेम्बली बनी थी उस समय भी यह सवाल सामने आया था। आज दस साल के बाद में जोधपुर यूनिवर्सिटी बिल हाउस के सामने पेश हुआ है। इसके लिए मैं यह निवेदन करूंगा कि जब राजस्थान बना था उस समय जब स्टेट्स का मर्जर हुआ था जोधपुर के लिए यह आश्वासन दिया गया था कि वहां पर हाईकोर्ट की बैंच, यूनिवर्सिटी की सीट वगैरह रखी जायगी। जोधपुरवालों ने इसके लिए प्रयास भी किया लेकिन वे अब तक कायम नहीं हो सके। पहले जयपुर में यूनिवर्सिटी बन गई। लेकिन दस साल बाद यह यूनिवर्सिटी बिल हमारे समक्ष पेश होता है, जोधपुर में इसका सेन्टर हो। इसके लिए कुछ हाउस के मेम्बरान का ख्याल है कि जोधपुर एजुकेशनल सेन्टर नहीं वैसी परिस्थिति में इसका सेन्टर वहां न रखा जाय। मैं इस प्रश्न का उत्तर आपके समक्ष देता हूँ। आज जितने भी स्कूल्स, कॉलेजेज़ जोधपुर में बने हैं उससे जिस प्रकार से शिक्षा का प्रसार हो रहा है उसको देखते हुए विद्यार्थियों की सुविधा देखते हुए यूनिवर्सिटी का सेन्टर जोधपुर में रखा है वह उपयुक्त है। अभी तक उसका एरिया जोधपुर म्युनिसिपल एरिया तक ही सीमित रखा है उस एरिया के अन्दर जितने भी कॉलेज होंगे उनको उसमें सम्मिलित किया गया है। इसके साथ साथ यह भी ख्याल में रहना चाहिये कि ज्यों ज्यों इसका प्रसार होता जायगा राजस्थान का दूसरा एरिया भी इसमें सम्मिलित हो, इसमें दो राय नहीं हो सकती। क्योंकि यह यूनिवर्सिटी जहां तक मैं समझता हूँ फलीभूत होगी। इसका विकास धीरे धीरे होता जायगा दूसरे एरिया के कॉलेजेज़ भी इसमें सम्मिलित होते जायेंगे।

इसके अलावा यह भी प्रश्न पैदा हुआ है कि इस बिल को फिर सलेक्ट कमेटी में भेजा जावे उसका मैं विरोध करता हूँ। हकीकत में तो यह बिल कभी का पास हो जाना चाहिये था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। यह सलेक्ट कमेटी से एक दफा होकर आ गया है हालांकि इसमें कुछ गलतियां रह गई हैं; वे गलतियां अमेन्डमेन्ट्स द्वारा दुरूस्त की जा सकती हैं। इसमें कुछ क्लॉज़ेज़ ऐसे हैं जो वैल वर्डेड भी नहीं हैं, उनमें भी अमेन्डमेन्ट लाकर उनको अमेन्ड किया जा

(श्री गंगासिंह)

सकता है। इसलिये इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजना और इसको उस समय तक के लिये स्थगित कर देना कतई न्याय संगत नहीं होगा।

इस बिल के प्रावधान, खण्ड १५, १६, १७ उसके अन्दर यह प्रोविज़न नहीं रखा गया है कि सीनेट सिन्डीकेट फोर एकेडेमिक कौन्सिल्स की मयाद कितनी होगी। एक्ट में इसके लिये हकीकत में प्रोविज़न होना चाहिये। स्टेच्यूट में मनमाने तरीके से मयादें वगैरह बढ़ाई जाती हैं। यह एक्ट के अन्दर प्रावधान आना चाहिये, वह नहीं आया है। खण्ड ३१ वैल वर्डेड नहीं, कुछ सेक्शन्स ऐसे हैं वैल वर्डेड नहीं हैं परन्तु ये अमेन्डमेन्ट्स के जरिये दुरुस्त किये जा सकते हैं। इसलिये इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने का जो प्रस्ताव है इस प्रस्ताव पर विचार न किया जाय।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विश्वविद्यालय विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का जो प्रस्ताव आया है उसका मैं समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, जब यह विश्वविद्यालय जोधपुर में खोला जा रहा है इसके लिये व्यक्तिगत तौर से कोई एतराज नहीं किया जाना चाहिये। लेकिन जहां तक शिक्षा-पद्धति का सवाल है उसके लिये हमें राजस्थान के छात्रों की तरफ ध्यान देना होगा। कितने प्रतिशत छात्र किस कॉलेज से क्या क्या डिग्री लेकर निकलते हैं, कितने लड़के माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करके निकलते हैं; इस तरफ भी ध्यान देना जरूरी होगा। कारण यह कि जितने भी कॉलेज खोले जाते हैं कॉलेजों के साथ साथ उसकी बिल्डिंग आदि पर काफी खर्चा किया जाता है। विश्व विद्यालय खोले जाते हैं वह सिर्फ नेता लोग अपने बँटवारे का ख्याल रख कर राजनैतिक दृष्टिकोण के आधार पर खोले जाते हैं। राजस्थान के विद्यार्थियों को राजस्थान से बाहर शिक्षा के लिये न जाना पड़े, इसलिये ये विश्वविद्यालय खोले जाते हैं! लेकिन जहां तक विश्वविद्यालय के खोलने का प्रश्न है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती; किन्तु इसमें जो क्षेत्रीय भावना को सामने रख कर विचार हो रहा है वह ठीक नहीं है। आज देखा यह गया है कि जितने भी कॉलेजेज खोलने के लिये स्थान निश्चित किये जाते हैं वे सब क्षेत्रीय भावना को ख्याल में रख कर और नेताओं को राजी रखने के लिये, जोधपुर और उदयपुर के प्रतिनिधियों की संख्या मन्त्रिमंडल में ज्यादा है इसलिये उसी आधार पर सोचा जाकर ये कॉलेजेज आदि खोले जाते हैं। आज जोधपुरवालों का बहुमत है तो जोधपुरवालों को राजी रखने की कोशिश की जाती है। छोटे छोटे स्थान जहां पर शिक्षा का अभाव है, कई जगह स्कूलें हैं तो उनकी बिल्डिंग नहीं है, प्राइमरी स्कूल्स हैं तो मिडल स्कूल नहीं। कुशलगढ़ और बागीडोरा जहां मंत्री लोग जाते नहीं पंचायत समिति और नगर पालिका में कांग्रेस वाले नहीं हैं इसलिये वहां पर कुशलगढ़ में एक हाई स्कूल है, प्राइमरी स्कूल के अलावा न तो मिडल स्कूल है और न हायर सेकन्डरी स्कूल। वहां के विद्यार्थी जोधपुर में खुल रहे विश्वविद्यालय का क्या फायदा उठा सकते हैं? ये सब खोलने के पहिले मंत्री महोदय को यह देखना चाहिये कि कहां किस चीज का अभाव है; कहीं पर स्कूलें नहीं, कहीं पर स्कूलों की

(श्री हीराभाई)

बिल्डिंगें नहीं । वैसी हालत में ये यूनिवर्सिटी आदि बनाना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है ।

(१०.० म० पू०)

लेकिन जहां जो एरिया पिछड़ा हुआ है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता; जहां से कांग्रेस केन्डीडेट नहीं आता वहां ध्यान नहीं दिया जाता । अभी हमारे माननीय मुख्य मंत्री कुशलगढ़ आये थे तो स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जब तक आप लोग कांग्रेस के उम्मीदवार को नहीं जिताओगे तब तक यहां के लोग खड्डे में रहेंगे और इसकी तरफ कभी ध्यान नहीं देंगे और अगर कांग्रेसी उम्मीदवार को जिता दोगे तब तो कुशलगढ़ का भला कर देंगे ।

श्री अध्यक्ष : यह चुनाव की बात तो आप कह चुके हैं पहले भी कई बार । कोई दूसरी बात बताइये ।

श्री हीराभाई : सवाल यह है कि कांग्रेसी मिनिस्टर वहां से कोई बने तो वहां का अभाव पूरा हो सकता है । वह तो अभी नहीं हो सकता,एम०एल०ए०भी दूसरा आता है । इसके बारे में आश्वासन मिलना चाहिये कि वहां शिक्षा का काम इस कारण से रोका नहीं जावेगा और जो यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है उसमें पैसा खर्च नहीं करके पहले यहां के लोगों की शिक्षा का प्रबन्ध किया जावे । यह शिक्षा के माने में बहुत पिछड़ा इलाका है । जब कि और जगह राजस्थान में हाई स्कूल में पचास परसेन्ट लड़के पास हुए तो हमारे यहां सिर्फ १० परसेन्ट पास हुए । हम चिल्लाये । पर वहां टाइम पर शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं की जाती, बराबर लापरवाही बरती जाती है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, अपना विषय तो बिल्कुल छोड़ दिया ।

श्री हीराभाई : आप क्या चाहते हैं कि हम गुजरात और मध्यप्रदेश में जाकर पढ़ें ? गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, वहां के लोगों की शिक्षा का प्रबन्ध अच्छा होना चाहिये । उधर पैसा आप खर्च करें । जहां पहले से ही काफी शिक्षा का प्रबन्ध है वहां अगर न करें खर्चा पहले तो मैं समझूंगा कि यह सरकार का ठीक कदम उठ रहा है । पर यहां तो यह होता है कि जो जहां का मिनिस्टर होता है वह वहां के लिये करता है । कुशलगढ़ का मिनिस्टर हो नहीं सकता अभी तो, न जाने कब बनेगा और कब वहां कुछ होगा ।

श्री अध्यक्ष : यह मिनिस्टर की बात आप बहुत दफा दोहरा चुके हैं ।

श्री हीराभाई : ये अगर हमारी बात मान लें तो दोहराने की जरूरत नहीं होगी । इसलिये मेरा सुझाव है कि पहले राजस्थान के सारे क्षेत्र को आप शिक्षा के माने में बराबर में लावें । जोधपुर में आप विश्वविद्यालय खोलने जा रहे हैं, अगर सेन्टर में खोलते इसके बजाय, तो सब लोग वहां आसानी से जा सकते थे । गरीबों को टाइम पर शिक्षा मिल सकती है । वर्ना वह पाकिस्तान के बोर्डर पर है । ठीक नहीं है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर यूनिवर्सिटी बिल जो यहां प्रस्तुत किया गया है इस बारे में काफी मान-

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

नीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिये हैं। कुछ माननीय सदस्यों का ऐसा भी दृष्टिकोण रहा है कि जो यह बनाई जा रही है वह क्षेत्रीय भावना को लेकर बनाई जा रही है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : हाउस में तो ऐसा किसी ने कहा नहीं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मैंने जो कुछ सुना है सदन में वही कह रहा हूँ। तो इस बिल के कन्सीडरेशन के वक्त ऐसी बात नहीं कही जावे तो ठीक है।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इसमें खामियां बताई और सुझाव भी दिये और कहा कि इसे दूसरी सिलेक्ट कमेटी में भेजा जावे। यह पहले सिलेक्ट कमेटी में गया था। १७६ के हाउस में २१ सदस्यों ने इस पर विचार किया। वे काफी जानकारी रखते थे, विद्वान् थे और जो जो सुझाव उस समिति में आये उन पर पूरी तरह से विचार किया गया। काफी समय लिया, अगर समय की दिक्कत होती तो समय अधिक बढ़ाया जा सकता था, पर इसकी आवश्यकता नहीं समझी गई अधिक समय बढ़ाने की और सदन में उसकी रिपोर्ट पेश कर दी गई। वह हमारे सामने पेश है। तो अब ऐसी हालत में दुबारा यह कहना कि इसे दुबारा सुपुर्द किया जावे बिल्कुल उचित नहीं है। इस तरह से तो सदन का समय व्यर्थ नष्ट करना ही होगा। पहले भी काफी संजीदगी से और गहराई से और काफी समय लेकर विचार किया जा चुका है, सभी मुद्दों पर विचार किया है इस समिति ने।

एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि बहुत से सदस्य उसमें अनुपस्थित थे और वे अपने विचार वहां प्रकट करने से रह गये हों; हो सकता है, पर यह तब सही माना जा सकता है जब उनको सूचना नहीं दी गई हो। सूचना मीटिंगों की उनको बराबर दी गई। अब उन लोगों ने समिति की राय पर भरोसा करके और यह समझ कर कि समिति सभी मुद्दों पर विचार कर लेगी, नहीं भाग लिया। तो अब उसके बारे में कहना कि कोई बड़ी भारी खामी रह गई, यह उचित नहीं है। अगर वे अपने विचार उस समय व्यक्त करने से रह भी गये हों तो अब वे यहां विचार रख सकते हैं या कोई नये विचार हों तो अब लाये जा सकते हैं सदन में। फिर अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल तैयार किया गया है वह ज्यादातर हिन्दुस्तान के विभिन्न प्रदेशों की यूनिवर्सिटियों के एक्टों के आधार पर बनाया गया है; उनको भी इसे बनाते वक्त ध्यान में रखा गया है। मैंने भी इसे देखा है। दिल्ली की है, बनारस और अलीगढ़ की है; उनके जो अच्छे प्रोविज़न्स हैं वे सब इसमें लिये गये हैं और काफी ऑटोनोमस करेक्टर इसका बनाने की कोशिश की गई है। तुलनात्मक अध्ययन उनका करने से यह स्पष्ट है कि सरकार ने ऐसे कोई अधिकार अपने पास नहीं रखे हैं जो इसकी ऑटोनोमस शक्ल पर असर डालते हों; जैसे क्लॉज़ १० है। वह दूसरी यूनिवर्सिटियों के एक्टों में भी है। इसमें तो और भी ज्यादा नियन्त्रण रखा गया है।

वाइस चान्सलर हैड ऑफ दी स्टेट को नियुक्त किया गया है। उनके लिये भी कहा गया है। यह भी जैसा दूसरी जगह है, वैसा ही किया गया है।

तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

चान्सलर जो कि हैड ऑफ दी स्टेट हैं सरकार के साथ चलने का प्रश्न पैदा नहीं होता। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बिल में प्रावधान है वह बहुत ही प्रोग्रेसिव है। इतनी यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं उनके एक्सपीरियेन्स को देखते हुए ऐसे कोई प्रावधान नहीं रखे गये हैं कि जिनसे निकट भविष्य में कठिनाई उपस्थित हो सकती हो। लेकिन इस बिल के सारे क्लॉज़ेज़ को देखने से मालूम होता है कि ऐसी कोई विपरीत बात नहीं है कि जो यूनिवर्सिटी के वर्किंग में कोई डिफिकल्टी पैदा हो सके। माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्रजी अग्रवाल ने यह बात बताई कि सिन्डीकेट किस तरह से वर्क करेगी, अकेडेमिक कौंसिल और दूसरे दूसरे अपोइन्टमेन्ट्स वगैरह किस तरह से होंगे; उसके बारे में इस एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में विभिन्न क्लॉज़ेज़ को देखने से मालूम पड़ता है कि यह जो अधिकार है यह स्टेचूट के जरिये जो सरकार बना रही है उसमें आयेंगे और उसमें यह प्रावधान रखे गये हैं और इसके बारे में यह कहा जा सकता है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : वे स्टेच्यूट आपने देखे हैं जिनमें ये प्रावधान रखे हैं ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : स्टेच्यूट को यहां भेजने का प्रश्न नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, शिक्षा): स्टेच्यूट हाउस में तय किये जायेंगे।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: जहां तक स्टेच्यूट का प्रश्न है दूसरी यूनिवर्सिटीज़ एक्ट में भी प्रावधान है और इतनी पॉवर्स और अधिकार और वर्किंग सीनेट की, सिन्डीकेट की और अकेडेमिक कौंसिल वगैरह, सब के प्रावधान स्टेच्यूट के जरिये किये जायेंगे और उनकी राय लेकर ही सरकार जो प्रावधान बनायेगी वे हाउस के सामने आयेंगे और सरकार को इस बारे में ज्यादा से ज्यादा यह कहा जा सकता है कि एक्ट में कोई प्रावधान नहीं हैं इस बारे में तो स्टेच्यूट जल्दी से जल्दी तैयार किये जाने चाहिए; ताकि एक तरह से एक्ट पास हो जाये और स्टेच्यूट की धाराओं में जो विवरण दिया गया है; रेगुलेशन्स, ऑर्डीनेन्स जिसके जरिये कि यूनिवर्सिटी के वर्किंग के प्रावधान रखे गये हैं वे इसके साथ ही साथ तैयार हो जाने चाहिये, ताकि माननीय सदस्यों को जो भय लग रहा है कि यह यूनिवर्सिटी किस तरह से वर्क करेगी तो उनकी कमियां स्टेच्यूट के जरिये पूरी हो जायेगी। सरकार इस बारे में सोच सकती है। लेकिन सारे के सारे प्रावधान बिल में देना उचित नहीं है, क्योंकि सारी बातें बिल में लाई जायें तो फिर स्टेच्यूट की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। इसलिए दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के एक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए जहां कि स्टेच्यूट बनाये जाते हैं और उनके जरिये विभिन्न बोर्ड्स काम करते हैं तो हमें भय नहीं होना चाहिए कि इस यूनिवर्सिटी एक्ट के बनते ही उसमें बहुत दिक्कत पैदा होनेवाली है। तो इसका जो निराकरण है स्टेच्यूट और रेगुलेशन्स के जरिये हो जायेगा।

दूसरे, एक माननीय सदस्य ने कहा कि इसका नाम जोधपुर यूनिवर्सिटी क्यों रखा गया है; इसका नाम तो किसी हिस्टोरिकल

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

पर्सोनेलिटी के नाम पर दिया जाना चाहिए था। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी हमें दिखाई नहीं देती जो कि किसी पर्सोनेलिटी के नाम पर बनी हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस में बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हैं, राजस्थान में राजस्थान यूनिवर्सिटी भी है। तो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी किसी पर्सोनेलिटी के नाम से नहीं हैं। तो यह समझ में नहीं आता कि इसका दूसरा नाम क्यों रखने के लिए कहा जा रहा है। इसलिए किसी पर्सोनेलिटी के नाम पर इसका नाम रखा जाना ठीक नहीं रहेगा और ऐसा सुझाव मेरे विचार से ठीक नहीं है जो कि माननीय सदस्य के दिमाग में है।

इसके अलावा एक और दूसरी बात माननीय सदस्यों ने कही कि इसमें हिन्दी यूज़ होनी चाहिये और हिन्दी विशेष रूप से इस यूनिवर्सिटी में लागू होनी चाहिये; जबकि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी बात नहीं रखी गयी है। या तो फिर आप ऐसा करें कि पूरे राजस्थान में हिन्दी सारे विभागों में अनिवार्य रूप से लागू कर दें तो यह भी यूनिवर्सिटी में लागू हो सकती है। परन्तु विशेष रूप से हिन्दी का रहना ठीक बात नहीं है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, बीकानेर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कि दूसरी यूनिवर्सिटी जो जोधपुर में बनाई जा रही है इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी और उनका आर्ग्युमेन्ट इस पॉइन्ट पर है कि जब कि गांवों में शिक्षा बहुत अपूर्ण है और गांवों के लोग बहुत कम प्रतिशत पढ़ पाये हैं तो उनको पढ़ाने के लिए इस यूनिवर्सिटी की स्थापना नहीं की जानी चाहिए और अगर राजस्थान सरकार के पास फण्ड्स हैं तो उनको गांवों में शिक्षा के विकास के लिए लगाया जाना चाहिये; इस तथ्य को माननीय सदस्य कहां तक साबित कर पाये हैं; यह तो वही जान सकते हैं परन्तु यह सरकार का कर्त्तव्य है कि जहां गांवों में प्राईमरी शिक्षा चल रही है और विभिन्न संस्थायें बढ़ रही हैं तो बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए बराबर यूनिवर्सिटी भी उसी अनुपात में स्थापित की जाय। यह माननीय सदस्य को विचार करना होगा। तो मेरे विचार से माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कि गांवों में प्राईमरी शिक्षा देने के लिए सरकार का फर्ज है उसके साथ ही साथ उच्च शिक्षा के केन्द्र भी स्थापित करना सरकार का कर्त्तव्य है और उसी की आवश्यकता को देखते हुए उसकी पूर्ति करने के लिए जो जोधपुर में यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है यह स्वागत योग्य है और माननीय सदस्यों को किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिये। सरकार प्लानिंग को देखते हुए ही संस्थायें खोलती है तो इस तरह का कोई भय मालूम नहीं होना चाहिए और सरकार को यह मान कर चलना चाहिए कि जो भी शिक्षा का प्रसार उच्च शिक्षा के रूप में और प्राइमरी शिक्षा के रूप में जहां भी जरूरी हो सारे काम साथ ही साथ करने चाहिए ताकि प्राइमरी शिक्षा के साथ उच्च शिक्षा भी प्रगति करती रहे। सारे हिन्दुस्तान में प्लानिंग के अनुसार काम हो रहा है। इसमें ऐसी बात नहीं है जिसमें माननीय सदस्य को भय हो कि कोई काम ठीक तरह से नहीं होगा। इन बातों को रखते हुए जोधपुर यूनिवर्सिटी का जो बिल रखा गया है यह आदर्श बिल है और जिसका सबसे ज्यादा

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

ऑटोनोमस कैरेक्टर है और उसमें ऐसी वजूहात नहीं है कि जिसकी वजह से इसको दुबारा सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाये और इस पर ज्यादा समय दिया जा सके।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर दूं कि यह बहस ११।। बजे तक चलेगी और उसके पश्चात् सरकारी पक्ष की ओर से इसका उत्तर दिया जायेगा और फिर जो आगे की स्टेजेज़ होती है क्लॉज़ बाई क्लॉज़ कन्सीडरेशन में लेकर पारित करने की, वे दोनों स्टेजेज़ आज ही पूरी की जावेगी।

(विराम)

श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, सदन के सम्मुख इस समय दो संशोधन प्रस्ताव विचाराधीन हैं। एक प्रस्ताव इस बिल को दुबारा प्रवर समिति को सुपुर्द करने का है और दूसरा प्रस्ताव इस बिल को जनमत जानने के लिए प्रसारित करने का है। हमारी यह बहुत इच्छा होते हुए भी कि इस प्रकार का बिल जो राजस्थान में शिक्षा प्रसार की ओर एक कदम है उसमें अनावश्यक तौर से विलम्ब नहीं होना चाहिये तब भी हमें यह कहना पड़ता है कि मौजूदा बिल जिस शक्ल में प्रवर समिति में से निकल कर आया है उस रूप में यह काफी नहीं है। उसमें इस प्रकार की त्रुटियें अब भी काफी हैं जिनको केवल अमेन्डमेन्ट्स के जरिये दुरुस्त करना मुमकिन नहीं होगा। इसलिये मैं जो इस बिल को दुबारा प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ, लेकिन जो दूसरा प्रस्ताव है; जनमत जानने के लिए उसको मैं अनावश्यक और अनावश्यक तौर पर इस बिल में देरी करने का मानता हुआ उसका विरोध करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी चाहूंगा कि प्रवर समिति इस बिल को जल्दी से इस पर विचार करके गम्भीरतापूर्वक जिन मुद्दों पर मैं चाहता हूं, दुबारा विचार करे। यदि सरकार को वे मुद्दे स्वीकार हों तो इस बिल को दुबारा प्रवर समिति को सुपुर्द करने में कोई मतलब है। यदि सरकार इन मुद्दों को ही स्वीकार करने को तैयार नहीं है और प्रवर समिति में जाकर फिर उन मुद्दों पर विरोध करने का एटीट्यूड हो तो फिर इस बिल को दुबारा प्रवर समिति को रेफर करने में कोई अधिक सेन्स नहीं होगा। इसलिये मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार गम्भीरता से इस बात पर विचार करे और एक प्रवर समिति का सदस्य होने के नाते जब हम भी इस बात से कन्विन्स्ड होने में कासिर रहे हैं और सरकार इस बिल के द्वारा इस सदन में जो अपने इस कदम के बारे में जस्टिफिकेशन बताने में कासिर रही है लेकिन यह जो बिल आप पास कर रहे हैं उससे आपका उद्देश्य क्या है ?

अभी जिन माननीय सदस्यों ने इस बिल का समर्थन किया है और हम भी इस बिल का समर्थन करनेवालों ने जिस भावना से उन्होंने किया है उनमें से हैं। लेकिन जिन्होंने दुबारा इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने का भी विरोध किया है उन माननीय सदस्यों ने भी, जैसे जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, यदि इस बिल का मकसद यह है कि एक कॉलेज का पाटिया हटा कर उस पर यूनि-

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

वर्सिटी लिख दिया जाय तो इससे बेहतर यह होगा कि जोधपुर के लोगों पर फिजूल का एहसान करने के बजाय आप इस बिल को ही न लावें ।

मैं बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि यह जिस शक्ल में प्रवर समिति से निकल कर आया है उससे बिल्कुल ऐसी ही मंशा मालूम पड़ती है जैसे कॉलेज का पाटिया हटा कर यूनिवर्सिटी का पाटिया लगाने की नियत हो और इस दृष्टिकोण से हम जब इस प्रकार के बिल पर विचार करने बैठें राजस्थान में शिक्षा प्रसार की ओर एक नया कदम उठाने बैठे, हम अपनी तमाम जनता के सामने, आम लोगों के सामने और इस सदन के सामने सरकार को इसके एम्स एण्ड ऑब्जेक्ट्स के अन्दर जस्टिफिकेशन देना चाहिये कि क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी है और किस प्रकार से यह यूनिवर्सिटी इस आवश्यकता को पूरा करेगी ।

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि प्रवर समिति से इस बिल को इतनी जल्दी से निकालने की कोशिश की गई और यदि मैं यह भी कहूँ तो गलत नहीं होगा कि इस प्रवर समिति के सदस्यों का पूरी तरह से पार्टिसीपेशन चाहा भी नहीं गया । इस बात को बार बार कहा गया कि जिन दिनों में प्रवर समिति की मीटिंग रखी जा रही थी उस समय बजट में, ग्रान्ट्स पर बहस हो रही थी और माननीय सदस्यों को ग्रान्ट्स के लिये तैयारी का समय चाहिये था इसलिये इस प्रवर समिति में वे पूरा कॉन्ट्रिब्यूशन नहीं कर पाये । इसलिए इस प्रवर समिति की मीटिंग्स उस समय रखी जायं जब कि सेशन एडजोर्न हो रहा है, बीच में एक सप्ताह का समय मिल रहा है उसमें इस पर गंभीरता से विचार करेंगे । लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस निवेदन के बरखिलाफ इस प्रवर समिति में गवर्नमेंट की तरफ से यह एटीट्यूड अपनाया गया कि प्रवर समिति की मीटिंग्स ठीक उस समय बुलाई गई जब कि ग्रान्ट्स पर बहस होनेवाली थी और जब कि प्रवर समिति के कई माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण कटमोशन्स उस समय डिस्कस होने वाले थे और मुझे एक दफा की मीटिंग का इस तरह पता है कि कोरम पूरा नहीं हुआ तो इस सदन के एक माननीय सदस्य को पकड़ कर कोरम पूरा किया गया और इस प्रकार प्रवर समिति की मीटिंग को पूरा किया गया । तो अध्यक्ष महोदय, इस तरह सदन के सदस्यों का सहयोग और कॉन्ट्रिब्यूशन होना चाहिये था,

(श्री केसरीसिंह, सभापति, पदासीन)

जो नाम मात्र का भी न हो सका । सरकार को मानना चाहिये दूसरे दृष्टिकोण से आखिर उसमें कुछ फर्क है जिन्होंने कुछ........

श्री हरिभाउ उपाध्याय (शिक्षा मंत्री) : महत्वपूर्ण मुद्दे कौन से छूट गये हैं, वे बताइये ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने डिसेन्टिंग नोट दिया है उसमें जिक्र किया है, उस पर आपको और सदन को इस बारे में बताना जरूरी है । प्रवर समिति में किस प्रकार का एटीट्यूड सरकार ने अपनाया और किस तरह से अपनाना चाहिये ताकि आयन्दा दुरुस्ती हो, इसलिये मैंने जिक्र किया........

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आपने वहां पर ऐतराज किया था ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जी हां, किया था।

सभापति महोदय, जहां तक इस बिल का सवाल है, हमारा यह दृष्टिकोण है कि यदि इस बिल के जरिये यह बात बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि आप किस प्रकार की यूनिवर्सिटी इसको बनाना चाहते हैं; आज हमारा दृष्टिकोण यह है कि राजस्थान को एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बड़ी आवश्यकता है। आज अकेडेमिक यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी के तौर पर जयपुर में है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमने उदयपुर में कायम की और अब प्राविधिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी इसमें सेन्ट्रलाइज़ करके ज्यादा एफर्ट्स हम कर सकते हैं और हम अग्रसर हो सकें उसके लिए एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी जरूरी थी। यदि उस प्रकार को यूनिवर्सिटी का मकसद इस बिल में होता तो मैं उसका बहुत स्वागत करता और मैं अब भी सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि वास्तव में वे जोधपुर का विकास चाहते हैं और जोधपुर का विकास ही नहीं; बल्कि राजस्थान में वास्तविक शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति की दृष्टि से यदि इसको लाना चाहते हैं तो आज राजस्थान में टेक्निकल शिक्षा की प्रगति करिये और उसके लिए टेक्निकल यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है और यदि मुझे सही सूचना मिली है तो प्लानिंग बोर्ड ने भी शुरूआत की स्टेज में जब यूनिवर्सिटी बनाने की बात आई थी जोधपुर में राजस्थान की दूसरी एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी कायम करने के लिए ही सिफारिश की थी। लेकिन बाद में जैसी मुझे जानकारी मिली है, बिड़ला ब्रॉदर्स की तरफ से इस बात का विरोध किया गया। उनको इस बात से शिकायत थी, वे नहीं चाहते थे कि पिलानी को इन्जीनियरिंग कॉलेज इस प्रकार को टेक्निकल यूनिवर्सिटी के तहत आवे। उनका एम्बिशन है कि अलग टेक्निकल यूनिवर्सिटी के तौर पर पिलानी को बनाया जाय। वे किसी तरह से प्रेशर, अंडर प्रेशर डाल कर उसमें वे कामयाब हुए इस बात का असर डालने के लिए। इसलिये जो जोधपुर यूनिवर्सिटी वास्तव में सशक्त यूनिवर्सिटी होती, वास्तव में कारगर यूनिवर्सिटी होती जो टेक्निकल तौर पर आती उसको शुरू में ही सेबोटेज कर दिया गया। अब वह टेक्निकल न होकर इस तरह आई जिसके समान शक्ल कहीं भी मौजूद नहीं है।

सभापति महोदय, आगे वह क्वेश्चन भी गया और टेकनिकल यूनिवर्सिटी कायम करने की बात हटा दी गई। तो फिर दूसरे नम्बर पर विचारणीय प्रश्न यह है कि राजस्थान की यूनिवर्सिटी हैं, तो टीचिंग-कम-अफीलियेटिंग यूनिवर्सिटी है। तो टीचिंग-कम-अफीलियेटिंग यूनिवर्सिटी एक होते हुए अगर इस प्रकार की दूसरी यूनिवर्सिटी जोधपुर में कायम करना चाहते हैं तो मेरा यह निवेदन करना होगा कि यह हमारे धन का भी अपव्यय होगा और शक्ति का भी अपव्यय होगा और केवल अफीलियेशन करने के लिए आप दूसरी यूनिवर्सिटी कायम करें, उसमें कौनसा सिद्धान्त है और कौनसी समझदारी की बात है ? अफीलियेशन के लिए एक ही जगह में कोई खास दिक्कत नहीं होगी। अलबत्ता किसी विशेषता के लिए, विशेष तरह की स्टडीज के लिए, विशेष तरह की शिक्षा के लिए एक यूनिवर्सिटी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कायम करना चाहते हैं और क्योंकि आप तकनिकी यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते तो आप फिर इसको रेज़िडेन्शियल यूनिवर्सिटी बनायें जहां कम से कम एक जगह रह कर विद्यार्थीगण हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकें और हायर स्टेन्डर्ड प्राप्त कर सकें; हायर स्टेन्डर्ड की, अच्छे तरीके की शिक्षा हमारे राजस्थान में कायम हो सके तो वह बात हमारी समझ में आ सकती थी। लेकिन जिस तरह का खण्ड १ में प्रावधान किया गया है, उससे साफ दृष्टिगोचर होता है कि सरकार का लक्ष्य बिल्कुल साफ नहीं है, वह इस बात में अनडिसाइडेड है। उन्होंने यह भी कहा है कि यूनिवर्सिटी जोधपुर म्युनिसिपल लिमिट में हो, उसमें यह भी कहा है कि सरकार अगर चाहे, इसकी लिमिट तमाम स्टेट के अन्दर बढ़ा सकती है, और चाहे जिस इन्स्टीट्यूट को इस यूनिवर्सिटी के तहत ला सकती है, उसमें टीचिंग की बात कही है, उसमें अफ़ीलियेशन की बात भी कही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसके बारे में स्पष्ट होना चाहिये, सारा वह स्पष्ट रूप में होना चाहिए तब आप जस्टीफाइड होंगे इस दूसरी यूनिवर्सिटी को रखने के लिए। आप टेक्निकल यूनिवर्सिटी बना नहीं सकते; क्योंकि बिड़ला साहब का दबाव आ चुका है जिससे आप उठ नहीं सकते। तो फिर आप कम से कम रेज़िडेन्शियल यूनिवर्सिटी बनायें ताकि राजस्थान में एक विशेषता उसमें रख सकें। मुझे पता लगा है कि रेज़िडेन्शियल यूनिवर्सिटी की भी बात जोधपुर यूनिवर्सिटी की चलाई और उसका विरोध कुछ जयपुर के लोगों की तरफ से, जयपुर की कुछ ऑथोरिटीज़ की तरफ से हुआ है। उन्होंने कहा कि रेज़िडेन्शियल यूनिवर्सिटी कोई बनाई जाती है राजस्थान में तो वह जयपुर में होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि यह कोई जस्टीफाइड बात नहीं है, यह कोई समझदारी की बात है कि कोई काम अगर शुरु होना है तो जयपुर से शुरु होना चाहिए। इस तरह की अगर किसी की भी मनोवृत्ति, किन्हीं ऑथोरिटीज़ की रही तो गलत है और इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इस बिल को जस्टीफाई करने के लिए आप अपने ऑब्जेक्ट को स्पष्ट कीजिये और उसको रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी कम से कम बनाइये। अगर आप टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए अब भी विचार कर सकें तो इसको अवश्य कीजिये।

दूसरी बात, जो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि आम तौर पर इस सरकार का रुख, तमाम जो बिल्स वगैरह बनते हैं, जिनमें कि कुछ ऑटोनोमस बॉडी को क्रियेट करने का सवाल आता है या कोई स्वायत्त शासन संस्थायें क्रियेट करने का सवाल आता है तो आज के जनवादी युग में जब कि एक डेमोक्रेटिक सेट-अप के जरिये यह सरकार बनी है और डेमोक्रेसी की परम्पराओं को हम पनपाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं और उसूलन यह सरकार भी इस बात के लिए कमिटेड है, लेकिन बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि उसूलन कमिटेड होते हुए भी सरकार का हर कदम इस प्रकार के बिल लाते हुए डेमोक्रेसी को एक्सटेंड करने के बजाय डेमोक्रेसी को थ्रोटल करने की तरफ होता है, कम करने की तरफ होता है, सरकार झिझकते हुए हाथों से लोगों को अधिकार देने के लिए आगे बढ़ाती है, उसे हमेशा

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

संशय रहता है कि जनता की, इन बॉडीज़ को अधिकार दे दिया गया तो आसमान टूट पड़ेगा, गैर-जिम्मेदारियां हो जायेंगी, सब काम खराब हो जायगा। इसी प्रकार जब पंचायत एक्ट बना, हमने देखा जब जिला परिषद् एक्ट बना, हमने देखा; म्युनिसिपेलिटी के बारे में देखते हैं, अब यूनिवर्सिटी बिल, चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बिल हो या जोधपुर यूनिवर्सिटी बिल जो आ रहा है, इसके सम्बन्ध में हम देख रहे हैं। आप इस प्रकार का गम्भीर बिल ला रहे हैं, जिसका ताल्लुक पढ़े-लिखे लोगों के साथ है, ऐसे लोगों के साथ है जिन का इस देश की प्रजातंत्र की लड़ाई के अन्दर बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो इस बात में इन्ट्रेस्टेड हैं कि इस देश में डेमोक्रेटिक ट्रेडीशन्स बहुत गहरे तौर पर स्थापित हों, उन लोगों से डील करने में इस तरीके का रवैया अख्तियार कर रहे हैं। सिन्डीकेट जैसी बॉडी का, सीनेट जैसी बॉडी का, एकेडेमिक कौंसिल जैसी बॉडी को कॉन्स्टीट्यूशन और उसके पर्सोनल और काम करने के तरीके को इस एक्ट का हिस्सा बनाने के बजाय आप स्टेच्यूट के जरिये करवाना चाहते हैं, आप इसको सरकार के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से करवाना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सभापति महोदय, और इस सरकार से कहना चाहता हूँ कि आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। राजस्थान में और इस देशके अन्दर कांग्रेस के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि जनता ने किसी भी ऐतिहासिक घटना की वजह से सही, इस देश की हुकूमत की बागडोर सम्भालने की जिम्मेदारी कांग्रेस के ऊपर डाली है और इसलिए कांग्रेस के ऊपर नैतिक और वैधानिक जिम्मेदारी भी है कि इस किस्म के कदम आगे बढ़ाये जिससे देश में प्रजातांत्रिक प्रणाली मजबूत हो, चाहे उससे फौरी तौर पर इस हुकूमत को फायदा हो या नुकसान हो; क्योंकि यह एक्सीडेंट की बात है कि आज जो सदस्य ट्रेज़री बैंचेज़ पर इधर बैठे हैं, कल या अगले इलेक्शन में यह बात हो सकती है कि इधर बैठने वाले उधर बैठें और उधर के बैठने वाले इधर बैठें। इसलिये हम जो भी कदम उठायें वे तात्कालिक फायदे की दृष्टि से न हो कर आगे आने वाली पोस्टेरिटी की दृष्टि से किसी तरह की परम्परायें कायम करनी चाहिए। चाहे हम अॉपोज़ीशन में हों, चाहे ट्रेज़री बैंचेज पर हों, हम इस तरह की परम्परायें कायम करें जिससे आगे आनेवाले लोगों को मार्गदर्शन मिल सके, आगे आनेवाले लोगों को प्रेरणा मिल सके, जो प्रजातन्त्र को मजबूत बनानेवाली हो, ज्यादा से ज्यादा शक्ति ऊपर से आम लोगों में ले जानेवाली बात हो। अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो प्रावधान इस बिल में रखे गये हैं वे इस भावना के निगेशन हैं, वे इस ट्रेडीशन के निगेशन हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ, सरकार को इस मनोवृत्ति में बदलाव करना चाहिए और इसलिए सीनेट, सिन्डीकेट, एकेडेमिक कौंसिल इस बिल के अन्दर लानी चाहिए और चूंकि यह मुमकिन नहीं होगा कि अमेंडमेंट के जरिये इसको लाया जा सके, इसलिए यह गवर्नमेंट इस बात को स्वीकार करके, इसके पर्सोनल के बारे में खुद अपनी तरफ से सजेशन रख कर इसे सिलेक्ट कमेटी में रखे; ताकि सिलेक्ट कमेटी उसके ऊपर विचार कर सके।

तीसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हूं, सभापति महोदय, वह यह है कि इस किस्म के बिल इस सदन में लाते समय सरकार को यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिये कि उसके फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन्स क्या होने वाले हैं, किस प्रकार का बोझ राजस्थान के बजट के ऊपर पड़ेगा, किस प्रकार के आम तौर के, रूटिन खर्च, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग एक्स-पेंसेज होंगे; एक तरह का बजट, सम्भावित बजट की शक्ल में सदन के सामने उनको रखना चाहिए ताकि यह सदन इस बात पर बखूबी विचार कर सके। जब खास तौर पर, इन दिनों जब हम आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, हम चाहे उतना ही बजट प्रावधान कर दें फिर भी हमें यह विचार करने का मौका मिले और अगर आप थोड़ा पैसा देने का विचार कर रहे हैं, तो ज्यादा पैसा देने की बात हम कर सकते हैं। तो इस बात की जरूरत होती है कि फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम पेश हो। यह फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम चाहे टेक्निकल दृष्टि से, रूल ६१ की पूर्ति करने की दृष्टि से काफी हो, चूंकि चेयर की रूलिंग इस बारे में हो चुकी है, मैं उसको चैलेंज नहीं करना चाहता लेकिन हाउस को कन्विन्स करने की दृष्टि से, इस बात के नतीजे पर पहुंचने की दृष्टि से यह काफी नहीं है, जो फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम सदन के सामने रखा गया है और मैं उम्मीद करूंगा कि जब मन्त्री महोदय उत्तर देंगे तो सारे फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन्स सदन के सामने रखने की कोशिश करेंगे। हमने सिलेक्ट कमेटी में भी यह प्रयत्न किया था कि इस बात की हम जानकारी करें। जो सरकार की ओर से हमें जानकारी दी गई उससे हमारे दिमागों पर यह इम्प्रेशन पड़ा कि खुद सरकार इसके बारे में क्लियर नहीं कि इसके सारे फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन्स क्या हैं और सरकार शायद इस उम्मीद पर चल रही है कि यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन की तरफ से हमें काफी बड़ी ग्रान्ट मिल जाय और इसके आधार पर हमारी यूनिवर्सिटी चलेगी। लेकिन यह बहुत अच्छी बात होगी कि सेन्टर से ग्रान्ट कमीशन की तरफ से ज्यादा से ज्यादा मदद मिल सके वह लेनी चाहिये;परन्तु फिर भी बाहर से अनिश्चित रकम के आधार पर बहुत बड़ा कदम उठाना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए व्यवहारिक मालूम नहीं पड़ता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम अपने कितने साधन उपलब्ध कर पावेंगे, इसकी तरफ देखना होगा और जो हमारे सामने मुख्य उद्देश्य है वह समाप्त तो नहीं हो जावेगा। हमें इस दृष्टिकोण को सामने रख कर विचार करना चाहिये।

अंत में मैं माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि हमने डिसेन्टिंग नोट (dissenting note) में जोधपुर में सीट के बारे में जिक्र किया है, लेकिन उसका जिक्र करते हुए मेरा मकसद यह हर्गिज नहीं कि जोधपुर में हम इसकी सीट नहीं बनने देना चाहते। मैं तो यहां तक कहूंगा कि पटेल कमेटी की सिफारिश थी कि जोधपुर में यूनि-वर्सिटी कायम होनी चाहिये; वह बहुत पहले पूरी हो जानी चाहिये थी और जोधपुर के लोगों की यह जायज ग्रीवान्स है कि जिन बातों को देने का कहा गया है, जो उनके विकास में कुछ मददगार हो सकती हैं उनमें अनावश्यक डिले क्यों किया? लेकिन इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा क्योंकि जोधपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने इस

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बात का जिक्र किया है कि हाई कोर्ट का प्रश्न भी इस कमेटी ने तय किया था और हाई कोर्ट के प्रश्न पर इस प्रकार के झगड़े पैदा हो रहे हैं और लोग जोधपुर का विकास नहीं देखना चाहते। मैं माननीय सदस्य से अदब से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम वास्तव में राजस्थान का विकास देखना चाहते हैं और अगर हम राजस्थान का विकास देखना चाहते हैं तो राजधानी या हाई कोर्ट ही हमारे विकास के दरअसल साधन नहीं हैं। दरअसल हमारे राजस्थान के विकास के साधन इस बात पर निर्भर हैं कि कितने उद्योग-धन्धे हमारी सरकार राजस्थान में स्थापित करती है, कितनी इन्डस्ट्रीज़ डेवलप कर सकती है। तो वास्तविक विकास जोधपुर का होगा तो वह यूनिवर्सिटी से या हाई कोर्ट से नहीं होगा वह तो जोधपुर में डेवलपमेंट इन्डस्ट्रीज़ का होने से ही हो सकता है। उस इलाके में, जो इतना अधिक पिछड़ा हुआ है, वहां पर लोगों को रोजगार देने के, आमदनी बढ़ाने के लिए और उनके लिए एम्पलॉयमेंट की ओपोर्चुनिटी पैदा करनी चाहिये। यह बात दूसरे इलाकों के लिए सही बात साबित हो सकती है। मैं यह कहूँगा कि आपस में जो क्षेत्रीय भावना पैदा होती है इसका कारण भी यही है कि राजस्थान सरकार राजस्थान की पब्लिक को वास्तव में डेवलपमेंट ऑफ इन्डस्ट्रीज़ देने में असमर्थ रही है। इसलिये इन छोटी-मोटी बातों पर आपस में झगड़े होते हैं और इन लड़ाई-झगड़ों को खत्म करने की दृष्टि से मैंने अपने डिसेन्टिंग नोट में सुझाव के तौर पर बातें रखीं कि आप इस प्रकार किसी लॉकेशन की बात को लेकर प्रश्न को तय न करें। इसके लिये आप मॉडल रूल्स बना दें और लॉकेलिटी का मामला गवर्नमेन्ट की सैंक्शन से तय न हो, गवर्नमेन्ट इसको तय नहीं करे। आप इसके लिए हमेशा एक्सपर्ट कमेटी बना कर तय करें, जो किसी एक इलाके के न होकर सभी जगहों के प्रतिनिधियों की हो। इस तरह की कमेटी की सिफारिश पर जो इम्पार्शियल तरीके पर निर्णय पर पहुंचे और गवर्नमेन्ट को सिफारिश करे और गवर्नमेंट उसके अनुसार काम करे तो मैं समझता हूं कि यह क्षेत्रीय भावना जो थोड़ी बहुत कभी कभी उभड़ जाती है वह नहीं होगी और इस क्षेत्रीय भावना को रोकने में मदद मिल सकेगी। इसी दृष्टिकोण से मेरा सुझाव है कि इस सदन में लॉकेशन के बारे में कोई कन्टोवर्सी नहीं है कि जोधपुर में यह यूनिवर्सिटी नहीं हो, यह दृष्टिकोण हमारा नहीं है।

सभापति महोदय, एक छोटा पोइन्ट सर्विसेज़ के बारे में है। आपने प्रावधान किया है कि स्पेशल ऑफिसर मुकर्रर होगा और जो एपोइन्ट किया जावेगा उसकी परमानेन्सी नहीं होगी और अनिश्चित काल के लिये छोड़ा गया है। यह सर्विसेज़ के लिये उचित बात नहीं है।

यही चन्द बातें कह कर जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो इसको दुबारा प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

(बहुत से सदस्य बोलने खड़े हुए)

श्री सभापति : श्री आचार्य।

Page No. 59

श्री निरन्जननाथ आचार्य (राजसमन्द) : सभापति महोदय, इसके सम्बन्ध में दो प्रश्न पैदा हुए; एक तो विधेयक को दुबारा सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जावे और दूसरा प्रस्ताव है कि जनमत के लिये इसको प्रसारित किया जावे। इन दोनों का मैं विरोध करता हूं। विरोध इसलिये करता हूं कि विधेयक के क्लॉज़ के सम्बन्ध में जो भ्रान्तियां हैं, अगर वे स्पष्ट रूप से ठीक हो जाती हैं तो मेरी यह मान्यता है कि विधेयक को दुबारा सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने अथवा जनमत के लिये प्रसारित करने का प्रश्न पैदा ही नहीं होता। जो मुद्दे इस विधेयक के सम्बन्ध में उठाये गये हैं उनमें मुख्य प्रश्न क्लॉज १० के सम्बन्ध में है, जिसके मुतल्लिक बहुत कुछ कहा गया है। क्लॉज़ १० विधेयक का इन्स्पेक्शन के सम्बन्ध में है और इन्स्पेक्शन चान्सलर के द्वारा या चान्सलर के आदेश से एक व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा यूनिवर्सिटी का किया जा सकता है। परन्तु ये प्रशासनिक आन्तरिक मामले हैं जो वहां के निरीक्षण से सम्बन्ध रखते हैं। मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्न जो आया है वह यह है कि इसमें ऑटोनोमी को मर्सी पर रख दिया गया है। यदि यह स्पष्टीकरण हो जावे कि ऑटोनोमी स्वतन्त्र है तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसका स्पष्टीकरण प्रभारी मन्त्री करेंगे।

सभापति महोदय, क्लॉज़ १० एमर्जेन्सी के प्रश्नों को हल करने के लिये है। विशेष परिस्थितियों के लिये इसका निर्माण किया गया है और जब मैं परिस्थितियों के सम्बन्ध में निवेदन करूं तो मैं यह कहूंगा कि बनारस और अलीगढ़ विश्वविद्यालयों में विशेष परिस्थितियें विगत कुछ महीनों में उत्पन्न हुई। उस ओर आपका ध्यान दिलाना उपयुक्त समझूंगा और इसलिये समझूंगा कि आप इस पृष्ठभूमि का अध्ययन करें और जांच करें तो आपको स्पष्टत: मालूम होगा कि यह क्लॉज़ १० उपयुक्त है। इसलिये जब यह कहा जाता है कि ऑटोनोमी मर्सी पर है तो विशेष प्रकार से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों की ओर ध्यान नहीं जाता। फिर भी क्लॉज १० का जहां तक प्रश्न है यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जांच करने के पूर्व चान्सलर की ओर से एक नोटिस यूनिवर्सिटी को दिया जावेगा। यह ऑटोनोमी की सुरक्षा के लिये है। इसके साथ ही यह स्पष्ट कहा गया है कि यह रिपोर्ट किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जांच द्वारा तैयार की जावेगी जिसको चान्सलर महोदय उपयुक्त समझते हों इन्स्पेक्शन के लिये और जब चान्सलर जिस तरह से हमारी स्टेट का गवर्नर होने के साथ यूनिवर्सिटी का कुलपति भी हैं तो उनके कार्य पर कोई शंका नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में जो कुछ चान्सलर के आदेश से यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक मामलों में विशेष स्थितियों को संभालने हेतु किया जाए वह एक विशेष प्रावधान है। सभापति महोदय, इस क्लॉज़ १० के बजाय कोई दूसरा क्लॉज़ सबस्टीट्यूट करने का सुझाव हमको मिल सकता है तो उस पर विचार किया जा सकता है; कोई अन्य तरीका प्रशासनिक मामले की विषम स्थितियों को संभालने के लिये मिल सकता है तो उस पर विचार भी किया जा सकता है। इस ऑटोनोमी को स्वतन्त्र रखते हुए किया जा सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। अगर इस स्थिति के आधार पर हम यूनिवर्सिटीज़ में प्रशासनिक विषम स्थि-

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

तियों को सम्हालने का कोई प्रावधान नहीं रखते हैं, एमर्जेन्सी को परमिट करने का कोई प्रावधान नहीं रखते हैं, तो जिस प्रकार बनारस यूनिवर्सिटी में और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो स्थितियां पैदा हुई वे प्रत्येक यूनिवर्सिटी में उत्पन्न हो सकती हैं। सभापति महोदय, इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह प्रावधान कोई नया नहीं है, कोई अनोखा प्रावधान नहीं है। कई यूनिवर्सिटीज़ ने अपने एक्ट्स में इसको दोहराया है। जैसा मैं निवेदन करूं बनारस यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, शान्ति निकेतन और देहली यूनिवर्सिटी में इस प्रकार का प्रावधान है। अगर इसको हटा दिया जाय तो स्थिति यह होगी कि यदि किसी शहर में आग लगी हो और फायर ब्रिगेड को भेजने के प्रश्न पर विचार करने के लिए कोई कौंसिल बैठे कि किस जगह, किस स्थान से और कब फायर ब्रिगेड भेजी जाय तब तक तो आग ही समाप्त हो जायगी। इसीलिए इस प्रकार की एमर्जेन्सी की स्थिति को सम्हालने के लिए चान्सलर को अधिकार होने चाहिये।

कल विवाद में यह प्रश्न उठाया गया था, सभापति महोदय, कि इस विधेयक में गवर्नर को विज़ीटर बनाया गया है; जबकि राजस्थान विश्वविद्यालय कानून में प्रेसीडेन्ट को किया गया है। इसकी भ्रान्तियों को साफ करने में कोई कठिनाई नहीं है। प्रेसीडेन्ट जहां भारत के शासन से सम्बन्धित विश्व विद्यालय हैं वहां के लिए हैं और गवर्नर राज्य के विद्यालयों में विज़ीटर है। उनके स्तर में कोई फर्क नहीं है। जहां तक मुझे मालूम है भारत सरकार से सम्बन्धित यूनिवर्सिटियों में विज़ीटर प्रेसीडेन्ट हुआ करते हैं और प्रान्त में गवर्नर। भारत में कुल ४६ यूनिवर्सिटीज़ हैं; तो क्या हम हमारे प्रेसीडेन्ट को हर यूनिवर्सिटी में विज़ीटर बनाने की व्यवस्था कर सकते हैं? इससे ज्यादा पेचीदगियां होंगी और उनके समय आदि को देखते हुए भी यह सम्भव नहीं लगता कि उनको हर यूनिवर्सिटी का विज़ीटर बनाया जाय। इसलिए प्रेसीडेन्ट और गवर्नर की कार्य-प्रणाली में अन्तर नहीं पड़ता, जहां तक कि विज़ीटर के कर्त्तव्यों का सम्बन्ध है।

इस क्लॉज़ के सम्बन्ध में एक शंका और उठायी गई। सम्भवतः वह शंका इस आधार पर है कि चान्सलर के आदेशों पर सिन्डीकेट के माध्यम द्वारा बहस की जानी चाहिये और बहस के बाद वह डिसीज़न यूनिवर्सिटी पर लागू हो। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि एक रूप में चान्सलर हैड ऑफ दी यूनिवर्सिटी हैं और गवर्नर के रूप में वे हैड ऑफ दी स्टेट हैं। उनके आदेशों पर सिन्डीकेट में बहस हो और यह भी हो सकता है कि वे स्वीकार किये जायं अथवा अस्वीकार किये जांय सिन्डीकेट द्वारा! यह एक कॉन्स्टीट्यूशनल पोज़ीशन पैदा करता है इसलिए इस प्रकार का कोई सुझाव इस सम्बन्ध में ग्राह्य नहीं हो सकता। अतः जो प्रावधान क्लॉज़ १० में है वह अनुकरणीय है और उचित है; जहां तक विषमताओं को दूर करने का प्रश्न है।

दूसरी भ्रान्ति जो पैदा की गई है वह क्लॉज़ेज़ १४, १५, १६ और १७ के बारे में है। यह सीनेट, सिन्डिकेट और एकेडेमिक

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

कौंसिल की कार्य प्रणाली से सम्बन्धित है। यह प्रश्न पैदा हुआ है, १४, १५, १६ और १७ इन क्लॉज़ेज़ के अन्तर्गत कम्पोज़ीशन, कॉन्स्टीट्यूशन और टर्म्स ऑफ ऑफिस, सीनेट, सिन्डिकेट और एकेडेमिक कौंसिल के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं हैं। यह प्रश्न पैदा किया गया है और किया जा रहा है और जोर दिया गया है कि कॉन्स्टीट्यूशन का प्रावधान होना जरूरी है जैसा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी एक्ट के अन्तर्गत है। मेरा इस सम्बन्ध में यह सुझाव है, सभापति महोदय, इसमें कोई ज्यादा अन्तर नहीं है। जहां तक क्लॉज़ेज़ १४, १५, १६ और १७के इन प्रावधानोंका सम्बन्ध है इसमें बतला दिया गया है कि इनके सम्बन्ध में कॉन्स्टीट्यूशन, टर्म्स ऑफ ऑफिस इत्यादि प्रश्न हैं वे सब स्टेच्यूट के आधार पर निश्चित किए जावेंगे। यह एक समझने की बात है कि स्टेच्यूट और इनेक्टमेंट में कोई फर्क नहीं है। जब स्टेच्यूट बनाने का उल्लेख विधेयक में है तो इस सम्बन्ध में प्रावधान लाये जा सकते हैं। यदि प्रथम बार स्टेच्यूट सरकार द्वारा बनाया जा रहा है या सरकार का उसमें इन्टरवेन्शन है तो भी उसको अन्तिम रूप देने के लिये अधिकार लेजिस्लेचर को है। अगर सरकार द्वारा बनाये जाते और हमारी कोई उसमें अनुमति नहीं होती तो कहा जा सकता था कि सरकार का इसमें हाथ होना ऑटोनोमी पर आघात है। स्टेच्यूट का जहां प्रावधान है उसमें उल्लिखित है कि स्टेच्यूट हाउस की टेबल पर रखा जाएगा, उस पर वादविवाद होगा और जिस तरह का उसमें मोडिफिकेशन होगा, एनलमेन्ट होगा उसके आधार पर ही वह स्वीकार होगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : लेकिन लागू पहले से ही कर दिया जावेगा; जब एक्ट बन जावेगा तो उस समय से ही लागू हो जावेगा !

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह कहां है कि बन जाने के पहले ही लागू होगा ? मुझे नहीं दिखता है कि इस प्रकार लागू हो जावेगा।

यह प्रावधान कान्स्टीट्यूशन के सम्बन्ध में एक्ट में दिया जावे या स्टेच्यूट के अन्तर्गत, इसमें ज्यादा अन्तर नहीं। स्टेच्यूट जैसा कहा गया है कि प्रारम्भ में सरकार बनायेगी, किन्तु उसका सारा स्वरूप हमारी विधान सभा के सामने आवेगा।

इसके साथ साथ एक प्रश्न और है। दूसरी यूनिवर्सिटीज़, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए कहा गया कि इसमें ऐसा प्रावधान नहीं है। अलीगढ, बनारस, देहली इत्यादि में कॉन्स्टीट्यूशन आदि का प्रावधान स्टेच्यूट में किया गया है, एक्ट में नहीं। भारत सरकार ने यूनिवर्सिटीज़ का मॉडल एक्ट बनाया है उसमें भी कॉन्स्टीट्यूशन का प्रावधान एक्ट में दिया है। स्टेच्यूट में जो कानून का प्रावधान रखा है उसको मोडिफाई एवं निरस्त किया जा सकता है तो इसको पार्ट एन्ड पार्सल ऑफ दिस एक्ट समझा जा सकता है। इसलिए यह भ्रान्ति पैदा हुई, मेरे माननीय मित्र को, वह निर्मूल है।

इसके साथ साथ एक दिक्कत और भी जोधपुर यूनिवर्सिटी एक्ट में पैदा होगी। यदि

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

सीनेट, सिन्डीकेट और कौंसिल का कॉन्स्टीट्यूशन इस इनेक्टमेन्ट में दे दिया जाय तो एक दिक्कत और होने वाली है; वह यह है कि इस एक्ट को वक्तन-फवक्तन आवश्यकतानुसार अमेन्ड करते रहना पड़ेगा और जब अमेन्डमेन्ट आवेंगे तो उस वक्त माननीय सदस्य कहेंगे कि बार बार अमेन्डमेन्ट लाये जा रहे हैं इसलिए यदि कॉन्स्टीट्यूशन, टर्म्स ऑफ ऑफिस आदि के प्रावधान स्टेच्यूट में कर दिये जायं तो लेजिस्लेचर के सामने ऐसे अमेन्डमेन्ट्स के प्रश्न एवोइड हो सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : स्टेच्यूट में जो अमेन्डमेन्ट होंगे उनका क्या हाल होगा ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : स्टेच्यूट के सम्बन्ध में अमेन्डमेन्ट लाने का प्रावधान यूनिवर्सिटी एक्ट में रखा है, सहूलियत से आ सकता है।

इन बातों को तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर ये भ्रान्तियां मिट सकती हैं और ऐसा नहीं है कि दुबारा इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

(११.० म. पू.)

तीसरा प्रश्न जो रखा गया है वह यह है कि दूसरी यूनिवर्सिटी होने का कोई आधार नहीं है। मेरा ख्याल है, माननीय सदस्यों ने इस बात के लिए सहमति प्रकट की है कि दूसरी यूनिवर्सिटी का होना आवश्यक है। फिर भी सदन की जानकारी के लिए आवश्यक क्यों है, उसका आधार देना मैं उपयुक्त समझता हूं।

सभापति महोदय, जैसा कहा गया १९५४ में एक कमेटी का निर्माण किया गया राज्य सरकार द्वारा, जिसमें जयपुर के प्रिन्सिपल, जोधपुर के प्रिन्सिपल और एजुकेशन सेक्रेट्री के साथ साथ और थे दो, तीन और ऑफिसियल और नॉन ऑफिशियल मेम्बर भी उस कमेटी में थे। सन ५४ में इस कमेटी ने यह निर्धारित किया कि दूसरी यूनिवर्सिटी जोधपुर में होनी चाहिये। एक आधार तो यह हमारे सामने है। इसके अलावा मैं एक और भी निवेदन करना चाहता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा प्रान्त प्रगति करता जा रहा है तकनीकी शिक्षण, हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम्स चल रही हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं इस तरह से हमारे प्रान्त का जो विकास होता जा रहा है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता के साथ विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हमारे यहां चालीस हजार कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक मेरा विश्वास है साठ हजार विद्यार्थी कॉलेज जानेवाले हो जायेंगे। इसके साथ साथ सभापति महोदय, राजस्थान यूनिवर्सिटी पर विद्यार्थियों की अत्यधिक संख्या में काफी भार पड़ रहा है। एक्ज़ामिनेशन्स, इन्स्पेक्शन्स, कॉलेजेज़ आदि इस प्रकार का भार है जिसको हल्का किया जाना आवश्यक है। यदि यह भार बराबर रहा तो एफीशियेन्सी पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा सभापति महोदय, १९५०-५१ में कॉलेजेज़ का नम्बर ३५ था; वहां ६०-६२ में इसकी संख्या ६६ हो गई। इसका विवरण मैं सदन की जानकारी के लिए देना चाहता हूँ :

जनरल एजुकेशन के कॉलेज ५०-५१ में २२,
६०-६२ में ५६

Page No. 63

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

प्रोफेशनल एजुकेशन ५०–५१ में ८,
६०–६२ में २२

स्पेशल एजुकेशन ५०–५१ में ८,
६०–६२ में १८।

इस तरह से जहां सन् ५०-५१ में कॉलेजों की संख्या ३५ थी वहां ६०–६२ में वह बढ़कर ६६ हो गई है। इन आधारों पर भारतवर्ष में ४६ यूनिवर्सिटीज़ हैं और हर प्रान्त में एक से ज्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। उन प्रान्तों को छोड़ दीजिये केरल और आसाम जैसे, जिनकी कुछ विशेष स्थिति हो सकती है। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि दूसरी जगह एक ही यूनिवर्सिटी है इसलिए राजस्थान में एक से ज्यादा यूनिवर्सिटीज़ नहीं होनी चाहिये। जहां भारतवर्ष में ४६ विश्वविद्यालय हैं वहां एक प्रान्त में एक से अधिक यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। ग्रोइंग डिमान्ड ऑफ एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन आदि को देखते हुए और विभिन्न क्षेत्र की डिमाण्ड को देखते हुए यहां एक और यूनिवर्सिटी का होना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में मेरा ख्याल है कि सदन की सम्मति एक होती जा रही है। राजस्थान में एक यूनिवर्सिटी और कायम की जाय, इसमें दो मत होने की स्थिति नहीं है।

तीसरा प्रश्न पैदा किया गया जोधपुर में ही क्यों हो ? जिस समय यह बात हो रही थी उस समय सदन का सेन्स जैसा कि मैंने अनुभव किया जोधपुर के प्रश्न को लेकर कोई दो राय नहीं हुई। उसका आधार यह भी था कि जोधपुर के लिये पटेल कमेटी ने निर्णय लिया कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की सीट जयपुर के बजाय जोधपुर रखी जाय। उस समय यदि जयपुर से जोधपुर सीट ले जाई जाती तो जोधपुर वालों के लिये ज्यादा सहूलियत होती। लेकिन उस समय अन्य निर्णय लिया गया कि सीट जयपुर में ही रहे और दूसरी यूनिवर्सिटी जोधपुर में और खोली जाय। एक तथ्य की ओर मैं फिर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, कुछ साल पहले स्वर्गीय जोधपुर दरबार ने यहां की सरकार को एक संकेत दिया था। वह संकेत बड़ा प्रामाणिक था और वह यह था कि छीतर पेलेस वे यूनिवर्सिटी के लिए देने को तैयार हैं, दस लाख और बीस लाख रुपये देने का भी विश्वास दिलाया था। यह ऑफर उस वक्त सरकार के सामने रखा गया था। सरकार उस सुझाव को स्वीकार नहीं कर सकी, नहीं तो उस वक्त भी यूनिवर्सिटी जोधपुर में हो सकती थी। इसका मतलब यह है कि वहां की जनता की मांग, प्रतिष्ठित लोगों की मांग और पटेल कमेटी का निर्देश इन सब आधारों पर; दूसरी सीट जोधपुर में ही हो सकती थी। इसके अलावा जोधपुर को देखा जाय तो कॉलेज में जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या अजमेर, बीकानेर के विद्यार्थियों की संख्या से अधिक है। वहां पर दूसरे स्थानों की अपेक्षा कॉलेजेज़ की संख्या भी ज्यादा है। इसलिये इसके अलावा कोई दूसरा स्थान उपयुक्त हो सकता है, यह समझ में नहीं आ सकता।

इस प्रश्न पर ज्यादा वाद-विवाद नहीं कि यह सीट जोधपुर में रहे। दूसरी यूनिवर्सिटी की व्यवस्था जोधपुर में ही होनी चाहिये। इस पर एक और स्थिति पैदा हुई। वह बात प्रवर समिति के सामने भी पैदा हुई थी। जयपुर से आने-

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

वाले माननीय सदस्य ने भी उस बात की ओर इशारा किया था। यह बात स्वाभाविक भी थी। उसको हमने क्लॉज़ ५ के द्वारा निर्मूल कर दिया है। उसमें यह निर्देश है कि यूनिवर्सिटी का जुरिस्डिक्शन जोधपुर म्यूनिसिपल लिमिट के अन्दर ही होगा; "area or areas as may be defined by the Government," नोटिफिकेशन के प्रश्न पर शंका पैदा होती है। नोटिफिकेशन द्वारा यह अधिकार बढ़ते बढ़ते बीकानेर को भी प्रभावित करें। लेकिन हमने जो प्रावधान किया है उसके अनुसार नोटिफिकेशन द्वारा एरियाज़ को डिफाइन करेंगे और वह नोटिफिकेशन असेम्बली के एप्रूवल के बाद इश्यू होगा। सबसे बड़ा चैक इसमें यह लगाया गया है। अगर इसका जुरिस्डिक्शन म्यूनिसिपल एरिया से आगे बढ़ता जाता है तो इससे राजस्थान यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुंच सकता है। यह स्थिति पैदा न हो, इसलिये विधान सभा के सामने यह नोटिफिकेशन प्रकाशित होने के पूर्व प्रस्तुत होगा और उस पर असेम्बली का एप्रूवल लिया जायगा।

इस यूनिवर्सिटी का स्वरूप क्या हो, इस सम्बन्ध में अगर इस विधेयक को देखा जाय तो इसका स्वरूप इस विधेयक में साफ है। टीचिंग-कम-युनिटरी टीचिंग बिल्कुल साफ दिखता है। इसके अलावा भी इसके अधिकार बढ़ सकते हैं। जैसलमेर या पाली के कॉलेजेज़ इससे एफिलियेटेड हो जायं। लेकिन इसका स्वरूप टीचिंग-कम-एफिलियेटिंग यूनिवर्सिटी ही रहेगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो इतना बड़ा एक्सपेन्शन है फिर राजस्थान सरकार इस यूनिवर्सिटी के लिये इतना बड़ा एक्सपेन्डीचर कैसे कर सकेगी ? राज्य सरकार राजस्थान यूनिवर्सिटी का विकास नहीं कर सकती है और जहां एक यूनिवर्सिटी के लिये एक्सपेन्डीचर राज्य सरकार के लिये मुश्किल है तो फिर दूसरी यूनिवर्सिटी को इतना बड़ा रूप कैसे दे सकेगी; इस प्रकार के प्रश्न भी सदन में उठे हैं। जुरिस्डिक्शन के प्रश्न से ये भ्रान्तियां बिल्कुल साफ हो जाती हैं। फाइनेन्शियल इम्पलीकेशन्स........

श्री सभापति : Please cut your speech short now.

श्री निरन्जननाथ आचार्य : I will Just conclude within two minutes, Sir. एक बात सभापति महोदय, जयपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने रखी; यह विधेयक बड़ा छोटा है। मैंने इसका कम्पेरिज़न किया राजस्थान यूनिवर्सिटी विधेयक से। इस विधेयक में ३६ क्लॉज़ेज़ हैं और उसमें ४६ क्लॉज़ेज़ हैं। छः ऐसे हैं जिनमें टर्म ऑफ ऑफिस........

श्री भैरोंसिंह : इसके ८ पेज हैं और वह ३८ पेजेज़ में है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मोटे अक्षरों में है; ३८ क्या ६०-७० तक हो सकते हैं ! वृद्ध लोगों के पढ़ने लायक मोटे अक्षर हैं।

इसलिये मैंने अर्ज किया कि जहां तक क्लॉज़ेज़ का सम्बन्ध है कमेटीज़ की व्याख्या, कॉन्स्टीट्यूशन की व्याख्या सुपरफ्लुअस है; स्टेच्यूट आदि में दी गई है। इस एक्ट में बहुत फर्क है। कल एक साथी ने यह भी फरमाया

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

कि इसके साथ में स्टेच्यूट का मसविदा भी हो। मैं इस बारे में राजस्थान यूनिवर्सिटी एक्ट की हिस्ट्री की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। सन् ४६ में एक सम्मेलन-मेला हुआ। जितने भी रूलर्स थे वे इकट्ठे हुए और उन्होंने तय किया कि राजपूताना यूनिवर्सिटी होनी चाहिये। उसी प्रोक्लेमेशन के साथ इस राजपूताना यूनिवर्सिटी की नींव पड़ी। "And The God said, 'Let there be a light', and there was light." सभी राजाओं के प्रोक्लेमेशन से इसका जन्म हुआ। यहां की और वहां की स्थिति में फर्क है। इसलिये निवेदन करूंगा कि इसके अन्तर्गत भ्रान्तियां इस स्टेटमेन्ट से साफ हो सकती हैं। इसलिये दोनों ही प्रस्ताव अस्वीकार करने योग्य हैं।

श्री **भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, सबसे पहले तो माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय को मैं इस बात की बधाई दूंगा कि उनके शिक्षा मन्त्री होते ही राजस्थान के शिक्षा के क्षेत्र में तीन महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं। एक उदयपुर में कृषि विश्व विद्यालय की स्थापना, दूसरी जोधपुर विश्वविद्यालय की स्थापना और इसके साथ साथ जयपुर के तीनों कॉलेजों को राजस्थान विश्वविद्यालय में शामिल करने की घटना। माननीय शिक्षा मन्त्रीजी इस बात का गर्व भी कर सकते हैं कि उनके शासन काल के प्रारम्भ में ही इस प्रकार के तीन महत्वपूर्ण कार्य हुए।

लेकिन मुझे कुछ ऐसा भय लगता है कि यदि इस प्रकार के कार्य हमने संजीदगी से करने की चेष्टा नहीं की तो इसके परिणाम जो अच्छे निकलने चाहिये, उस प्रकार के नहीं निकलने पावेंगे।

सभापति महोदय, जहां तक एक नई यूनिवर्सिटी बनाने का सवाल है, उसका सदन में स्वागत किया गया है। राजस्थान में जिस प्रकार से शिक्षा की प्रगति हो रही है, उस सब को ध्यान में रखते हुए आज हम इस बात की आवश्यकता महसूस करते हैं कि राजस्थान में अधिक से अधिक हमारे शिक्षा के क्षेत्र, उसके विस्तार और उसके विकास को दृष्टि में रखते हुए हम यूनिवर्सिटियां खोलें। पर साथ साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटियों के द्वारा यदि हम क्वान्टिटिव बेनिफिट ही केवल डिराइव करना चाहते हैं तो वह भी समझ में आने वाली बात हो सकती है। पर जैसा राजस्थान के वित्त मन्त्री महोदय ने अपने बजट अभिभाषण में एक बात की ओर संकेत किया था कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार का विकास हुआ है उस विकास का परिणाम आज के नवयुवक समाज पर अच्छा नहीं हुआ, यह सरकारी स्तर पर एक ऐसी मान्यता है जिस मान्यता का हम यदि सही मूल्यांकन करें तो हमारे सामने यह प्रश्न गम्भीर रूप से उपस्थित होता है कि आज शिक्षा के विस्तार के युग में हमें क्वान्टिटिव एक्सपेन्शन पर ज्यादा जोर देना चाहिये या उसके क्वालिटेटिव रूप पर ज्यादा विचार करना चाहिये।

(श्री भैरोंसिंह)

मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय ने यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी होगी और कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर कोठारी ने जिस बात की ओर संकेत किया उसका भी ध्यानपूर्वक मनन किया होगा। उस सारी परिस्थिति में आज हमारे सामने यह एक प्रश्न पैदा होता है कि आज शिक्षा के स्तर में क्वालिटी किस प्रकार बढ़े, इस बात की चेष्टा करें।

अब सवाल यह आता है कि क्वालिटी बढ़ाने का केवल यदि यूनिवर्सिटी खोलने मात्र से काम पूरा होता है तो हम हर हालत में इस का स्वागत करना चाहेंगे। पर यूनिवर्सिटी में क्वालिटी पर जब तक हम विशेष परिस्थितियों का निर्माण नहीं करें कोई असर आने वाला नहीं है।

सन् ४७ में राजस्थान यूनिवर्सिटी बनी तब से अब तक शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार के कार्य हुए, आज उन सारे कार्यों को कन्डेम नहीं किया जा सकता। आज शिक्षा का विस्तार इस यूनिवर्सिटी के द्वारा जिस प्रकार से हुआ उसकी सराहना की जा सकती है। इस माने में भी सराहना की जा सकती है कि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज १२ टीचिंग डिपार्टमेन्ट्स इसके अन्तर्गत काम करने लग गये हैं। आज केवल शिक्षा के विस्तार में जहां क्वान्टिटी का प्रश्न आता है वहां कुछ सिलेक्टेड डिपार्टमेंट्स चालू किये जाकर क्वान्टिटी में वृद्धि कर सकते हैं। पर जहां क्वालिटी का प्रश्न आता है हमें सेपरेट रूप से इस बात का निर्धारण करना पड़ेगा कि जिस प्रकार की शिक्षा की सुविधाएं राजस्थान यूनिवर्सिटी में हैं यदि वैसी ही सुविधाएं, उसी शिक्षा की सुविधाएं जोधपुर में देना चाहते हैं तो सीधा-सादा इसका मतलब यह होगा कि एजूकेशन लाइन में आप क्वान्टिटी बढ़ाना चाहते हैं, क्वालिटी बढ़ाना आप नहीं चाहते।

मैं कहना चाहूँगा कि इस बेसिस पर सदन में तो ऐसा मान कर चलता हूं कि सरकार जिन कॉलेजेज़ को एफीलियेट करके चलेगी और एफीलियेशन का जो प्रोसीजर आगे है उसके आधार पर सरकार ने केवल क्वान्टिटी का दृष्टिकोण अपने सामने रखा है, क्वालिटी को नहीं रखा और अगर यह नहीं रखा तो कम से कम यह निश्चित करके चलना चाहिये कि जिन डिपार्टमेन्टों की यहां जयपुर की यूनिवर्सिटी में व्यवस्था है, कम से कम उस व्यवस्था के उन विभागों को छोड़कर जोधपुर में ऐसे सब्जेक्ट को स्पेशलाइज़ करने की कोशिश करें जिनकी सुविधा आज राजस्थान यूनिवर्सिटी से हम नहीं दे पा रहे हैं। इससे दोनों यूनिवर्सिटियों का विकास होगा। उधर उसका होगा और इधर इसका भी होता रहेगा। और यदि इसके विपरीत डुप्लीकेट डिपार्टमेन्ट ही चलाने की व्यवस्था की तो मैं आपके द्वारा यह बता देना चाहता हूँ कि इन दोनों यूनिवर्सिटियों में भी आगे जाकर क्लैश (clash) आ सकता है। इस नाते से नहीं कि जयपुर में ही इसकी शिक्षा है, उसकी शिक्षा जोधपुर में भी होगी, पर इस नाते कि डुप्लीकेट पर्पज़ के लिए ग्रान्ट्स को लेकर, सरकारी सुविधाओं के मामले को लेकर, भारत सरकार से प्राप्त सुविधाओं के बँटवारे के मसले को लेकर लाइन्स अलग रहती हैं तो प्रत्येक लाइन पर प्रेस्क्राइब करके

(श्री भैरोंसिंह)

चल सकते हैं, पर डुप्लीकेट पर्पज़ के लिए सहायता मिलेगी इस प्रकार की और डिस्ट्रि-ब्यूशन को लेकर कई बार मनमुटाव की स्थिति पैदा होगी, भेद खड़े होंगे, स्टूडेन्ट्स के नम्बरों पर, एफीलियेशन में आई हुई इन्स्टीयूशन्स के नाम पर और कई बार सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के बंटवारे को लेकर, क्षेत्र के बंटवारे के बारे में अलग अलग जाने का प्रयास कर लेंगे। तो इस तरह संघर्षमय स्थिति पैदा हो सकती है।

यह कहना कि इसे जोधपुर म्यूनिसिपल लिमिट में ही कन्फाइन रखना चाहते हैं, मैं समझता हूँ, यह सरकार स्पष्ट कह कर अभी आसपास के क्षेत्र में सन्तोष करना चाहती तो ठीक होता। एक तरफ म्यूनिसिपेलिटी की लिमिट का नाम इसलिए लेते हैं कि अभी छोटा रूप बता कर आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं। जोधपुर में यूनिवर्सिटी बने, इसका कोई विरोध करनेवाला नहीं है, यह विश्वास मैं दिला देना चाहता हूँ। आपके कॉलेजों का एफीलियेशन हो तो कोई इसका विरोध नहीं होनेवाला है। आप आज न कहें, पर कल जोधपुर, पाली, नागोर, बाडमेर आदि जगहों में जितने कॉलेज चल रहे हैं कल से वे इस बात की चेष्टा करना शुरु कर देंगे कि हमारा एफीलियेशन जोधपुर यूनिवर्सिटी से होना चाहिये। तो यह सारी परिस्थिति आगे जाकर निश्चित रूप से आवेगी। इसको सामने रख कर स्पष्ट शब्दों में कहेंगे और यह बताने की चेष्टा करेंगे तो गलतफहमी नहीं होगी। इस सारी स्थिति में कुछ कॉलेजों का एफी-लियेशन जोधपुर से होगा, कुछ का जयपुर से रहेगा तो आगे चल कर दोनों यूनिवर्सिटियों में कई प्रकार की दुर्भावनाएं पैदा हो सकती हैं। इन सारी दुर्भावनाओं को प्राइमरी और इनी-शियल स्टेज में किसी प्रकार से भी पनपने नहीं दिया जावे; ऐसी हालत में मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इन दोनों के लिए एक कोऑर्डिनेटिंग बॉडी का निर्माण करे जिसमें दोनों युनिवर्सिटियों के कॉन्स्टीट्यूशनल हेड चेयरमैन हों और वाइस चान्सलर मेम्बर हों और सरकार की तरफ से एजूकेशन और फाइ-नेन्स विभाग के सेक्रेटरी या सरकार की ओर से जो निर्णय ले सकता हो उस प्रकार के मेम्बर इस कोऑर्डिनेटिंग बॉडी के सदस्य होकर सभी प्रकार की पैदा होनेवाली दुर्भाव-नाओं को दूर करते रहने के लिए कोशिश करें। तो इस प्रकार की कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बना कर सरकार चले।

जहां तक राजस्थान यूनिवर्सिटी का सवाल आता है, मैं सभापति महोदय, यह कहना चाहूंगा कि आज जिस प्रकार का स्वरुप राज-स्थान यूनिवर्सिटी का है यदि यह टीचिंग-कम एफीलिएटिंग यूनिवर्सिटी है और जोधपुर की यूनिवर्सिटी को अभी आप टीचिंग यूनिवर्सिटी के नाम से इस समय बिल के रूप में आगे बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं लेकिन सरकार का सीधासादा मतलब आज चाहे हो या नहीं लेकिन अल्टीमेटली जोधपुर को रेज़ीडेन्शियल यूनिवर्सिटी बनाने का है। आज चाहे यह स्वरुप हमारे सामने जोधपुर यूनिवर्सिटी का न हो लेकिन कुछ दिनों के बाद हम यह प्रत्यक्ष रूप से लेकर चलें कि खोसला कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार हमारी सरकार सब निर्माण करने की चेष्टा कर रही है और उस खोसला कमेटी की रिपोर्ट है कि जोधपुर में रेज़ीडेन्शियल

(श्री भैरोंसिंह)

यूनिवर्सिटी बनाई जाये और इसके साथ ही साथ उदयपुर के अन्दर एक मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी बनाने की भी सिफारिश इस खोसला कमेटी ने की है। अभी सरकार हमारे सामने जोधपुर यूनिवर्सिटी को रेज़ीडेन्शियल यूनिवर्सिटी का स्वरुप देने का बिल न लाये लेकिन कुछ दिनों के बाद हमारी सरकार इस चीज को लेकर सदन के सामने आनेवाली है। इसके बाद जो इसका फल होगा वह हम सभी लोग जानते हैं। हमारी जयपुर यूनिवर्सिटी जो कि टीचिंग-कम-रेज़ीडेन्शियल यूनिवर्सिटी है इसकी पॉवर्स को लेकर एक प्रकार का संघर्ष हमारे सामने आयेगा। इसका कारण यह है कि ज्यादा प्रिविलेजेज रेज़ीडेन्शयल यूनिवर्सिटी को होते हैं तो जो आज तक फैकल्टी अजमेर के अन्दर नहीं बन पाई या राजस्थान की यूनिवर्सिटी जयपुर में नहीं बना पाई उसके सबसे ज्यादा चान्सेज़ जोधपुर के अन्दर होंगे। इसका मतलब यह है कि फैकल्टी हमारे राजस्थान में नये रुप से बनेंगी और एक नये सिरे से उनका निर्माण होगा। आज चाहे हम अजमेर में मेडीकल कॉलेज के खोलने की चेष्टा करें लेकिन जोधपुर यूनिवर्सिटी रेज़ीडेन्शियल यूनिवर्सिटी का स्वरुप लेने की कोशिश कर रही है। तो हमें इस प्रकार की फैकल्टी की वहां व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसी हालत में मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि आप चाहे उसको रेज़ीडेन्शियल यूनिवर्सिटी बनायें लेकिन इसके लिए जो आप राजस्थान में सारी यूनिवर्सिटीज़ का, राजस्थान की सारी एजूकेशन का, राजस्थान का सारे शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास करना चाहते हैं उसका कोई प्लाण्ड एण्ड फेज्ड प्रोग्राम होना चाहिए। उसके बेसिस पर यदि हमने स्पष्ट रुप से चलने की चेष्टा की तो यूनिवर्सिटीज़ के बीच में एक दूसरे के घात-प्रत्याघात करने की कोशिश नहीं होगी। अगर रेज़ीडेन्शियल यूनिवर्सिटी जोधपुर में बनती है तो उसका प्रभाव राजस्थान यूनिवर्सिटी के ऊपर पड़ेगा। तो यह जिस प्रकार की हालत में है राजस्थान यूनिवर्सिटी का विकास नहीं होगा और इसका केवल क्वान्टीटेटिव विकास होगा। यहां भवन बन सकते हैं, लड़कों की संख्या बढ़ सकती है लेकिन अकेले फैकल्टी के नाम से, अलग टीचिंग डिपार्टमेन्ट के नाम से, कभी विकास नहीं हो सकता। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि प्रारम्भिक काल में जयपुर और जोधपुर दोनों यूनिवर्सिटीज को टीचिंग यूनिवर्सिटी के बेसिस पर लेकर चलें ताकि एफीलियेशन के पोइन्ट को लेकर कॉलेजेज़ और यूनिवर्सिटी के बीच में संघर्ष पैदा न हो।

जहां तक इस बिल का स्वरुप आता है मैं सभापति महोदय, आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि वैसे तो आज चाहे जोधपुर के माननीय सदस्य खुश होते होंगे और हम भी खुश होते होंगे कि हमारे यहां महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज और कामर्स कॉलेज आज राजस्थान यूनिवर्सिटी में चले गए और उसी प्रकार से जब यूनिवर्सिटी जोधपुर में बन जायेगी तो वहां भी तीन-चार कॉलेजेज उसमें शामिल कर दिये जायेंगे; लेकिन मैं बता दूं कि आज हम चाहे खुशियां मना कर चलें लेकिन गर्मियों की छुट्टियों के बाद जब कॉलेजेज़ का एफीलियेशन होगा और स्टूडेन्ट जो अब तक ६६) रुपये पर-एनम फीस देकर शिक्षा प्राप्त करता था उसे २५०) रुपये देने पड़ेंगे तो लोगों को मालूम होगा कि हमारे

(श्री भैरोंसिंह)

सामने किस प्रकार की दुविधा हो रही है। आज कॉलेजेज़ के अन्दर जो सरकार की ओर से स्टूडेन्टस को फेसेलिटीज़ मिलती थीं वे यूनिवर्सिटी एजूकेशन में फैसिलिटीज नहीं मिलने वाली हैं। कॉलेजेज़ में अब तक यह था कि जिन स्टूडेन्ट्स के पेरेन्ट्स इनकम टैक्स पे नहीं करते थे उनको बिना फीस के ही वहां शिक्षा दी जाती थी और उनको कोई फीस देने की जरूरत नहीं थी; हरिजनों के लड़कों को फीस नहीं देनी पड़ती थी, गर्ल्स स्टूडेन्ट्स थीं उनको पोस्ट ग्रेजुएट एजूकेशन तक किसी प्रकार की फीस नहीं देनी पड़ती थी और महाराजा कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज़ अलग से होने के बावजूद भी महारानी कॉलेज में अलग से पढ़ाई कराने की व्यवस्था दे रखी थी। आज ये सारी की सारी फैसेलिटीज़ अपने आप में समाप्त हो जायेंगी और अगर ये क्लॉसेज़ यूनिवर्सिटी से एफीलियेटेड हुए तो सब को फीस देनी पड़ेगी। हो सकता है कि लड़के एक साथ बढ़ी हुई फीस देने को तैयार नहीं होंगे और कुछ इन्सटालमेन्ट के बेसिस पर ग्रेजुएली फीस बढ़ाने की चेष्टा करें लेकिन जैसा यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर है उसके आधार पर १००) रुपये की फीस एक साथ बढ़ानी पड़ेगी और यह सरकार स्वयं सोच ले कि क्या स्थिति इससे पैदा होने वाली है।

इसके अलावा जहां राजस्थान यूनिवर्सिटी के अन्दर इन तीनों कॉलेजेज़ का एफीलियेशन हुआ है वहां पर विद्यार्थियों की संख्या भी निश्चित कर दी है और उसके आधार पर महारानी कॉलेज में जहां पहले १,४०० छात्राएं ली जा सकती थीं। वहां १,००० ली जायेंगी, महाराजा कॉलेज में २,१०० छात्र लिये जा सकते थे उसके स्थान पर अब १,५०० लिये जायेंगे। तो एक तरफ तो संख्या विद्यार्थियों की कम होगी और दूसरी तरफ फीस बढ़ेगी और नई यूनिवर्सिटी भी बनेगी तो यह सारी चीजें ऐसे आनेवाली हैं कि यदि हम स्पष्ट नक्शा लेकर नहीं चलते हैं तो इसका उल्टा परिणाम हो सकता है और उस परिणाम से बचाने के लिये जो जयपुर से माननीय सदस्य हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से यह भी कहा था कि कानून हमें स्पष्ट बनाने चाहिये। इसमें सीनेट, सिन्डीकेट और अकेडेमिक कौंसिल का प्रश्न नहीं है, लेकिन इस कानून को स्पष्ट रूप इतना दे दें कि कोई भी आदमी की राय ली जाये तो उसको कष्ट नहीं उठाना पड़े। लेकिन आप यह कहते हैं कि जहां स्टेच्यूट बनाने के सेक्शन १० में पॉवर्स हैं वे हाउस के सामने रखे जायेंगे। लेकिन माननीय मन्त्री महोदय ने इसके खण्डों को पढ़ा होता तो मालूम होता कि उसमें लिखा है कि वह स्टेच्यूट हाउस में रखे जायेंगे पर वह खण्डों के साथ रखने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती यह है कि उसकी इनीशियल स्टेज में उन स्टेच्यूट्स के अन्तर्गत जो काम कराये जायेंगे उन कामों को किसी प्रकार से चेन्ज नहीं कर सकते, वह काम तो स्टेचुट के अन्दर माने जायेंगे। हम अगर स्टेच्यूट बना कर चलते हैं तो उसको एक्ट में इनकोर्पोरेट करते हैं तो बार बार अमेन्डमेन्ट करने पड़ेंगे। मैं सदन की जानकारी के लिए कह दूं कि यह डेमोक्रेटिक राइट है और वह इस बात का कि हम जिस प्रकार का कानून बनायें हमारी भावना को लेकर हम उसमें जिस प्रकार का परिवर्तन चाहें करने की

(श्री भैरोंसिंह)

चेष्टा करें। यदि उस अधिकार को हमसे लेने की चेष्टा की गयी तो आप मान कर चलें कि वह चलनेवाला नहीं है....

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, शिक्षा) : But University is not democracy. It is an instrument to serve the cause of democracy.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : But it is within the compass of Democracy.

श्री भैरोंसिंह : University is a part of Democracy.

मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी के अन्दर यह ऑटोनोमस जो व्यवस्था है यह डेमोक्रेटिक व्यवस्था है। शिक्षा के क्षेत्र को जितना पार्टी रूल से बचाना चाहेंगे यही डेमोक्रेसी का रियल ग्रोथ है। इसके लिए मैं बताऊं कि जितना सरकार का उन पर कंट्रोल होगा उतना ही यूनिवर्सिटी के अन्दर करप्शन बढ़ेगा। जितना कन्ट्रोल से आप बचाना चाहेंगे उतनी ही शिक्षा की जो पॉलिसी है वह दिन-ब-दिन ऊंची होगी। डेमोक्रेसी के अन्दर पार्टी रूल अवश्य होता है और यदि यूनिवर्सिटी के के ऊपर गवर्नमेंट का कन्ट्रोल होता है तो रेजीमेन्टेशन की व्यवस्था आती है और उस रेजीमेन्टेशन को बचाने के लिए इन यूनिवर्सिटीज़ का निर्माण किया जाकर उनका ऑटोनोमस फंक्शन किया जाता है। इसलिए डेमोक्रेसी की ग्रोथ के अन्दर ऑटोनोमी की बहुत जरूरत है और उसको खत्म करने के लिए यदि आप असेम्बली से बचना चाहते हैं तो गवर्नमेन्ट उसको नहीं बचा सकती। असेम्बली ही ऑटोनोमी की रक्षा कर सकती है, गवर्नमेंट नहीं कर सकती। गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा सत्ता लेने का अधिकार है और उसको क्रश करने का अधिकार लेजिस्लेचर को होता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो इस कानून के अन्दर स्टेच्यूट बनाने के और बाकी के जो पॉवर्स हैं वे अपने हाथ में लिए हैं और सबसे बड़ा जो अधिकार आपने क्लॉज़ ३९ में लिया है, मैं ऐसा समझता हूँ सभापति महोदय, राजस्थान की विधान सभा के इतिहास में इस प्रकार का जो कानून बना है इस कानून में यदि इस क्लॉज़ को रख कर चला गया तो आसानी से कहा जा सकता है कि इस डेमोक्रेसी का निगेशन है, इस एसेम्बली की इन्सल्ट है, इस विधान सभा के १७६ सदस्यों पर कुठाराघात है....

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी इस प्रकार का है।

श्री भैरोंसिंह : कौनसी जगह है बताइये ?

श्री परसराम मदेरणा : म्यूनिसिपल एक्ट में और पंचायत समिति व जिला परिषद् एक्ट में भी इस प्रकार का प्रोविज़न है और राजस्थान यूनिवर्सिटी एक्ट में भी इनकॉरपोरेटेड है।

श्री भैरोंसिंह : यह जो प्रोविज़न था हमने गवर्नमेन्ट को फर्स्ट स्टेज में इम्प्लीमेन्ट करने के लिए दिया था।

श्री परसराम मदेरणा : ये पॉवर्स भी गवर्नमेन्ट के पास ट्रान्ज़ीशनल पीरियड में हैं। प्रोवीज़ो देख लीजिये; ऑर्डर किस नेचर का होगा, यह भी देख लीजिये।

श्री भैरोंसिंह : क्लॉज़ ३९ में जो प्रोविज़न है उसमें और जिस समय जिला परिषद् और पंचायत समिति एक्ट और म्यूनिसिपेलिटी एक्ट की नेचर में फर्क है। वह एक्ट कॉम्प्लीकेटेड नेचर का था। राजस्थान में कई प्रकार के पंचायत एक्ट थे, कई प्रकार के नियम थे। उन एक्ट्स और नियमों के इन्टरप्रिटेशन में गड़बड़ हो जाय तो विधान सभा में अमेन्डमेन्ट लाने की जरूरत न हो और सरकार ही अमेन्ड कर सके, इसलिए यह अधिकार सरकार को दिया था। लेकिन आपने इस एक्ट में पॉवर लिया है वह इस बात के लिये लिया है कि एक्ट में कोई प्रावधान न हो तो आप इस क्लॉज़ के अन्तर्गत जिस रूप में चाहें उस रूप में परिवर्तन कर लें। वहां इन्टरप्रिटेशन और इम्प्लीमेन्टेशन करने का था, यहां जो पॉवर्स लिये हैं वे लिये हैं इसलिए कि जिस चीज को एक्ट में इनकॉरपोरेट नहीं किया है उसको इनकोरपोरेट कर लिया जाय। ऐसी हालत में यह क्लॉज़ यूनिवर्सिटी बिल में क्लॉज ३९ के रूप में लाये हैं वह जबर्दस्त चीज है। वह सारे डेमोक्रेसी और विधान सभा का निगेशन है, उसका नकारात्मक उत्तर है। सरकार यह कहे कि हमारे सामने इम्प्लीमेन्टेशन की दिक्कत आ सकती है तो मैं निवेदन करूंगा कि हमने बाकी कानून भी बनाये हैं, सब कानून नये बनाये हैं और नये कानूनों के इम्प्लीमेन्टेशन में कई बार दिक्कत आती है, गड़बड़ होती है और अगर गड़बड़ होती है तो उसकी रेमेडी यह है कि विधान सभा में उपस्थित हों। लेकिन इसमें विधान सभा से बचने की चेष्टा की गई है और विधान सभा से बचने की चेष्टा करने की प्रवृत्ति है तो यह निश्चित रूप से प्रजातंत्र के लिये घातक है। इसको तेजी से पास कराना चाहते हैं इसलिये इसके क्लॉज़ेज़ में कॉम्प्लीकेशन होगा, राजस्थान के शिक्षा क्षेत्र में डिफिकल्टीज़ आयेंगी। इस पर आप ठंडे दिल से विचार करें। अभी न होकर नेक्स्ट सैशन से शुरु हो सकती है। इस दृष्टि से दोनों ही चीजों पर मेरी आपत्ति है। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इसे दुबारा नयी सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हुआ अपना आसन ग्रहण करता हूँ।

श्री सभापति (श्री केसरीसिंह) : माननीय शिक्षा मंत्री बहस का उत्तर देंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : थोड़ा टाइम और बढ़ाया जाय।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापतिजी, अभी दो प्रस्ताव उपस्थित किये गये हैं। एक में यह चाहा गया है कि दूसरी प्रवर समिति के सुपुर्द यह विधेयक किया जाय और दूसरे में जनमत के लिए इसको भेजा जाय, यह मांग की गई है।

अभी तक जितनी बहस हुई उसको मैंने ध्यान से सुना। लेकिन मुझे खेद है कि मैं उन दोनों प्रस्तावों को स्वीकार करने में असमर्थ हूं। इसका यह कारण नहीं है कि यदि यह कानून सर्वांगीण सुन्दर बनाया जाय, यूनिवर्सिटी की स्थिति जो कायम होने वाली है, अच्छी की जाय, अच्छे वातावरण में यूनिवर्सिटी बनाई जाय, उसके लिए सरकार की ओर से, माननीय सदस्यों की ओर से जो कुछ प्रयत्न किये जायें उन पर सरकार विचार नहीं करे, ऐसी इच्छा नहीं रखते हैं। ऐसी स्थिति

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

में माननीय सदस्यों की ओर से जो सुझाव और जो सूचनाएं इस विधेयक को और अच्छा बनाने के लिए दी गई उन पर विचार किया गया।

माननीय सभापतिजी, जो प्रवर समिति पहले बनाई गई थी वह इस उद्देश्य से बनाई गई थी कि जो कुछ इस विधेयक में कमियां हैं वे निकल जायं और जिन माननीय सदस्यों ने प्रवर समिति में भाग लिया मैं समझता हूँ वे इस बात की गवाही देंगे कि सरकार की ओर से बराबर इस बात का यत्न किया गया कि उनकी भ्रांतियें और शंकाएं हैं उनका अधिक से अधिक समाधान किया जाय और इस प्रयत्न के बाद प्रवर समिति की रिपोर्ट आज सदन के सामने उपस्थित हुई है विचारार्थ। इसके बाद जो पत्र इसके साथ जोड़े गये और जो सूचनाएं उपस्थित की गई उनको देखते हुए उनका जो निराकरण किया गया, खास-कर माननीय सदस्य जो राजसमन्द से आते हैं उन्होंने अपनी युक्तियां जो पेश कीं उनसे मैं समझता हूं कुछ भ्रान्तियों का निराकरण अवश्य हो जाना चाहिये और यदि कोई रह गई हैं तो मैं भी स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं और आशा करता हूँ कि उसके बाद माननीय सदस्यों का ऐसा आग्रह नहीं रहेगा कि इसको प्रवर समिति को भेजा जाय।

लोक मत के लिये भेजने की स्टेज शायद अब नहीं है। पहली प्रवर समिति बनी उस समय सुझाव लाया जाता तो समीचीन था। उस समय भी आवश्यकता होती या नहीं, यह अलग प्रश्न है। जब प्रवर समिति बन चुकी तो उसके माने यह हैं कि बिल के सिद्धान्त को हाउस ने स्वीकार किया। उसके बाद फिर लोक-मत के लिये भेजा जाय, सुन्दर प्रतीत नहीं होता।

प्रवर समिति को दुबारा भेजने के लिये मुख्य मुख्य आपत्तियां उठाई गई, जिनमें मैं समझता हूँ एक क्षेत्र के संबंध में है, उसका एरिया क्या हो, स्वरूप क्या हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी भारत के और बाहर के भी शिक्षा शास्त्रियों का जहां तक उच्च शिक्षा से संबध है, विश्वविद्यालयों से संबंध है वे इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि केवल एफी-लियेटिंग यूनिवर्सिटीज़ से शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं होता। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजों को यूनि-वर्सिटी से लाभ मिलता है, नीचे के दर्जे के विद्यार्थियों को उससे लाभ नहीं मिलता। इस-लिये ज्यादा जोर इस बात का है कि टीचिंग यूनिवर्सिटीज़ हों और जहां तक हो रेज़िडेन्शि-यल हों; इस बात का ज्यादा जोर है। इसको ध्यान में रख कर जो विधेयक आपके सामने प्रस्तुत किया गया है उसे बनाया गया। यह केवल शिक्षा विभाग की ओर से ही प्रस्तुत नहीं किया गया; बल्कि खोसला साहब जो प्लानिंग कमीशन के सदस्य हैं उनके सभा-पतित्व में एक कमेटी बनाई गई थी और अपने यहां की यूनवर्सिटी, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है, उसके वाइस चान्सलर उसमें थे और उनके साथ दिल्ली के वाइस चान्सलर और दूसरे लोग भी थे, अपने यहां के शिक्षा सचिव भी थे, उनके सामने यह प्रश्न था कि जोधपुर यूनिवर्सिटी बनाई जाय वह किस नमूने की हो। उन्होंने जो सुझाव दिये उनके आधार पर यह विधेयक आपके सामने उपस्थित किया गया है।

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

एक माननीय सदस्य जो जयपुर से आते हैं उन्होंने बताया कि राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो कानून है उसमें और इसमें बड़ा फर्क है। लेकिन यदि फर्क नहीं होता तो आश्चर्य की बात होती, क्योंकि वह कानून सन् ४७ में बना था। उसके बाद भारत में जगह जगह यूनिवर्सिटीज़ बनीं, तरह तरह के अनुभव हुए–अच्छे भी हुए, बुरे भी हुए। उन सब का लाभ उठाना हमारे लिये वाजिब था। उनका लाभ उठा कर इस दृष्टि से जोधपुर में या दूसरी जगह यूनिवर्सिटी बने वह अच्छी बने, अच्छी दृष्टि से बने, इस दृष्टि से परिवर्तन किये गये। यह नहीं करते तो यह कहा जाता कि हमने लाभ नहीं उठाया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आप उदाहरण के लिए एक भी क्लॉज़ बता दें तो अच्छा हो, इस कानून में, जिसमें पहलेवाले कानून से कुछ इम्प्रूवमेंट हो।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इस एक्ट को ज्यादा प्रेक्टिकेबल बनाने की कोशिश की है और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जो कटु अनुभव हुए हैं, उनसे लाभ उठा कर एक व्यावहारिक रूप से यूनिवर्सिटी अच्छी तरह चल सके और सिद्धान्तों और आदर्शों की हत्या न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें सीनेट या सिन्डीकेट के फंक्शन्स का कोई प्रोविज़न नहीं किया है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सिन्डीकेट का क्या कॉन्स्टीट्यूशन है?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं निवेदन करूं कि सिन्डीकेट बनाया जाना विचाराधीन है और स्टेच्यूट और ऑर्डिनेन्स बननेवाले हैं, उनमें डिटेल्स की बात हो, उसको सुरक्षित रख दिया गया है, क्योंकि जो भी आज नये नये विधेयक बनते जा रहे हैं, उनमें यह ट्रेडीशन है कि जो भी डिटेल्स की बात है, वह विधेयक में न लाई जाय जिससे कि बार बार संशोधन लाने के लिए संशोधन हाऊस में न लाने पड़ें। यह जरूरी है इस दृष्टि से और इसके अलावा इस दृष्टि से कि यूनिवर्सिटी की ऑटोनोमी में बाधा न डाली जाय और दैनन्दिनी में कई कठिनाइयां आती हैं वे न आवें और यूनिवर्सिटी का काम शांति और व्यवस्था के साथ हो। इस उद्देश्य से राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो पहले इजिक्र था उसको इसमें नहीं किया है।

दूसरी कठिनाई पेश की गई, उसमें क्षेत्र–वाली बात कही गई। क्षेत्र में यह आशंका प्रगट की गई थी कि आज जो कॉलेजेज़ राजस्थान यूनिवर्सिटी से संलग्न हैं, कहीं ऐसा न हो कि वे कॉलेजेज उससे हटा करके जोधपुर यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ दिये जायें। सरकार की जो मन्शा है जोधपुर यूनिवर्सिटी बनाने की, वह टीचिंग यूनिवर्सिटी बनाने की है और उसे बना सकें और बाद में साधन सुलभ हो सकें तो रेज़िडेन्शियल यूनिवर्सिटी बनाने की है। लेकिन उसका जिक्र इसलिए नहीं किया, क्योंकि उसका जिक्र करना बेमानी है। अभी एक सदस्य ने कहा यूनिवर्सिटी के लिए खर्च की रकम देने के बारे में कि राज्य का अपना पैसा

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

ही आधार है। यह प्रश्न उठाया। मैं निवेदन करूं कि इसका खर्च हम कर भी लेंगे, जिसका कि फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम दिया है और वह काम चलाऊ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आयेगी। यूनिवर्सिटी का खर्च उठाने में दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या रखते हैं, क्या होगा, यह बात पीछे ली जायगी। बाद में यूनिवर्सिटी का स्तर ऊंचा उठाने के लिए और अधिकांश विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए अगर रेज़िडेन्शियल यूनिवर्सिटी का प्रश्न आयेगा और रेज़िडेन्शियल यूनिवर्सिटी बनती है, अब इसमें यह होता है तो जोड़ दिया गया है दूसरा क्लॉज, उसके निवारण के लिए क्लॉज डाल दिया गया है। अब यह कोई जरूरी नहीं है कि उस स्तर पर आज ही पहुँच जायगी क्योंकि पहले इस यूनिवर्सिटी को जमाने में चार-पांच साल लग जायेंगे। यह होने के बाद यह आवश्यक नहीं है कि जोधपुर की सीमा के बाहर, म्यूनिसिपेलिटी की सीमा के बाहर दूसरे कॉलेजेज़ लिये जायेंगे। चार, पांच वर्ष के बाद उस वक्त के लोग उचित समझें कि इस यूनिवर्सिटी को अफीलियेटिंग यूनिवर्सिटी करना है तो उसका रास्ता आज ही न रोक दें, उसका रास्ता खुला रखें जिससे अमेंडमेन्ट एक्ट में न जाना पड़े। इसलिए इसमें एक गली और एक रास्ता रख दिया गया है। वास्तव में सरकार की मन्शा यह है कि जहां तक जोधपुर म्यूनिसिपेलिटी का एरिया है वहां तक इसकी सीमा हो, म्यूनिसिपेलिटी के क्षेत्र से आगे नहीं हो।

तीसरी, फंड की बात कही गई थी। उसके लिए फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम पेश कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि इस पर सदन का अधिक समय लेने की आवश्यकता नहीं है। उससे इसकी काफी पूर्ति हो जाती है।

एक मुद्दे पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया, जैसा अभी जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कोऑर्डिनेशन के लिए जिक्र किया खोसला कमेटी के सिलसिले में। मैं यह बता दूं कि खोसला कमेटी ने राजस्थान के शिक्षा शास्त्रियों की राय ली। मैं यह बता दूं कि मैं शिक्षा शास्त्री नहीं, मैं साधारण व्यक्ति हूं, लेकिन खोसला कमेटी में शिक्षा शास्त्रियों की गवाहियां हुई हैं। उसके बाद स्थान तय हुआ है। मैं कोई दावा नहीं करता कि मैं शिक्षा शास्त्री हूं, इसलिए इसका क्रेडिट मुझे नहीं मिल सकता लेकिन शिक्षा शास्त्रियों की राय लेकर इसका रूप प्रस्तुत किया है और यह बहुत प्रमाणित और आधारयुक्त है। माननीय सदस्य ने कहा कि उन्हें इस बात का गर्व है कि मेरे समय में दो-तीन काम हो रहे हैं। इसका मुझे गर्व नहीं है, क्योंकि ये पूर्व योजनायें थी। अगर इसका श्रेय किसी को है तो वह पुराने शिक्षा मंत्री को है, मैं तो उस योजना की पूर्ति के लिये आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। अगर इसमें कोई अच्छा काम है तो इसका श्रेय उनको है और अगर इसमें कोई कमी रह जाती है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं चाहता हूँ हृदय से कि इस विधेयक में कोई कमी न रह जाय। फिर भी कोई कमी रह सकती है तो उसकी पूर्ति बाद में हो सकती है।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : जैसा आपने फर्माया, विधेयक में कोई कमी न रह

(श्री अब्दुलजब्बार)

जाय, मैं निवेदन करूं कि वाइस चान्सलर के अपोइन्टमेंट के संबंध में बहुत बड़ी गलती है, जिसके लिए मैं हाइकोर्ट की रूलिंग रेफर कर सकता हूं। इसमें जो क्लॉज़ है वह ऐसा है कि कोई भी किसी समय कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकता है। ए. आई. आर. ५७ को मैं रेफर करता हूं जो इसमें प्रोविज़न है, वह इसके खिलाफ है, when the term of Vice Chancellor expires how can he be re-appointed. Whether the terms for his re-appointment will be the same as and when he is re-appointed, यह डिफेक्टिव है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसमें एक संशोधन मैंने खुद ने ३ पर उपस्थित किया है। मै उसे पढ़ देता हूँ, जिससे माननीय सदस्यों की शंका का निवारण हो जाय। उसके सब-क्लॉज (३) में after the words 'eligible for re-appointment for a second term' insert the words' and such re-appointment shall be made upon the recommendation of the Selection Committee referred to in sub section (1)' यह इसमें कमी नजर आई थी, उसकी कमी पूर्ति कर दी गई है। इसलिए यह जो आशंका है कि उसके अपोइन्टमेंट में कोई स्वेच्छाचारिता होगी किसी प्रकार की, ऐसी बात नहीं है।

श्री अब्दुलजब्बार : शुक्रिया साहब।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं निवेदन कर रहा था कि कोऑर्डिनेशन के लिए जिक्र किया यह चिन्ता व्यक्त करते हुए कि यह यूनिवर्सिटी है जो जोधपुर की बन रही है, आगे जाकर यह एफीलियेटिंग यूनिवर्सिटी हो जाय तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के ऐफीलियेटेड कॉलेज हैं, वे उसमें एफीलियेट होंगे। खोसला कमेटी ने सिफारिश की है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जायगी। उसके ऊपर राजस्थान सरकार विचार कर रही है।

यह एक सुझाव दिया गया कि इसका नाम वीर दुर्गादास या कोई और नाम इसको दिया जाय। माननीय सभापतिजी खुद मेरे मन में यह विचार उपस्थित हुआ था और वीर दुर्गादास का नाम मेरे ध्यान में आया था लेकिन इस वक्त जो ट्रेडीशन है वह यह है कि कोई भी विश्व-विद्यालय आज किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर चलनेवाला नहीं है, क्योंकि इसमें कई कारण हैं। अब राजनैतिक दल अलग अलग हो गये हैं, अलग अलग उनकी विचार धारायें हैं, अलग अलग व्यक्तित्व हो सकते हैं। एक दल के लोग एक प्रकार के व्यक्तित्व और विचारधारा को पसन्द करें और दूसरे विचार के लोग उसे पसन्द न करें। ऐसे कई तरह के कारण पैदा हो गये है महात्माजी को राष्ट्रपिता का सम्मान दिया जाता है, लेकिन जनसंघ ने म्यूनिसिपेलिटी में एतराज किया है महात्मा जी के नाम पर एतराज किया है, जिनको राष्ट्रपिता माना गया और जिनके कारण से बहुत अंशों में देश आज़ाद हुआ। इसके अलावा दूसरी कई बातें हैं। तो इस वादविवाद में न पड़ कर जैसे दूसरी जगह यूनिवर्सिटी का नाम स्थान के नाम पर रखा जा रहा हैं और इस यूनिवर्सिटी का नाम जोधपुर यूनिवर्सिटी करना चाहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर कोई विश्वविद्यालय बना

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

हो, ऐसा। कोई विश्वविद्यालय नहीं है....

श्री सम्पतलाल (मावली) : विक्रम–विश्व विद्यालय बना है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : क्या ?

श्री सम्पतलाल : मध्य प्रदेश में विक्रम विश्व विद्यालय बना है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : हो सकता है कि एकाध यूनिवर्सिटी ऐसी हो, लेकिन आज के प्रगतिशील जमाने में व्यक्ति विशेष का महत्व नहीं है परन्तु सिद्धान्तों की कीमत है। मैं उस युग का हूं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप अपने नाम पर विश्वविद्यालय का नाम रखने का संशोधन दिलवा दें।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जब मैं नहीं रहूँगा माननीय सदस्य विचार कर लेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आप वसीयत छोड़ जाइये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: फिर संशोधन लाना पड़ेगा, दिक्कत हो जायगी।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : हिन्दी की बात कही गई कि हिन्दी भाषा में पढ़ाई हो। मैं बहुत पसन्द करूंगा इस बात को कि हिन्दी में हो, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी स्थिति आज नहीं है। जहां हिन्दी के माध्यम से कॉलेजों में पढ़ाई नहीं हो सकती, वहां विश्वविद्यालय में यह पाबन्दी लगा देने का कि हिन्दी में पढ़ाई हो, अर्थ यह होगा कि विश्वविद्यालय का काम चले नहीं। लेकिन, हां, यह प्रयत्न सरकार का रहेगा कि जहां तक हो सके शिक्षा का माध्यम हिन्दी में हो। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें यह संशोधन स्वीकार किया जा सके।

फीस के बारे में जिक्र किया गया कि फीस बढ़ाई जावेगी। इसके लिये इसमें प्रोविजन किया गया है कि बिना सरकार की मंजूरी के कोई भी खर्चा नहीं होगा। यह बात इसमें दर्ज है और मैं सरकार की मन्शा बता देना चाहता हूँ कि सरकार की मन्शा यह कतई नहीं है कि फीस बढ़ाई जावे। राजस्थान यूनिवर्सिटी है। इसके नीचे जो कॉलेजेज़ हैं उनमें फीस बढ़ाई जाती है तो यह उनकी मर्जी की बात है। मगर सरकार की मंशा यह कतई नहीं है। जब कभी यूनिवर्सिटी को जरूरत होगी तो सरकार की इजाजत से और मंजूरी के बिना नहीं होगा। सरकार की कतई मंशा यह नहीं है कि फीस बढ़े।

आपने रेज़ीड्यूरी पॉवर का सवाल उठाया यह विधेयक अभी बनाया है। यह इस दृष्टि से बनाया है कि ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिये जावें और जब तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आवे कि इसका समावेश नहीं किया है, वह इसमें था इसलिए इसमें नहीं रखा गया।

स्टेच्यूट का प्रश्न, जब रूल्स बनेंगे वे आपके सामने आवेंगे और आपको अधिकार होगा। और मैं एक प्रश्न के उत्तर में बता चुका हूं कि यह ऐसी बात नहीं है। माननीय सदस्य यहां नहीं हैं इसलिये इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता।

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

अभी एलिमेन्ट्री शिक्षा पर सारा खर्च हो रहा है, यह कहा गया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हम प्राथमिक शिक्षा पर ४९.६ रुपया खर्च कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी शिक्षा पर ११.५ खर्च कर रहे हैं। इतना दोनों के खर्चे में फर्क है। ४९.६ और ११.५, तो यह कहना कि हम प्राथमिक शिक्षा की अवहेलना करके उच्च शिक्षा की ओर ध्यान दे रहे हैं यह उचित नहीं है। परन्तु जैसे जैसे माध्यम और उच्च शिक्षा में लोग आगे बढ़ेंगे और उनका बढ़ना लाजमी होगा और इसीलिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। माननीय सदस्य जो अलवर से आ रहे हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्राइमरी एजूकेशन बिल विधान सभा में पारित किया जावे। इसके लिए कोई कानून क्यों नहीं बनाया जावे, जबकि केन्द्रीय सरकार की तरफ से इसके लिये सभी स्टेटों को हिदायत की गई हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में टार्गेट कायम किया है उसको पूरा किया जावेगा। बिल के बारे में जैसा आपने कहा, मैं ऑफ हैंड कुछ नहीं कह सकता। मुझे अभी सूचना मिली है कि यह बिल विचाराधीन है।

वाइस चान्सलर को पॉवर्स के बारे में सफाई दी जा चुकी है और इसको दुबारा दोहरा कर मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता।

एरिया के बारे में साफ कर चुका हूं। आज-कल जो ट्रेन्ड है वह १०-१५ मील से ज्यादा एरिया लेने का नहीं है। इसलिए जोधपुर में लिमिट रखी है, १५ मील से ज्यादा नहीं होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस हिसाब से तो राजस्थान के हर जिले में यूनिवर्सिटी हो जानी चाहिये।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इस दृष्टि से विचार किया जावे तो यूनिवर्सिटीज़ यहीं नहीं सारे हिन्दुस्तान में बनानी होंगी। इसके लिये साधन भी होने चाहिए। इतने साधन नहीं हैं। लेकिन आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों जब भी साधन होंगे हमें उच्च स्तर उठाना होगा। आज नहीं उठाते हैं तो आगे। आगे-पीछे बनानी पड़ेगी।

मैं समझता हूँ कि जितनी मूलभूत शंकाएं उठाई गई थी जिनके कारण माननीय सदस्यों ने इसको आवश्यक समझा कि दुबारा सिलेक्ट कमेटी को भेजा जावे, मैं इतना निवेदन करूंगा कि अगर इसको सिलेक्ट कमेटी में दुबारा भेजते हैं तो इसका परिणाम यह होगा कि यह दूसरे सेशन में आवेगा और जुलाई में किसी भी रूप में अगर हम यूनिवर्सिटी की स्थापना करना चाहें तो नहीं कर सकेंगे और तब तक के लिये यह स्थगित हो जावे और इसमें कठिनाइयें होंगी और अभी जो माननीय सदस्यों ने कठिनाइयें पेश की हैं इसके अलावा नई नई कठिनाइयें पैदा होंगी और विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में आज वाद-विवाद कम है, कल और भी मुश्किल होगा। मैं यह मान कर चलता हूँ कि जोधपुर यूनि-

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

वर्सिटी का विधेयक बहुत अच्छा बने और उपयोगी हो। इस दृष्टिकोण से आपने बहस की है और हमने भी इसी दृष्टिकोण से इस पर विचार किया है। मैं आशा करता हूँ कि माननीय सदस्य जिन्होंने इसका विरोध किया है उन्होंने असुविधाओं को बताने की दृष्टि से विरोध किया है और मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने सुझावों को जो इस बिल को दुबारा प्रवर समिति में भेजने के लिये है व इसको लोकमत के लिये पारित करने का है उनको वापिस ले लेंगे।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आज राजस्थान में टैक्निकल हैन्ड्स की कमी है इसके लिये कुछ प्रबन्ध किया जावेगा और वहां पर रखा जावेगा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह बात ठीक है। यह बात छूट गई थी। जो विषय राजस्थान विश्व विद्यालय में हैं उनके लिये यह ध्यान रखा जावेगा कि कोई डुप्लीकेसी न हो। इसमें रिसर्च की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जावेगा और स्पेश्यली जिस एरिया में हमारा प्रान्त है वह रेगिस्तान है। यहां पर मिनरल्स और खाद वगैरह मिलती हैं। इसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जावेगा। इसलिये कुछ विषय तो सब जगह कॉमन होंगे और इस विशेषता की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जावेगा। इसके लिये इस विश्वविद्यालय के कायम होने की आवश्यकता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जब स्पष्टीकरण कर दिया गया है तो....

एक माननीय सदस्य : साइन्टिफिक रिसर्च की तरफ भी ध्यान दिया जावे। एक माननीय मन्त्री जिस तरह से सो रहे हैं उस तरह से सो न जावेंगे।

श्री सभापति : कोई मन्त्री सो नहीं रहे हैं।

श्री विजयसिंह झाला : किस प्रकार की शिक्षा की कमी है, क्या आपने इस बारे में अध्ययन किया है और उस पर ध्यान दिया है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह तो एक बड़ा व्यापक प्रश्न है। बड़े बड़े शिक्षा शास्त्री, चान्सलर और वाइस चान्सलर के मत से यह होता है। इसके अलावा यह इतना व्यापक प्रश्न है कि इसका कभी हल नहीं होगा।

श्री विजयसिंह झाला : नई यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है उसमें डॉक्टरों की कमी है उसको पूरा करने के लिये कोई....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आप फिर से पूछिये। आपका मतलब क्या है ?

श्री विजयसिंह झाला : पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट आई, उसमें डॉक्टरों की कमी है। उसमें यह जानने की कोशिश की गई कि नये विषय खोलेंगे उसमें इसका भी कोई प्रबन्ध है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इस जानकारी के लिये तो खोसला कमेटी बनाई गई।

श्री विजयसिंह झाला : इस कमेटी ने कौन कौन से सुझाव दिये कि किन किन विषयों की कमी है और इस यूनिवर्सिटी में कौनसी बात रखी गई है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : टैक्निकल यूनिवर्सिटी बनाई जावे तो पिलानी को भी नहीं बनाई जावेगी ?

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, क्या यह प्रश्नोत्तर काल चल रहा है।

श्री विजयसिंह झाला : मैंने कल प्रस्ताव रखा उसका जवाब नहीं आया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उनके डिटेल्स तो नहीं हैं........

श्री सभापति : No more question please.

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव श्री सतीशचन्द्र ने रखा है उसे स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(१२.० मध्यान्ह)

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : I withdraw, Sir.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव श्री विजयसिंह झाला ने प्रस्तुत किया और जिसको वे वापिस लेना चाहते हैं उनको प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री विजयसिंह झाला : I withdraw.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जोधपुर विश्व विद्यालय विधेयक, १९६२, जैसा कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (राजसमन्द) : May I be permitted to say something about procedure ? when the Chair puts a question it is reciprocity of relations between the Chair and the Members that the Chairman also rises from the Chair, Sir,

श्री सभापति : Thank you. Now we take up the Bill clause by clause.

(विराम)

Clauses 2 and 3.

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : सभापति महोदय, इसके क्लॉज़ २ के अन्दर निम्न संशोधन पेश करता हूं : "Insert the word 'Residential' before the word 'University' in para (g):

और क्लॉज़ ३ में मेरा यह संशोधन है :

"In the last line of clause 3, insert the word 'Residential' before the word 'University'."

सभापति महोदय, जैसा कि शिक्षा मन्त्री जी ने अभी सदन में यह बताया कि सरकार

(श्री तेजाराम गहलोत)

की यह नीति है कि इस यूनिवर्सिटी को टीचिंग यूनिवर्सिटी बनाया जाय और साथ में रेज़िडेन्शियल यूनिवर्सिटी बनाया जाय, जैसा कि इसका जुरिस्डिक्शन जोधपुर शहर के लिए रखा है और जब तक इसमें पढ़नेवाले विद्यार्थियों को टीचर्स के साथ रहने आदि की पूरी सुविधा नहीं मिलेगी तब तक विशेष ज्ञान की वृद्धि नहीं होगी। जब सरकार ने जोधपुर में यूनिवर्सिटी बनाने के लिए विचार कर ही लिया है और विधेयक भी प्रस्तुत कर दिया है तो सरकार डेफिनिट कन्क्लुज़न पर पहुंचे और विधेयक में यह प्रावधान रख दे कि यह रेज़िडेन्शियल युनिवर्सिटी बनेगी और वह बनेगी ताकि विद्यार्थियों को टीचर्स के साथ अच्छी लेबोरेटरी आदि सुविधायें मिलेंगी और उनको अच्छे एटमोस्फियर में रहने का मौका मिलेगा। इसके साथ यदि रेज़िडेन्शियल शब्द नहीं जोड़ते हैं जो कॉलेजेज़ आज वहां चल रहे हैं वे कॉलेजेज़ के नाम से न रह कर यूनिवर्सिटी के नाम से हो जावेंगे, लेकिन जो यूनिवर्सिटी के लिए वातावरण बनाना चाहिए वह नहीं होगा। आज सरकार के पास इतना पैसा भी नहीं है कि इस एक्ट के लागू होते ही रेज़िडेन्स का विद्यार्थियों के लिए प्रावधान कर सकें। लेकिन जब इसके लिए एक लाख का प्रावधान रखा है, जैसे जैसे अकोमोडेशन होस्टल आदि की होती जावेगी, आज भी जो होस्टल या बिल्डिंग्स उपलब्ध हो सकती हैं उनको लेकर इसको रेज़िडेन्शियल यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए और बनेगी तब ही विद्यार्थियों का फायदा हो सकेगा; नहीं तो एक से अधिक यूनिवर्सिटीज़ बनाते जावेंगे उससे सही फायदा वास्तव में विद्यार्थियों को नहीं होगा और हमारा जो मकसद है कि देश के अन्दर अच्छी शिक्षा उपलब्ध करा सकें वह मकसद भी पूरा नहीं हो सकेगा। इसलिए यह संशोधन पेश करता हूँ कि इस युनिवर्सिटी का नाम जोधपुर रेज़िडेन्शियल यूनिवर्सिटी हो और वहां अच्छी शिक्षा मिल सके।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (शिक्षा मन्त्री): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यद्यपि सरकार की मंशा यही है लेकिन आज इस स्थिति में नहीं है कि इसको आज ही रेज़िडेन्शियल यूनिवर्सिटी बना लें। यदि आज इसको स्वीकार कर लेते हैं तो वे सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं और सरकार आज इस स्थिति में नहीं है कि उन जिम्मेदारियों को एक दम पूरा कर सके। इसलिए मैं इसको स्वीकार करने में असमर्थ हूँ।

श्री सभापति : Do you withdraw your amendment or press it ?

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : सभापति महोदय, मैं अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खंड २ और ३ पर जो संशोधन श्री तेजाराम ने प्रस्तुत किये हैं उनको वापिस लेने की इजाजत दी जावे ?

(स्वीकृत)

वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खंड २ और ३ विधेयक के अंग बने ?

(स्वीकृत)

खंड २ और ३ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

(विराम)

खण्ड ४.

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ४ विधेयक का अंग बने ?

(स्वीकृत)

खंड ४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज ५.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदय, मेरा संशोधन है कि क्लॉज़ ५ में से ये शब्द "with the State of Rajasthan" निकाल दिये जायं और इसके बजाय शब्द "contiguous thereto" जोड़ दिये जायं । इसका मकसद यह है कि अभी माननीय मंत्री महोदय ने यह बताया कि हम इस यूनिवर्सिटी को जोधपुर शहर के म्युनिसिपल एरिया के अन्दर ही रखना चाहते हैं और हमारा इरादा इसको रेज़िडेन्शियल बनाने का है । फिलहाल हमारे पास फन्ड्स नहीं हैं, इसलिए इसको टीचिंग यूनिवर्सिटी बनावेंगे । मकसद यह है कि जोधपुर कॉलेजेज़ अफिलियेट करेंगे और यूनिवर्सिटी केम्पस में होंगे । यह मकसद है तो जुरिस्डिक्शन आयन्दा सारे राजस्थान के लिए रखना बे-मानी है और उस नीयत को सरकार जाहिर करती है, लेकिन किसी स्टेज पर, अभी तो इसको पास करने के लिए कह देते हैं कि यह डुप्लीकेशन बे-मानी होगा कि पहले से राजस्थान यूनिवर्सिटी टीचिंग-कम-एफिलियेटिंग है और जोधपुर यूनिवर्सिटी-भी टीचिंग-कम-एफिलियेटिंग बनायें तो अभी बे-मानी है लेकिन आयन्दा के लिए यदि गुन्जाइश रखते हैं तो यह सही नहीं है । जोधपुर के लिए जो यूनिवर्सिटी बना रहे हैं उसको रेज़िडेन्शियल की तरफ ले जाने के बजाय एफिलियेशन की तरफ ले जाने की मंशा है तो उसकी संभावना नहीं रखनी चाहिए । इसीलिए मेरा सजेशन है कि words 'within the State of Rajasthan' should be replaced. इसका मतलब है कि इसको एफिलियेशन के लिए सारे राजस्थान तक करें और रेज़िडेन्शियल बनाने का इरादा छोड़ दें । तो इस संभावना को निकाल दिया जाय और शायद जोधपुर शहर के अन्दर एरिया काफी न हो और टेक्निकल वह एरिया म्युनिसिपल लिमिट्स में न आये और उसको एक्वायर करना पड़े, फील्ड्स, होस्टल्स आदि के लिए, इसीलिए मैंने यह सुझाव रखा है कि एरिया कन्टीग्युस है उस तक कर सकें और सारी स्टेट तक न जाय; उसके लिए यह अमेन्डमेन्ट है ।

मैं उम्मीद करूंगा कि माननीय की मंत्री महोदय की इस बिल को पास कराने की नीयत है और इसको इस तरह से स्वीकार कर लेना चाहिये ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द):

Page No. 82

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

I want a clarification from the Hon'ble member. The proviso is :

"Provided that a notification in this behealf shall not be made except with the previous approval of the State Legislature".

Should this be omitted ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा अमेन्डमेन्ट मंजूर कर लिया जायगा तो यह निकल जायगा। अगर मन्जूर नहीं किया जाता है तो यह प्रोवीज़ो रहना चाहिये। अगर आप सारे राजस्थान का जुरिस्डिक्शन नहीं रखना चाहते हैं तो जोधपुर म्युनिसिपल एरिया का कॉन्टीगुअस एरिया लेना चाहते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस पर अमेन्डमेन्ट रखने की मेरी भी इच्छा थी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : I have already put it. My amendment is that the proviso to sub-clause (1) be deleted. That is there. But that should be accepted only in case you accept the amendment. In case you do not, I would like to retain that provise.

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : माननीय सभापति महोदय, इस क्लॉज़ में मेरा एक अमेन्डमेन्ट है; वह यह है कि सब क्लॉज़ (१) में जो प्रोवीज़ो है, जैसा कि प्रोवीज़ो सिलेक्ट कमेटी द्वारा रखा गया है उसकी बजाय मैं यह संशोधन पेश करता हूं यह प्रोवीज़ो सब्स्टीट्यूट किया जाय :

"Provided that a notification in this behalf shall be laid before the House of the State Legislature for 14 days which may be comprised in one Session or two successive Sessions, in which it is so laid or of the Session immediately following the House of the State Legislature makes any modification in the said Notification, or resolves that any such Notification should not be made, such notification shall, thereafter, have effect only in modified form or/of no effect as the case may be, so however any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything provisionally contained thereunder".

सभापति महोदय, जैसा कि प्रवर समिति ने रखा है जहां तक यूनिवर्सिटी के जुरिस्डिक्शन का सवाल है इसके मुत्तल्लिक नोटिफिकेशन सदन द्वारा पास होने के बाद में निकाला जा सकता है। लेकिन जहां यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडी है, शिक्षा की तरक्की के लिए ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया जाता है वहां मैं उचित समझता हूं कि राजस्थान में शिक्षा के प्रसार के लिये अगर जुरिस्डिक्शन जोधपुर म्युनिसिपल क्षेत्र के अलावा बढ़ाना चाहें तो बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार का अंकुश रखा जाना कि सदन द्वारा पास होने पर जुरिस्डिक्शन बढ़ा सकते हैं, यह ठीक नहीं होगा। सदन उस समय सेशन में न हो और यूनिवर्सिटी चाहती हो कि उसका जुरिस्डिक्शन बढ़ाया जाय वैसी हालत में यह उसकी स्वतन्त्रता में अड़चन पैदा करने जैसा होगा।

इसके अलावा दूसरे भी कानून बनते हैं

Page No. 83

(श्री तेजाराम गहलोत)

उनमें सदन द्वारा अधिकार दिया जाता है, उसके अन्तर्गत बने हुए नियम सदन की टेबल पर रख दिये जाते हैं; माननीय सदस्य यदि उनमें संशोधन करना चाहें तो उनको पूरा अधिकार है १४ दिन के अन्दर अन्दर अपनी इच्छा के माफिक संशोधन पेश कर सकते हैं और फिर सदन द्वारा विचारार्थ लिये जाते हैं। उस समय उनमें तरमीम करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरह से अगर यह प्रोवीज़ो रख दें जैसा कि प्रवर समिति ने रखा है तो यह एक प्रकार का अंकुश होगा। अगर मेरा प्रोवीज़ो उसमें लगा दिया जाता है तो जो यूनिवर्सिटी के अधिकारों की समस्या है वह पूरी हो जायगी और यूनिवर्सिटी के काम में किसी प्रकार की बाधा भी नहीं पड़ेगी। इसका वही मतलब होगा कि प्रीवियस सेंक्शन लेनी पड़ेगी। सेंक्शन इसलिये ली जाती है कि यूनिवर्सिटी अपनी इच्छा के माफिक अधिकार क्षेत्र को हर वक्त नहीं बढ़ा सकती और इस तरह से अंकुश रखने की मन्शा भी पूरी हो जायगी।! यूनिवर्सिटी का अधिकार क्षेत्र नहीं बढ़े, प्रीवियस नोटिफिकेशन आने के बाद सदन द्वारा पास होगा तभी मोडिफाई हो जायगा और वही लागू होगा। ऐसी हालत में मैं यह संशोधन पेश करता हूँ। आशा है शिक्षा मंत्री इसे स्वीकार करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : We want tooppose this amendment.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) May I know when this amendment was moved ?

श्री सभापति : It has been cirulated

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : This was moved yesterday.

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री, शिक्षा) : It was moved yesterday and you must have received it.

श्री सभापति : It was circulated yesterday and it has been moved today.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह संशोधन कब दिया गया ?

श्री परसराम मदेरणा : कल ११ बजे से पहले।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Then point of order, Sir, under Rules of Procedure and Conduct of Business of this House, an amendment, which has been moved when the Bill has been taken into consideration, that amendment cannot be permitted to be moved and cannot be considered by the House. This amendment should have is moved one day prior to the Bill being taken into consideration and, for this particular purpose, there are numberless authorities of Parliament when a particular Bill was under consideration of Parliament that certain members wanted certain amendments to be moved. But the Chair did not permit them because the ruling was that the amendment should be moved before the Bill is taken into consideraation, So with that point of view, this particular amendment,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

which is being moved by Mr. Tejaram should have been submitted one day prior to the Bill being taken into consideration. That means, the amendment should have been submitted on 8th May, 1962.

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द): I think, the Chair has the discretion to allow it at any stage. It remedies the issue.

श्री सभापति : The Speaker has allowed this amendment to be moved.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Where, Sir ? In the Chamber ?

श्री सभापति : It has been circuloted and it has been admitted and allowed and I allow it again.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Point of order, Sir, regarding the particular amendment which has been circulated to the members, whether an objection can be taken with regard to the maintainability of that amendment in the House.

श्री निरंजननाथ आचार्य : We have the observations...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I am not bound by your observations.

श्री सभापति : You placed your objection and I have disallowed it.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : You said...

श्री सभापति : I do not want to hear anything more on this point. Order please ! That will do please. I have disallowed it.

श्री मुरलीधर व्यास : What is the point of order that you have disallowed ?

श्री सभापति : I think it is an interruption.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप इसे स्वीकार करते हैं क्या ?

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, शिक्षा) : मैं इसे स्वीकार नहीं कर रहा हूं। आपको इसके लिए शंका नहीं होनी चाहिए।

जो संशोधन अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है उसको स्वीकार करने में सरकार असमर्थ है और वह इसलिये कि जोधपुर में जो हम टीचिंग यूनिवर्सिटी कायम करने जा रहे हैं वह टीचिंग टाइप की है और फिलहाल उसका जुरिस्डिक्शन जोधपुर म्यूनिसिपल लिमिट रखी गई है।

खोसला कमेटी को इसका पैटर्न मुकर्रर करने के सिलसिले में बनाया गया था। उसने ऐसा सुझाव दिया है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी जब कायम हुई थी तो वह एफीलियेटिंग की हैसियत से कायम हुई थी।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : माननीय मन्त्री पान खाकर बोलें तो क्या यह अलाउड (allowed) है ?

श्री सभापति : माननीय मन्त्री पान को या तो जल्दी से जल्दी निगल जावें या बाहर जाकर थूक आवें।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : बाहर जाकर थूका जा सकता है, निगलना तो बुरा होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : निगलने के कॉन्सिक्वेन्सेज़ बुरे हो सकते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : न तो मैं इसको खा सकता हूँ और न इससे मेरी वोइस के सुनाई देने में आपको कोई डिफिकल्टी है और अगर आपको सुनने में दिक्कत होती ही है तो मैंने निगल लिया है। मुंह में पान हो या दूसरी चीज हो, कोई बोलने में दिक्कत नहीं होती है।

मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि राज-स्थान यूनिवर्सिटी बनाई गई तो उसे एफीलि-येटिंग यूनिवर्सिटी बनाया गया था। जब जोधपुर यूनिवर्सिटी के काम करने का सवाल खोसला कमेटी के सामने गया तो उसकी राय रही कि वह टीचिंग यूनिवर्सिटी रहे। धीरे धीरे जोधपुर यूनिवर्सिटी एकेडेमिक स्टेन्डर्ड स्थापित कर लेती है तो इसके बाद आवश्यकता अनु-भव हुई तो एफीलियेटिंग फंक्शन भी दिया जा सकता है इसे। तो लोंग टर्म पर सोच कर खोसला कमेटी ने जो एक एक्सपर्ट कमेटी थी, अपनी रिकमन्डेशन दी है। उसको ध्यान में रखते हुए यह जुरिस्डिक्शन रख कर अभी चला जा रहा है। बाद में जब भी आगे महसूस किया जावेगा इसे एक्सपान्ड करने का, तो इस तरह के नोटिफिकेशन से इसको एक्सपान्ड किया जा सकता है। पर इस प्रकार के डाउट को रिमूव करने के लिये यह उचित समझा था और सिलेक्ट कमेटी ने भी इसका सेक्शन ५ में उचित समझ कर यह प्रोविज़न रखा था कि इस प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन इस सदन की अनुमति के बिना नहीं किया जावेगा। इसका मतलब यह है कि अभी यह जूरिस्डि-क्शन एक्सटेन्ड करने का कतई इरादा नहीं है। हम जोधपुर में अभी केवल एक टीचिंग यूनिवर्सिटी स्थापित करना चाहते हैं ! इसी के लिये यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने और यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन ने जोर दिया है, इस बात पर कि एफीलियेटिंग यूनिवर्सिटी को ब्रेक किया जावे, पांच हजार की संख्या पर एक किया जावे; ताकि टीचिंग का स्टेन्डर्ड बढ़े, रिसर्च का काम ज्यादा से ज्यादा लिया जा सके और इसकी पोसिबिलिटी को वहां बताया है। टैक्निकल, साइन्टिफिक और कैमिकल रिसर्च की पोसिबिलिटी है। वहां पर आगे यह भी कहा है कि ऑरियेन्टल कॉलेज वहां है उसके रिसर्च की पोसिबिलिटी है और इसलिये राजस्थान सरकार का कतई इरादा नहीं है कि यह एफीलियेटिंग साइड को अटेन्ड करे। इस स्टेट में हायर और वैज्ञानिक एजुकेशन को डेवेलप करने के लिये ही इसको स्थापित किया गया है।

इसी गरज से 'कन्टीगुअस' शब्द रखा है। आगे अगर एफीलियेटिंग का ढांचा भी बने तो कन्टीगुअस एरिया में जो आते हैं वे ही शामिल होंगे, ऐसा प्रावधान है। यह ब्यावर तक भी जा सकता है और कन्टीगूटी हर एरिया से रहती है। झुंझुनूं तक पहुंच सकते हैं और यही सोच कर अभी तय किया गया है कि इसको अभी टीचिंग यूनिवर्सिटी रखा

(श्री परसराम मदेरणा).

जावे ।

अब रेज़िडेन्शिल बनाने का जहां तक प्रश्न है यह इसलिये अभी नहीं हो सकती कि फाइनेन्शियल डिफिकल्टी हमें है। चार हजार की संख्या में जो विद्यार्थी इसमें पढ़ेंगे उन सब के लिये रहने का प्रबन्ध करने में काफी खर्चा होता है। इसलिये इसको यूनीटरी–कम–टीचिंग यूनिवर्सिटी हमने रखा है। तो जो कुछ भी निराकरण शंका का होना चाहिये वह इससे हो जायगा। अन्त में, यही निवेदन करता हूं कि इस संशोधन को मानने में मैं असमर्थ हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : I want to reply.

श्री सभापति : No reply.

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : तो अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने दो अमेन्डमेन्ट रखे हैं, वे दोनों ही मन्जूर नहीं किये ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : पान के साथ दोनों ही निगल गये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड ५ पर जो संशोधन श्री रामानन्द अग्रवाल ने रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये।

(विराम)

प्रश्न यह है.......

श्री तेजाराम गहलोत : मैं अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

श्री सभापति : क्या सदन को अनुमति है कि श्री तेजाराम को अपना संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री तेजाराम गहलोत : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड ५ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड ५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड ६ व ७.

प्रश्न यह है कि खण्ड ६ व ७ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

खण्ड ६ व ७ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ ८.

(विराम)

Page No. 87

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदय, क्लॉज़ ८ में मेरा संशोधन है कि तीसरी लाइन में इन्स्टीट्यूशन शब्द के बाद यह और जोड़ दिया जावे :-

'within the campus of the university.' और इसके मुताबिक यह नया क्लॉज़ इस तरह से बन जावेगा, अगर संशोधन स्वीकार कर लिया जावे तो :—

"All teaching recognised by the University shall be conducted in the University or in colleges and institutions within the campus of the University; provided that for the purposes Of clause (12) of section 4 the teaching so aided may be recognised by ordinances for general or specific purposes."

इस अमेन्डमेन्ट का पर्पज भी, सभापति महोदय, यह है कि इस यूनिवर्सिटी को एफीलियेटिंग यूनिवर्सिटी की तरफ न ले जाया जावे ; इसका टीचिंग उन्हीं कॉलेजों तक सीमित रखा जावे जो कि जोधपुर नगर म्युनिसिपल एरिया में हैं और उन्हीं को इसके तहत लिया जावे ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (शिक्षा मन्त्री): को स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूं, इसलिये कि अगर युनिवर्सिटी कैम्पस स्वीकार कर लेते हैं तो आज ही उस कैम्पस के सिलसिले में उसके भवन और खर्चा करने की जिम्मेदारियां आ जाती हैं । आगे पीछे बना सकते हैं, पर आज उसको बनाने में असमर्थ हैं । इसलिये इसे अस्वीकार करना ही उचित है ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड ८ पर जो संशोधन श्री रामानन्द अग्रवाल ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ८ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

खण्ड ८ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

खण्ड ६.

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ६ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

खण्ड ६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

खण्ड १०, श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदय, क्लॉज़ १० में मेरा संशोधन है कि जो इसका मौजूदा सब-क्लॉज़ (४) जिस शक्ल में है उसको बदल कर नया सब-क्लॉज़ (४) इस तरह का रखा जाये :—

"The Vice Chancellor shall put

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

the advice so received before the Syndicate, which shall decide the best way in which and extent to which the advice can be implemented. The Vice-Chancellor shall act in accordance with the decision of the Syndicate and communicate to the Chancellor the action taken in pursuance of this advice".

सभापति महोदय, जो मौजूदा बिल में जिस तरह की व्यवस्था रखी गयी है उसके अनुसार चान्सलर महोदय इन्सपेक्शन के बाद जिस किस्म की एड्वाइस भेजें उस एड्वाइज़ को बिल्कुल ज्यों का त्यों मान लिया जाये उस पर बगैर किसी किस्म का विचार किये, ऐसी बॉडी द्वारा किया जाना जिसका कि बाकायदा रिप्रेज़ेन्टेटिव कैरेक्टर हो जिसकी एक जिम्मेदारी इस संस्था को चलाने की है इस प्रकार का प्रावधान एक डेमोक्रेटिक प्रावधान नहीं है और इस यूनिवर्सिटी की ऑटोनोमी पर अनुचित हस्तक्षेप है। सभापति महोदय, यह सही है कि इस प्रकार के प्रावधान दिल्ली यूनिवर्सिटी या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी या और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जिनका जिक्र माननीय सदस्य ने किया था ऐसा हो सकता है लेकिन वह यूनिवर्सिटी जिस जमाने में बनाई गई थीं उस जमाने में हमारे सारे देश में किसी प्रकार का डेमोक्रेटिक सेट-अप नहीं था और जिस सरकार ने उन यूनिवर्सिटीज़ के कानून बनाये थे और सरकार खुद आम रिप्रेज़ेन्टिटिव कैरेक्टर के लोगों से डरती थी और वह सरकार हमेशा झिझकती रही आम लोगों को पॉवर्स देने में। मैं समझता हूं कि इस सरकार को इस परम्परा को तोड़ कर वास्तव में एक डेमोक्रेटिक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। चान्सलर महोदय को यह अख्तियारात जो कि हमारे राज्यपाल को ही होंगे मैं समझता हूं कि वह स्टेट गवर्नमेन्ट के हाथों में इन्डाइरेक्ट अख्तियारात हैं, क्योंकि चान्सलर महोदय भी अपना जो भी काम न केवल स्टेट गवर्नमेन्ट के संबंधी ही बल्कि और भी जो उनके प्रिरोगेटिव्ज़ हैं वे भी कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड्वाइस पर करते हैं। चाहे वह हैड ऑफ दी स्टेट हों और कॉन्स्टीट्यूशनल हैड हों और रियल पॉवर्स कॉन्स्टीट्यूशनली गवर्नमेन्ट के हाथों में रहती हैं और इस कानून के तहत जैसा कि मौजूदा बिल में है वह पॉवर्स न कि केवल राज्यपाल के हाथों में हैं, बल्कि वे स्टेट गवर्नमेन्ट के हाथों में हैं और मौजूदा शक्ल में ही इस कानून को यदि रहने दिया तो इसका मतलब यह होगा कि स्टेट गवर्नमेन्ट एक इन्क्वायरी करायेगी चान्सलर के द्वारा और स्टेट गवर्नमेन्ट जो जिसको डिक्टेट करेगी और यूनिवर्सिटी की ऑथोरिटीज़ उस बात पर विचार किये बगैर भी उसको पूरा मान्य करने के लिए अक्षरशः पाबन्द होगी। मैं मानता हूं कि इस प्रकार का प्रावधान एक उचित प्रावधान नहीं है। एक ऑटोनोमस बॉडी के मूल अधिकारों पर कुठाराघात है। इसलिए जो सजेशन अमेन्डमेन्ट के रूप में मैंने रखा है जिसमें एग्ज़ीक्युटिव बॉडी यूनिवर्सिटी की सिन्डीकेट होगी, एक जिम्मेदार बॉडी होगी और एक चान्सलर जैसी मान्य ऑथोरिटी की तरफ से जो सुझाव आयेगा, मार्गदर्शन आयेगा गम्भीरता से उनके ऊपर विचार करके उसको व्यवहारिक दृष्टि को देखते हुए जिस तरह से लागू करें उसके ऊपर विचार करके लागू करें

[redacted]

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

और फिर उनको अपनी रिपोर्ट भेज दें और उसके बाद में क्या कहना है, क्या करना है उसके बारे में स्टेच्यूट प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी की ऑथोरिटीज़ को उनके ऊपर विचार करके इस हद तक पाबन्द नहीं किया जाये कि बिना कुछ विचार किए उसी तरह करने को पाबन्द हों; बल्कि वह उसके ऊपर पूरी तरह से विचार करके करें, क्योंकि डाइरेक्टली उसको एडमिनिस्टर करने की जिम्मेदारी उनकी है। उनकी दिक्कतों को भी जानते हैं; इस रूप में वे उसको करें और फिर अपनी रिपोर्ट चान्सलर को भेज दें, यह इसकी मन्शा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसे सरकार स्वीकार करेगी।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : माननीय सभापति महोदय, क्लॉज़ १० में मैंने एक संशोधन दिया है जो मैं मूव करता हूँ :

In clause 10, the following be added as sub-clause (5) and the existing sub-clause (5) be renumbered as sub-clause (6):

"If the Vice-Chancellor does not, within reasonable time, take action to the satisfaction of the Chancellor, he may, after considering any explanation furnished or representation made by Vice-Chancellor, issue such directions as he may deem fit and the University shall be bound to comply with such directions."

माननीय सभापति महोदय, सारी यूनिवर्सिटीज़ के एक्ट्स को जब हम देखते हैं तो जो विज़िटेशन का प्रोविज़न है वह तमाम यूनिवर्सिटीज़ एक्ट में मिलता है। उसके साथ ही साथ जब विज़िटर का प्रोविज़न रखा गया है तो विज़ीट करने के बाद में कहीं पर जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हैं उसमें विज़ीटर प्रेसीडेन्ट ऑफ इन्डिया रखा गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है उसमें भी प्रेसीडेन्ट ऑफ इन्डिया को रखा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसके अन्दर भी विज़ीटर प्रेसीडेन्ट ऑफ इन्डिया को ही रखा है; बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में भी प्रेसीडेन्ड ऑफ इन्डिया को रखा है और जो अभी राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बिल हमने पास किया है विधान सभा में, उसमें भी स्टेट गवर्नमेन्ट विज़ीट करके इन्सपेक्शन करेगी। अगर यूनिवर्सिटी के अफेयर्स में कोई ऐसी बात है तो उसको करेक्ट करने का भी प्रावधान है। इसी तरह से इस जोधपुर यूनिवर्सिटी में क्लॉज़ १० है वहां इसकी आवश्यकता महसूस अगर राज्य सरकार ने की है और जैसा कि सारी यूनिवर्सिटीज़ एक्ट में पाया जाता है तो उन प्रोविज़न्स को देखने से यह साफ मालूम होता है कि जो विज़ीट का प्रोविज़न है और इन्सपेक्शन करने के बाद में अगर कोई डाइरेक्शन्स दिये जायें तो वे डाइरेक्शन्स किस तरह से पूरी की जा सकती हैं। दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी जो मैंने अमेन्डमेन्ट रखा है उसके सिमिलर प्रावधान है। जैसे माननीय सभापति महोदय, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है उसके सेक्शन ७ (ए) के सब-क्लॉज़ ६ में सिमिलर अमेन्डमेन्ट दिया है और इसी का पेरेलल प्रोविज़न है। उस पर एग्ज़ीक्युटिव कौंसिल है और सारी यूनिवर्सिटी के एक्ट्स में इस तरह का सिमिलर प्रोविज़न है।

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

तो यह मुझे समझ में नहीं आता कि इस जोधपुर यूनिवर्सिटी बिल में यह क्लॉज़ नहीं रखने की किस तरह से आवश्यकता महसूस नहीं हुई। मेरे विचार से यदि विज़ीटर का प्रोविज़न जरूरी है तो उसके साथ साथ जो भी डाइरेक्शन्स हैं, जो इन्सपेक्शन रिपोर्ट्स हैं, यदि समय पर रीज़नेबल टाइम में पालन नहीं किया जावे तो उसके बारे में चान्सलर के पास इस कानून के तहत प्रोविज़न जरूर होना चाहिये। जिस मंशा से क्लॉज़ १० रखा गया है उसकी पालना की जा सके। जो एक्ट यूनिवर्सिटी का है उसमें इमर्जेन्सी की कोई बात आ गई हो और यदि चान्सलर उपयुक्त समझे बहुत ही कि काम किस प्रकार होगा यदि प्रावधान हो तो जरूरी है। दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी ऐसा प्रावधान रखा गया है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि जोधपुर यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं रखने की क्या वजह है; क्योंकि यदि यह जो सेक्शन रखा गया है उसमें चान्सलर को इन्सपेक्शन का पॉवर है यदि उनकी रिपोर्ट को वाइस चान्सलर ड्रॉप कर दे तो चान्सलर के पास क्या पॉवर्स हैं? इसलिये जरूरी है कि मैंने जो अमेन्डमेन्ट के रूप में क्लॉज़ ५ सब्स्टीच्यूट करने की दरख्वास्त की है वह निहायत जरूरी है और मौजूदा क्लॉज़ ५ है वह ६ के रूप में रखा जा सकता है। दूसरी सारी यूनिवर्सिटीज़ के एक्ट्स में बिल्कुल सिमिलर प्रोविज़न है। सारी यूनिवर्सिटीज़ एक्ट्स को देखने से क्लीयर मालूम पड़ता है कि विज़ीटर का प्रोवीजन जरूरी है। तो उनके डाइरेक्शन को पूरा करने के लिये चान्सलर के पास पॉवर्स होने चाहिये। और स्टेच्यूट के तहत पॉवर्स देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेक्शन सेल्फ सफिशियेन्ट होना चाहिये। और यदि सरकार को आवश्यकता महसूस हो तो मेरे ख्याल से यह प्रोविज़न बढ़ाने में मन्त्रीजी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिये, क्योंकि इस एक्सेपशनल सरकमस्टान्सेज़ में यदि पालन नहीं किया गया तो सारा एम्‌ क्लॉज का डिफीट हो जायगा, पालना समय पर नहीं होगी। इसलिये इसको सेफ-गार्ड करने के लिये चान्सलर के लिये क्लॉज़ ५ संशोधन के रूप में प्रस्तुत किया है उसे मंजूर करना चाहिये। और जब सभी यूनिवर्सिटीज़ में है तो समझ में नहीं आता कि अपने यहां बिल्कुल विपरीत बात क्यों हो, जो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है, ऐसा मुझे महसूस नहीं होता क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज़ पहले से बनी हुई हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी सन् २२ से चल रही है और बनारस यूनिवर्सिटी सन् १५ से चल रही है और उनको इसकी आवश्यकता बराबर प्रतीत होती चली आ रही है। अगर इसकी आवश्यकता उनको प्रतीत नहीं होती तो यह क्लॉज़ हटाया जाता। लेकिन अमेन्डमेन्ट के जरिये कहीं भी हटाया नहीं गया है और आज तक किसी यूनिवर्सिटी एक्ट का अमेन्डमेन्ट किसी भी विधान सभा में नहीं हुआ है। तो समझ में नहीं आता कि जोधपुर यूनिवर्सिटी के लिये इसकी आवश्यकता क्यों नहीं है। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि सब-क्लॉज़ (५) इतना ही जरूरी है जितना क्लॉज़ १० आवश्यक है। यदि उसको रखने की आवश्यकता नहीं है तो इसको भी रखने की आवश्यकता नहीं है। इसको मद्देनजर रखते हुए मेरी यह दरख्वास्त है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में तो स्टेट गवर्नर विज़ीटर है। अभी इसी सदन ने तारीख ८ को यह बिल

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

पारित किया है उस समय इसकी आवश्यकता मानी है तो समझ में नहीं आता कि इसमें क्यों नहीं है। जो सब-क्लॉज़ (५) मैंने प्रस्तुत किया है उसकी आवश्यकता दूसरी जगह महसूस हुई तो मेरी मान्यता है कि यह बहुत जरूरी है और विज़ीटर के प्रावधान को क्रियाशील या इफेक्टिव बनाने के लिये इसे जरूर मंजूर करना चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, शिक्षा) : सभापति महोदय, २ संशोधन अलवर से आनेवाले माननीय सदस्य ने क्लॉज़ ४ में रखे हैं उनको स्वीकार करने के लिये मैं असमर्थ हूं, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटीज़ के एक्ट्स में इस प्रकार का विज़िटेशन का चॉन्सलर और विजीटर के द्वारा विज़िटेशन करने का प्रावधान है। यदि आपके संशोधन मान लिये जायं तो इन्सपेक्शन और इन्क्वायरी के फलस्वरूप जो एड्वाइस चान्सलर महोदय टेन्डर करते हैं वह एक विवाद का विषय बन जायेगा और सिन्डीकेट को किस एक्स्टेन्ट तक मानना चाहिये, उस पर डिस्क्रिशन रहेगा। यह विज़िटेशन की पॉवर एक्स्ट्रा-ऑर्डिनेरी पॉवर है और जब चॉन्सलर यूनिवर्सिटी का इस तरह से इन्सपेक्शन करना या इन्क्वायरी करना उचित समझें और इन्क्वायरी के फलस्वरूप किसी भी एडवाइस को टेन्डर करना चाहते हैं उस एड्वाइस के इम्प्लीमेन्टेशन के लिये सिन्डीकेट में जावे और सिन्डीकेट उसे विवादास्पद विषय बनावे, किसी हद तक एक्सटेन्ड करें सिन्डीकेट जैसी बॉडी में चॉन्सलर की एडवाइस को डालना हम उपयुक्त नहीं समझते। इसलिये....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : राजस्थान यूनिवर्सिटी एक्ट में यह प्रोविज़न किया है उसमें संशोधन करेंगे क्या? अभी जो इस यूनिवर्सिटी में यह प्रोविज़न है उससे कोई दिक्कत गवर्नमेंट को हुई है क्या?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य को कुछ अर्से बाद यह जान कर प्रसन्नता होगी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिये एक प्रकार का इस तरह का कोडीफाइड एक्ट बनाने का विचार कर रहे हैं। इस बिल को सदन में प्रस्तुत करने से पहले हमने देश के माने हुए एजुकेशनिस्ट्स और हायर एजुकेशन के साथ जिनका संपर्क है उनसे राय ली है और जो प्रोविज़न्स हमने रखे हैं वे इम्प्रूवमेन्ट के तौर पर हैं जो लेटेस्ट हैं। इस बिल को खास तौर से दिल्ली यूनिवर्सिटी के आधार पर रखा है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो पॉवर विज़िटर का प्रेसीडेन्ट ऑफ इण्डिया को है विज़िटर के लिये और इन्सपेक्शन के लिये उसी बात को इस बिल में इनकॉर्पोरेट किया है। इसमें एक क्लॉज़ नहीं रखा था। सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो तरमीम रखी है उसे मुनासिब समझते हैं और उसे मन्जूर करते हैं। मन्जूर इसलिये करते हैं कि जो एडवाइस चान्सलर महोदय टेण्डर करते हैं और उसको इनडेफिनिट पीरियड के लिए इम्प्लीमेन्ट नहीं किया है तो यह आवश्यक हो जाता है कि इस प्रोविज़न के जरिये वह एडवाइस इम्पलीमेन्ट करवाई जाय। यह प्रावधान दूसरे कई एक्ट्स के अन्दर है। क्लॉज़ ४ पर और जो संशोधन हैं उनको मानने में मैं असमर्थ हूं और जो

(श्री परसराम मदेरणा)

सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है उसे हम स्वीकार करते हैं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड १० पर जो संशोधन श्री रामानन्द अग्रवाल ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड १० पर जो संशोधन श्री रघुनाथ बिश्नोई ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड १०, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड १०, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ११.

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री, शिक्षा) : In clause 11 sub-clause (3), after the words, "eligible for re-appointment for a second term", insert "and such reappointment shall be made upon the recommendation of the Selection Committee referred to in sub-section (1)."

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : After the second term ?

श्री परसराम मदेरणा : यह इसलिए प्रस्तुत किया जा रहा है कि जयपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने जी. सी. चटर्जी के रीअपोइन्टमेंट को लेकर हाईकोर्ट में जो वर्डिक्ट किया था, उसके अनुसार यह कहा है कि री-अपोइन्टमेन्ट के अन्दर प्रोसीजर वह अडॉप्ट किया जायगा या नहीं, और प्रोसीजर अडॉप्ट करना है तो उसका प्रावधान होना चाहिये; अगर नहीं करना है तो उसको नहीं अडॉप्ट करने का प्रावधान होना चाहिये क्योंकि माननीय सदस्य ऐसा समझते थे कि इस तरह का एक लेकुना रह गया, हालांकि हमने इस क्लॉज़ के अन्दर जहां हमने वई-एलीजिबल यूज़ किया है तो उसका मतलब साफ है कि री-अपोइन्टमेन्ट के अन्दर प्रोसीजर पहलेवाला उसमें काम में लाया जायगा; लेकिन तो भी ज्यादा क्लेरिफाई करने के लिए यह क्लेरिफाई करने की नेचर का संशोधन है और मेरा ऐसा अनुरोध है कि इसे स्वीकार किया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): एक बार पढ़ दीजिये।

श्री सभापति : संशोधन एक बार पढ़ दीजिये।

Page No. 93

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : The whole clause as amended.

श्री सभापति : 'होल क्लॉज़ एज अमेंडेड' पढ़ कर सुना दीजिये ।

श्री परसराम मदेरणा : सब-क्लॉज़ (३) है :—

"The Vice-Chancellor shall hold office for a period of three years and will be eligible for re-appointment for a second term; provided that no person shall hold the office of Vice-Chancellor for more than two terms."

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : टर्म के बाद आयेगा ?

श्री परसराम मदेरणा : सेकिंड टर्म के बाद है ।

"eligible for re-appointment for a second term and such reappointment shall be made upon the recommendation of the Selection Committee referred to in sub-section (1); provided that no person shall hold the office of Vice-Chancellor for more than two terms."

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अगर आपको इस सिलेक्शन कमेटी के रेफरेन्स से अपोइन्टमेंट करना है, फिर तो हाई कोर्ट की रूलिंग है उसके मुताबिक करना है । अगर अपोइन्टमेंट बाई दी सिलेक्शन कमेटी रेफरेन्स करना था तब अमेंडमेंट लाने की आवश्यकता थी, वर्ना क्या आवश्यकता है ?

श्री परसराम मदेरणा : वह पोज़ीशन नहीं है, आप समझे नहीं । हाई कोर्ट ने यह कहा, जो कुछ करना चाहते हैं उसमें प्रोसीजर को फोलो करना है या प्रोसीजर को फोलो नहीं करना है, आइदर ऑफ दी प्रोसीजर का प्रावधान होना चाहिए । राजस्थान यूनिवर्सिटी में अमेंडमेंट करके इस प्रोसीजर को फोलो करने का संशोधन रखा है । हमने यह तय किया कि इस प्रोसीजर को फोलो करना चाहिए, इसलिए प्रावधान है; वर्ना हाई कोर्ट का फैसला दूसरा है ।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : I may be permitted to comment upon the proposed amendment moved by the Hon'ble Minister.

श्री सभापति : Do you want to support it or oppose it ?

श्री भगराज चौधरी : I want to comment upon it.

श्री सभापति : It is not necessary.

श्री भगराज चौधरी : One thing.

श्री सभापति : No comments. Order please !

प्रश्न यह है कि खण्ड ११ पर जो संशोधन उप-मन्त्री महोदय ने पेश किया है उसे स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि खण्ड ११, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड ११, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड १२ से ३६ तक विधेयक के अंग बनें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : २६ पर कुछ बोलना है।

श्री सभापति : जब तक यह बिल पारित होगा समय बढ़ाया जाता है।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : १२ से २८ तक पास करा लें।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि १२ से ३५ तक....

श्री भैरोंसिंह : २६ पर बोलना है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ १२ से २८ तक विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

खण्ड १२ से २८ तक विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

खण्ड २६.

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : सभापति महोदय, क्लॉज २६ में एन्युअल रिपोर्ट के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है। इसमें लिखा है :

"The annual report of the University shall be prepared under the direction of the Syndicate and shall be submitted to the Senate on or before such date as may be prescribed by the Statutes and shall be considered by the Senate at its annual meeting. The Senate may pass resolutions which shall be communicated to the Syndicate."

इस क्लॉज़ में यह संशोधन मैं चाहता था कि एन्युअल रिपोर्ट हाउस के सामने रखी जानी चाहिये और यह इसलिये निवेदन करना चाहता था कि परसों के दिन हमने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया है और उस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक्ट की धारा ३८ में ऐसी रिपोर्ट को हाउस के सामने पेश करने के बारे में हमने व्यवस्था की। धारा ३८ में है:

"The annual report of the University shall be prepared under the direction of the Vice-Chancellor and submitted to the State Government one month before the annual meeting of the Board at which it is to be considered. The annual report as approved by the Board shall be laid on the Table of the House of the State Legislature."

अब इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के करेक्टर की बात हो सकती है कि कुछ सब्जेक्टस इनके

(श्री भैरोंसिंह)

अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैरेक्टर है उसके बारे में डिफरेन्शियेशन होना मुझे किसी प्रकार उचित मालूम नहीं होता। हम जब एक यूनिवर्सिटी एक्ट पास कर रहे हैं तो कम कम से कम इस हाउस को भी उसके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन्स के बारे में, यूनिवर्सिटी के जितनी भी एकेडेमिक प्रोग्रेस और अचीवमेंन्ट्स हैं उनके बारे में जानकारी रहनी चाहिए कि हमारी यूनिवर्सिटी किस प्रकार का क्या काम कर रही है, उसकी ईयरली प्रोग्रेस क्या है, उसकी एक्सपेन्डीचर साइड क्या है, उसके फंड्स किस प्रकार के बन रहे हैं और हम समय समय पर उसकी एन्युअल रिपोर्ट देखते रहें तो जैसा कांकरोली से आये हुए माननीय सदस्य ने भी कहा था कि अलीगढ़ और बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के बारे में हमें दो-तीन महीने में जो घटनाएं सुनने को मिली हैं, उसका कारण यह हो सकता है कि पार्लियामेन्ट या लेजिस्लेटर्स उनके एक्चुअल फंक्शन्स से अनभिज्ञ रहे हों और उसकी जानकारी उनको मिलती नहीं हो। इसलिए यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव कैरेक्टर के बारे में डाइरेक्शन या सुझाव देने के रूप में जो लेजिस्लेटर्स का कंट्रोल रहेगा उससे, जो ऐसी गलतियां सम्भव हो सकती हैं, वे गलतियां किसी रूप में नहीं हो सकेंगी। ऐसी हालत में जब आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए आवश्यक समझते हैं कि उसकी एनुअल रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जानी चाहिए तो मैं कोई कारण नहीं समझता हूँ कि आप जोधपुर यूनिवर्सिटी की एन्युअल रिपोर्ट को लेजिस्लेचर से दूर रखने की चेष्टा करें। मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा न कह कर केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जो चीज सदन ने आज से दो दिन पहले पास की है और एक यूनिवर्सिटी के लिए पास की है, ऐसी यूनिवर्सिटी के लिए पास की है, जिसके लिए माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि यह सारे देश में अपने प्रकार की एक यूनिवर्सिटी है, उस हालत में उस युनिवर्सिटी की रिपोर्ट को हाउस में रखे जाने की व्यवस्था की जाती है, तो इस यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट इस सदन की मेज पर न रखी जाय तो यह उचित नहीं होगा, किसी प्रकार से उचित नहीं होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री के द्वारा इस हाउस के सामने यह रिपोर्ट रखी जाने को व्यवस्था हो। यह बात सही है कि इस प्रकार का मेरा कोई एमेन्डमेंट

(१०.० म० पू०)

नहीं है। अगर वे चाहें तो अमेन्डमेन्ट अपनी तरफ से मूव कर लें और इस हाउस में उसे स्वीकार कर लिया जावे।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, शिक्षा) : सभापति महोदय, जिस तरह के संशोधन माननीय सदस्य चाहते हैं और कहते हैं कि एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में है, मैं यह कहूंगा कि जहां तक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का प्रश्न है उन्होंने इस प्रकार का प्रावधान रखा है लेकिन वैसा हो प्रावधान हम यहां स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं; क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा बिल है वह एक मॉडल बिल पर बेस्ड है। सिद्धान्ततः रख भी दिया जावे तो मुझे इसमें कोई हानि नहीं दिखाई देती है; लेकिन जब कि मॉडल एक्ट में इस तरह का प्रावधान रखने का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का आदेश है तो उसके मुताबिक हमने यह बनाया

(श्री परसराम मदेरणा)

है। आप देखेंगे कि जब मॉडल एक्ट आपके सामने आवेगा उसमें भी इसी प्रकार का प्रावधान रखने की बात सोच रहे हैं। चूंकि बिल तैयार नहीं हुआ है इसलिए ऑथेन्टिकली आपके सामने नहीं रख सकता हूँ। इसलिए हमने उनको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एडवाइस पर सदन में नहीं रख कर इस तरह का प्रावधान रखा है। आपका संशोधन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की एनोलॉजी पर है, मगर जिस तरह का इस यूनिवर्सिटी का बिल है वह बिल्कुल भिन्न है। इसलिये इस बिल पर जो यह संशोधन है वह मानने योग्य नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द): आप कुछ आधार देंगे कि इस तरह से यह मानने के योग्य नहीं है?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): सिलेक्ट कमेटी में इस बिल को भेजा गया और सिलेक्ट कमेटी ने इस बिल में कोई चेन्जेज़ किये होंगे उससे इस बिल की शक्ल बदली होगी।

श्री परसराम मदेरणा : सिलेक्ट कमेटी ने इसको डिस्कस किया है।

श्री भैरोंसिंह : किस आधार पर आप कहते हैं कि संशोधन मानने योग्य नहीं है?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (शिक्षा मंत्री): सिद्धान्ततः कोई आपत्ति नहीं है। मगर आज इसको स्वीकार करने में कठिनाई इसलिए है कि मॉडल एक्ट आने वाला है। इसके बाद अगर इसकी कोई आवश्यकता समझेंगे तो देखेंगे। मैं इसकी उपयोगिता को स्वीकार करता हूँ लेकिन साथ साथ जो कठिनाई है वह भी मैंने आपको बता दी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): जब आप इसको सिद्धान्ततः स्वीकार करते हैं तो इसको मानना चाहिए।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : माननीय सदस्य समझें कि मैंने उनके सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है। अगर मॉडल एक्ट में होगा तो स्वीकार कर लिया जावेगा। आज ही क्यों डालने का आग्रह करते हैं?

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खंड २९ विधेयक का अंग बने?

(स्वीकृत)

खण्ड २९ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड ३०.

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ३० विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड ३० विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

(श्री सभापति)

खण्ड ३१

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति महोदय, खण्ड ३१ में लिखा है : "Disputes as to constitution of University Authorities and Bodies." और इसमें संशोधन सिलेक्ट कमेटी ने किया है वह इस प्रकार है :—

"If any question arises whether any person has been duly elected or appointed or is entitled to be, a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred to the Chancellor, whose decision thereon shall be final...."

इतनी क्लॉज़ तो जो एक्ट मॉडल एक्ट से लिया गया है उसमें सिलेक्ट कमेटी ने संशोधन कर दिया है जो इस प्रकार है :—

"and shall not be liable to be questioned in any court of law...."

यह मॉडल एक्ट की भावना के विपरीत है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि वे इस बात को भी मान लें और स्वीकार कर लें जो मैंने रखा है।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, शिक्षा) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने कल जब वे अपना मोशन मूव कर रहे थे तो उन्होंने इस क्लॉज़ की चर्चा की थी....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, अगर माननीय मन्त्री इसको स्वीकार करते हैं तो मैं इस पर नहीं बोलना चाहूँगा और अगर वे इसको स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं इस पर बोलूंगा। इसलिये आप यह बता दें कि आप इसको स्वीकार करते हैं या नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं स्वीकार नहीं करता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, जिस समय कोर्ट में जाने का प्रश्न आता है उस समय आप कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं देना चाहते। समझ में नहीं आता कि आप यह अधिकार क्यों नहीं देना चाहते ? पोज़ीशन यह है कि चॉन्सलर को हमने विज़िटर माना है और चॉन्सलर को हमने अधिकार दिया है कि वह वाइस चॉन्सलर, रजिस्ट्रार आदि को इलेक्ट करे और उनको एपोइन्ट करे। अगर उनका एपोइन्टमेन्ट और इलेक्शन गलत हो जावे तो आप ऐसी परिस्थिति में उसके खिलाफ कोर्ट में केस को नहीं ले जाना चाहते और चॉन्सलर ने जो कुछ किया है उसको फाइनल मानते हैं। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का तथ्य है कि यदि कोई वास्तव में गलती हुई है तो उसका निराकरण कोर्ट में कोई करवाना चाहे तो करा सकता है। मगर सरकार की यह आदत सी रही है कि वह हर मामले में जुडिशियरी को डिबार करना चाहती है। अगर किसी ऑथोरिटी की गलती है और किसी ने गलत एपोइन्टमेंट किया है तो कोर्ट में उसको चैलेन्ज किया जा सकता है। किसी भी मामले में अगर गल्ती होती है तो उसको कोर्ट में चैलैन्ज किया जा सकता है। मगर यहां पर आप कोर्ट में चैलेन्ज करने से रोकते हैं और कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को क्यों डिबार करते हैं ? दूसरे मामलों में जब सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं तो फिर समझ में नहीं आता कि

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आप क्यों डरते हैं ? कोर्ट ऑफ लॉ है और हाई कोर्ट तो न्याय मन्दिर है, जिसको डिबार करते चले जावें तो किसी प्रकार जो भी कमियें होंगी और गल्तीयें होंगी उनको ठीक किया जा सकता है। अगर कोई गल्त एपोइन्टमेंट हो गया तो एग्रीव्ड पार्टी कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर अपना इन्साफ करा सकती है। आप इसलिये डरते हैं कि अगर आपने इस प्रकार का प्रोविज़न रख दिया तो वाइस चान्सलर और रजिस्ट्रार पार्टी बनाए जावेंगे और उन पर मुकदमात चलाए जावेंगे। मगर मैं सरकार को विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में दो-चार केसेज़ भले ही चलें, बाकी कोई केसेज़ नहीं चलेंगे। इसलिये आपको डरने की आवश्यकता नहीं है।

आप, हक से क्यों डिबार करना चाहते हैं ? In the Improvement Trust Act has been said that the appointment of Chairman of Improvement Trust shall not be questioned in the Court of law. क्या मतलब होगा ? इसका मतलब यह होगा कि इसकी वेलिडिटी के बारे में चाहे वह कॉन्सटिट्यूशनली दावा नहीं कर सकता, Constitutional validity के बारे में हम विचार सदन में नहीं करते। संविधान के अनुसार यदि किसी विधान सभा ने कानून बनाया तो उस कानून को अदालत में चैलेन्ज किया जा सकता है। मगर आज यूनिवर्सिटी के चान्सलर ने जो कर दिया उसको चैलेन्ज नहीं किया जा सकता, अदालत में यह वाजिब बात नहीं है। मैं नहीं समझता कि इसमें कौनसी लोजिक है, कौनसा तर्क है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो तर्क आपने दो मिनट पहले सदन में दिया कि यह मोडल एक्ट है, मगर सिलेक्ट कमेटी ने इसमें चैलेन्जेज़ किये हैं। इसलिये जो लॉजिक आपने सदन में दो मिनट पहले दी थी वह गलत हो गई। केवल मॉडल एक्ट का सहारा लेकर आप बात करते हैं और एक सिद्धान्त की दो मिनट पहले आपने हत्या की थी। सिलेक्ट कमेटी ने ओरीजिनल बिल में एमेन्डमेन्ट किया है उसके स्वरूप में लिया जावे।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री, शिक्षा) : सभापति महोदय, यह संशोधन सिलेक्ट कमेटी में किया गया था और उसी रूप में यह क्लॉज़ सदन के सामने है। यह इसलिए किया गया डिस्कशन के बाद सिलेक्ट कमेटी में कि सिलेक्ट कमेटी की ऐसी राय थी कि इसको मोर एक्सप्लीसिट और केटेगोरिकल बना दें ताकि लिटिगेशन से बचा जा सके। कोई आदमी अपोइन्टमेन्ट के मामले को लेकर कोर्ट से इन्जंक्शन ला सकता है। एक तरफ आप यूनिवर्सिटी की ऑटोनोमी की बात करते हैं, यह यूनिवर्सिटी का इन्टर्नल मामला है, क्लॉज़ ३१ के हैडिंग से मालूम होगा, "Disputes as to constitution of University Authorities and Bodies" उनके बीच में कोई इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो और उनको रेफर करने के बाद चॉन्सलर फैसला कर दे तो उसके बाद चॉन्सलर के डिसीज़न को किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता और इस प्रावधान को इसीलिए रखा गया है कि इस तरह के डिस्प्यूट के बहुत कम चान्सेज़ रहें और अगर हो जायं तो एमर्जेन्सी पॉवर्स दी हैं चान्सलर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी सरकमस्टान्सेज़ में ताकि वे यूनिवर्सिटी की ऑटोनोमी

(श्री परसराम मदेरणा)

के कॉन्सिस्टेन्स में इस तरह के डिसीज़न्स हैं वे किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेन्ज न हो सकें। लेकिन उसके साथ साथ मैं आप से कहूँ, जैसा माननीय सदस्य कल अपने भाषण के दौरान में फरमा रहे थे कि न्याय के मंदिर का दरवाजा इस तरह से बन्द हो जावेगा । लेकिन एक रेमेडी यह है । एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेमेडी जो रिट की है जो किसी भी क्वेश्चनेयर के सामने रहती है और रिड्रेस कर सकें

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आप रोक नहीं सकते, नहीं तो रोक देते ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : कॉन्स्टीट्यूशन में दी हुई है जो आपके हाथ में नहीं है ।

श्री परसराम मदेरणा : लेकिन आप ऐसा मानते हैं कि यह जो अमेन्डमेन्ट सिलेक्ट कमेटी ने प्रस्तुत किया है इसको हटाया जाना चाहिये; जैसा मॉडल एक्ट का मैंने आपके सामने उदाहरण दिया तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है कि इस अमेन्डमेन्ट को डिलीट कर दिया जाय ताकि न्याय के मन्दिर का दरवाजा हमेशा के लिए खुला हो जाय। अब यह क्लॉज़ इसी प्रकार ही रहेगा :

'If any question whether any person has been duly elected or appointed or is entitled to be, a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred to the Chancellor, whose decision thereon shall be final. 'This shall be the clause now. And the rest of it is deleted.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खंड ३१, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

खंड ३१, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

खण्ड ३२ से ३६.

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ३२ से ३६ विधेयक के अंग बनें ?

(स्वीकृत)

खंड ३२ से ३६ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

(विराम)

खंड ३७

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मेरा संशोधन है कि सब क्लॉज़ (१) में एक प्रोवीज़ो जोड़ दिया जाय । Subclavse (l) runs:

"At any time agter the passing of this Act and until such time as the authorities of the University shall have been duly constituted or until Such further time as the Syndicate may desire a Special Officer shall be appointed by the State Government for the

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

University

1 haveadded a proviso to sub-clause,,

"Provided that the permanency of the staff so appointed shall not be deferred for more thanan year from the date of appointment..

प्रश्न यह है कि जो स्पेशल ऑफिसर अपोइन्ट किये जावेंगे उनको यह अधिकार दिया गया है कि वे कुछ मीनियल और क्लेरिकल स्टाफ अपोइन्ट कर सकते हैं और यह प्रावधान रख दिया है कि सिन्डीकेट कन्फर्म न कर दे तब तक परमानेन्ट नहीं होंगे। सिन्डीकेट की मीटिंग ६ महीने में बुलाई जावेगी और उनके एजेन्डा पर कन्फर्मेशन के लिए कब आये, इसका भी खुलासा नहीं है और आम तौर पर यह होता है कि कन्फर्मेशन के लिए मन्थ्स और ईयर्स निकल जाते हैं, टीचर्स के कन्फर्मेशन दस-दस साल से पड़े हुए हैं, वे लटकते न रहें; इसलिये मैंने यह रखा है कि एक साल के अन्दर कन्फर्मेशन हो जाना चाहिये और सिन्डीकेट की मीटिंग के कारण ऐसी चीज लटकती न रहे। मैं समझता हूं कि इससे उनका यह मॉडल एक्ट घायल न होगा और वे इसको स्वीकार करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, शिक्षा) : जैसा कि क्लॉज़ से स्पष्ट है कि स्टाफ को परमानेन्टली एम्प्लॉय करने के पॉवर्स सिन्डीकेट के पास हैं, लेकिन आपकी मंशा यह है कि स्टाफ की परमानेन्सी को एक साल से अधिक समय के लिए न रोका जाय। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि स्पेशल ऑफिसर का अपोइन्टमेन्ट थोड़े समय के लिए है और रजिस्ट्रार के अपोइन्टमेन्ट का मेन प्रोविज़न है। जब तक रजिस्ट्रार का अपोइन्टमेन्ट न हो, थोड़े अर्से के लिए प्रिलिमिनरी काम के लिए स्पेशल ऑफिसर का अपोइन्टमेन्ट किया जावेगा और वे ही क्लेरिकल और मीनियल स्टाफ का अपोइन्टमेन्ट करेंगे, जो कि इनीशियल स्टेज में यूनिवर्सिटी का काम स्टार्ट करने के लिए आवश्यक हैं।

जहां तक परमानेन्टली अपोइन्टमेन्ट करने का सवाल है इसको सिन्डीकेट करेगी और ऑफिसर की जगह रजिस्ट्रार काम करेगा। यह जल्दी ही किया जावेगा और माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि स्पेशल ऑफिसर की नियुक्ति लम्बे अर्से के लिए नहीं होगी, कुछ समय के लिए ही रहेगी। आज भी डिपार्टमेन्ट में स्टाफ अपोइन्ट करते हैं तो टेम्पोरेरी ही करते हैं, टेम्पोरेरी अपोइन्ट होता है। हम ऐसा मान कर चलें कि सिन्डीकेट जल्दी ही उनको परमानेन्सी देगी सर्विस के बारे में और इसमें ये शब्द संशोधन के रूप में इन्सर्ट करना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है, इसलिए मैं इसको स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खंड ३७ पर जो संशोधन श्री रामानन्द अग्रवाल ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

Page No. 101

(श्री सभापति)

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ३७ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

खंड ३७ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

खण्ड ३८.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३८ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

खण्ड ३८ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

खण्ड ३६.

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह चाहूंगा कि मॉडल एक्ट में इस बारे में क्या प्रोविजन है वह बता दें ?

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, शिक्षा) : What have you got to say about this amendment ? Have you got any cogent and sufficient reasons just to delete it ? You make out your base and let me know.

श्री भैरोंसिंह : यह चाहता हूं, इसलिए कि बार बार इसी का हवाला दिया जाता है ।

श्री परसराम मदेरणा : You make out your case .

श्री भैरोंसिंह : मैं उसके बिना आपको कैसे मना सकूंगा ? मोडल एक्ट में यदि इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं है तो वह बतला दीजिये, क्योंकि आपने तो उसी को बेसिस बना रखा है । मैं यह जानना चाहता हूं कि उसमें यह प्रोविज़न है या नहीं ? मोडल एक्ट अपने आप में सफीशियेन्ट है, यह क्लॉज़ मोडल एक्ट में हैं अथवा नहीं, बतला दीजिये ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (शिक्षा मन्त्री): एक्ट का विषय नहीं है, हमारे सामने तो यह बिल है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): यह मोडल इतने समय तक तो नहीं था अब बना है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) सभापति महोदय, अब तक जितने भी संशोधन पेश किये गये उन संशोधनों के संबन्ध में शिक्षा मंत्रीजी साधारणतया उन्हें स्वीकार करते आ रहे है । आगे चल कर करना है, मॉडल एक्ट में इस प्रकार के प्रोविज़न नहीं हैं इस तरह से मजबूरी दिखा रहे थे । क्लॉज़ ३६ रिमूवल ऑफ डिफीकल्टीज़ के संबन्ध में है । रिमूवल ऑफ डिफीकल्टीज़ के नाते मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि हमने जब एक्ट बनाया, एक्ट में सीनेट, सिन्डीकेट, ऐकेडेमिक कौन्सिल्स इनके अलग अलग

(श्री भैरोंसिंह)

फंक्शन्स दिये हुए हैं। इनका किस प्रकार से गठन होगा, इनका इलेक्शन किस प्रकार से होगा और इनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी; इस सम्बन्ध में जब चर्चा हो रही थी तो माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया था कि ये सब स्टेच्यूट में कवर हो जावेंगे, उसके बाद किसी प्रकार की आपत्ति नहीं रहेगी; जो हम एक्ट बनाने जा रहे हैं उसके बाद में किसी प्रकार की डिफीकल्टी संभव नहीं रहेगी।

यह जो क्लॉज़ रखा है उनके अनुसार ऐसी बातें जिनको वे हाउस के सामने तो रखना नहीं चाहते, पहले एन्टिसिपेट करके चलते हैं, कानून को इस प्रकार से इन्टरप्रेट करना है, चाहे किसी प्रकार के एडीशन बिना लेजिस्लेचर की सेंक्शन के की जा सकती हैं, इस प्रकार के पॉवर्स इस क्लॉज़ द्वारा लेना चाहते हैं। अब तक जो क्लॉज़ेज़ अलग अलग स्वीकार किये हैं, कल जैसा कि जयपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा था कि इसमें इतने क्लॉज़ेज़ रखने की क्या आवश्यकता थी, केवल एक क्लॉज़ ही रख देते और वह काफी था; जोधपुर यूनिवर्सिटी खोलनी है उसके बारे में जो कुछ भी करना हो तो वह आप रूल्स में प्रोवाइड कर देते, केवल यूनिवर्सिटी खोलने की सेंक्शन दे दी जाय। अगर यह क्लॉज़ स्वीकार हो जाता है तो जो ३८ क्लॉजेज़ हमने पास किये हैं उनके इम्पलीमेन्टेशन पर इनका क्या असर होने वाला है, इससे हम उसमें विश्वास व्यक्त नहीं करते हैं, अविश्वास की नीति पर चलेंगे। जो क्लॉज़ेज़ पास किये हैं उनके ईम्पलीमेन्टेशन में डिफीकल्टीज़ क्रिएट होंगी, इसलिये हमारा यह कर्तव्य है कि हम हाउस को कॉन्फिडेन्स में लें; इस प्रकार की डिफीकल्टीज़ जिनको रिमूव करना है बिना किसी प्रकार की डिफीकल्टीज़ बताये हम एन्टिसिपेट नहीं कर सकते; इसलिये इस प्रकार का क्लॉज़ जरूरी नहीं। जिला परिषद् और पंचा एक्ट में इस प्रकार का क्लॉज़ रखा था; लेकिन उसकी पोज़ीशन और इसकी पोज़ीशन अलग अलग है। इस एक्ट में इस प्रकार के पावर्स देना एसेम्बली के पॉवर्स का निगेशन है। डेमोक्रेटिक पॉवर्स में इस प्रकार का हथियार लेकर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट अपनी इच्छानुसार जिस प्रकार का भी काम करना चाहे काम करने के लिये तैयार होगी। मॉडल एक्ट को बेसिस बना कर असेम्बली के राइट्स कर्ब नहीं किया जाय, लेजिस्लेटिव फंक्शन्स को सरकार अपने हाथ में न ले। लेजिस्लेचर पर आप विश्वास व्यक्त करते हैं तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज़ को रिमूव कर दें? अगर कोई डिफीकल्टी आये तो गवर्नर महोदय को पॉवर्स मिले हुए हैं वे उस बारे में ऑर्डिनेन्स इश्यू कर सकते हैं और अगर असेम्बली का सेशन चलता हुआ हो तो उसमें बिल लाकर अमेन्डमेंट करवा सकते हैं। लेजिस्लेचर के पॉवर को कर्ब न करिये। अगर आप इस बात का ध्यान न रखते हुए हमसे यह मन्जूर करवाना चाहते हैं तो इसके मायने यह हुए आपके दिल में और सरकार के दिमाग में इस डेमोक्रेसी के प्रति किसी प्रकार की श्रद्धा नहीं है। मेम्बर्स के अधिकारों में इन्टरफिंयरेन्स से ऐसा प्रतीत होता है कि हाउस के फंक्शन्स के प्रति आपकी कोई श्रद्धा नहीं, आप हाउस को कॉन्फिडेन्स में लेना नहीं चाहते, ऐसी चीजें पास करवा कर हाउस के बाहर आप इस क्लॉज़ के मातहत जो आप

(श्री भैरोंसिंह)

चाहेंगे वह करवाने के लिये तैयार रहेंगे। हमको इस प्रकार के क्लॉज़ेज़ की टेन्डेंसी को डेवलप नहीं होने देना चाहिये। जैसे जयपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने एक सुझाव रखा था, इस प्रकार का कानून बना दिया जाय जिसमें यह यह लिख दिया जाय कि जो भी सरकार करना चाहे बिना किसी मन्जूरी के कर सकती है। इस प्रकार के प्रावधान रखते हैं तो मैं डेमोक्रेसी के हित में निवेदन करूंगा कि जो कुछ संशोधन पेश किया गया है वह एक प्रकार से डेमोक्रेसी में अविश्वास प्रदर्शित करता है, यह स्थिति आप न लायें। इस क्लॉज़ ३६ को डिलीट कर दें। आगे जाकर यह भी पाबन्दी लगा दी कि इसके अन्तर्गत कोई गलत कार्यवाही कर ली तो उसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेन्ज भी नहीं किया जा सकता; जो कुछ भी इसका डिसीज़न होगा वह फाइनल होगा : किसी भी डिसीज़न को चैलेन्ज नहीं किया जा सकता, यह करते हैं तो सारे कैरेक्टर को गलत मानते हैं। मान लीजिये इन क्लॉज़ेज़ के उपरान्त भी काम कर लिया गया तो भी उसको चैलेन्ज नहीं किया जा सकता। तो यह किसी भी कोर्ट में चैलेन्ज नहीं कर सकते, यह जो हमने इसमें रखा है यह क्लॉज़ घातक है इसको तुरन्त ड्रॉप कर दिया जाय। आपको किसी प्रकार की डिफीकल्टीज़ हों तो उनको आप ऑर्डिनेन्स के जरिये रिमूव कर सकते हैं लेकिन किसी चीज को एन्टिसिपेट करके ही आप चाहें कि लेजिस्लेटर्स से उस पर मोहर लगवा लें, यह प्रजातन्त्र के लिये घातक होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय सभापति महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें इस क्लॉज़ के सम्बन्ध में कही हैं उनकी पुनरावृत्ति न करते हुए एक बात मैं और कहना चाहूंगा। यह क्लॉज़ सरकार ने जो इसमें रखा है वह इसलिये है कि उनको किसी कार्य में कोई दिक्कत पेश आये उन दिक्कतों को दूर करने के लिये किसी प्रकार की आज्ञायें जारी करनी पड़ें। लेकिन मैं माननीय उप–मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ये जो अधिकार लिये हैं १२ महीने के लिये लिए हैं कि वे इस समय में इस प्रकार की आज्ञायें जारी कर सकते हैं। इस विधान सभा का अधिवेशन संविधान के प्रावधानों के अनुसार छः महीने में निश्चित रूप से बुलाना होता है। वैसी हालत में आप इसी एकेडेमिक ईयर से तो यह शुरू करनेवाले नहीं और स्पेशल ऑफिसर भी आप बहुत थोड़े दिनों के लिये नियुक्त कर रहे हैं। इन सारी परिस्थितियों में इस कानून के अन्तर्गत सीनेट, एकेडेमिक कौन्सिल्स, बोर्ड, रजिस्ट्रार वाइस चॉन्सलर आदि की नियुक्ति की सारी कार्यवाही जुलाई से हो जायगी। अक्टूबर या नवम्बर में इस असेम्बली का फिर सत्र चालू हो जाता है, तो ऐसी कोई दिक्कत आती है इस सारे कानून के सम्बन्ध में तो उस समय संशोधन विधेयक लाना चाहिये और ला सकते हैं। आखिर डिफीकल्टीज़ रिमूव करने के लिये १२ महीने के लिये क्या अधिकार लेना चाहते हैं? ट्रान्ज़ीशनल पीरियड छः महीने में समाप्त हो जावेगा। इस अर्से में यूनिवर्सिटी काम करना शुरू कर देगी। अगर छः महीने से अधिक की आवश्यकता हुई तो छः महीने में तो

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

विधान सभा का अगला सत्र भी आ जावेगा। तो फिर यह १२ महीने का अधिकार अपने हाथ में रखने में कौनसा लॉजिक है ? मैं नहीं समझता कि छः महीने के बाद भी कॉन्स्टीट्यूशन या फॉर्मेशन की दृष्टि से कुछ बचेगा। मैं तो चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी काम शुरू हो जाय, जुलाई से सैशन चालू हो जाय। अच्छा होता कि आप इसके साथ साथ स्टेच्यूट्स भी रख देते तो उन पर भी इस सदन में ही विचार करके अगर संशोधन की आवश्यकता होती तो संशोधन भी लाकर सदन इसमें तरमीम कर देता।

इसके अतिरिक्त कानून के दायरे के बारे में मेरे दूसरे मित्रों ने कहा है, क्योंकि शायद ऐसा मॉडल एक्ट में भी नहीं है। सारी चीज के जुरिस्डिक्शन को डिबार करने में ऐसा क्या है ? मैं नहीं समझता कि एग्ज़ीक्यूटिव बोडीज़ के ऑर्डर्स को क्यों नहीं अदालत में चैलेन्ज किया जा सकता। आपने भाषा लिखी है :—

"39 (2) No order made under sub-section (1) shall be questioned in any Court of law on the ground that no difficulty as is referred to in the said sub-section existed or was required to be removed."

कोई डिफीकल्टी हो, उसको रिमूव करने का अधिकार दिया जा सकता है। पर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनेरी पॉवर्स हैं जो साधारणतया नहीं दिये जाने चाहिये। सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी का कहना है कि ऐसे पॉवर्स नहीं दिये जाने चाहिये। पंचायत और पंचायत समिति के एक्ट में भी, जो कि बिल्कुल एक विशेष परिस्थितियों में हो रहे थे, इस सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी ने राय दी है कि ऐसे एक्स्ट्रा-ऑर्डिनेरी पॉवर्स नहीं दिये जाने चाहिये। तो जहां उसने पंचायतों में भी ऐसे पॉवर्स देने की राय नहीं दी, वहां तो यूनिवर्सिटी का ही मामला है। अगर आप जल्दी करना चाहते हैं और आपकी जिनुआइन डिफीकल्टी हो तो दे सकते हैं। पर आप तो कहते हैं कि डिफीकल्टी न भी हो तो भी ऐसे पॉवर्स दे दिये जावें कि उसको कोई कोर्ट में चैलेन्ज नहीं कर सकता। यह भारत के नागरिक के सोवरिन और सुप्रीम संवैधानिक अधिकारों पर हमला है। भारत के नागरिक को संविधान ने यह अधिकार दिया है कि वह अपनी कोई भी शिकायत अदालतों में ले जा सकता है, अदालतों के दरवाजे खटखटाने का उसे हर मामले में अधिकार है। मैं नहीं समझता कि राजस्थान सरकार का कोई भी आदेश जो बिना डिफीकल्टीज़ के भी हो सकता है और कानून के खिलाफ हो सकता है, संविधान के खिलाफ हो सकता है, उनको भी चैलेन्ज करने के हर नागरिक के अधिकार से उसे कैसे वंचित किया जा सकता है; आप कैसे उसे डिबार कर सकते हैं ?

सदन की यह भावना है कि कानून ठीक ढंग से चले। अब अगर आप अदालतों में जाना डिबार करते हैं तो कानून कहां रहा ? अब अगर कानून नहीं रहा तो फिर कानून के ये मन्त्री कहां रहेंगे ? इस वास्ते मैं कहता हूं, अगर आप इस तरह के अधिकार लेना चाहते हैं तो फिर इन कानून के मंत्रियों की और अदालतों की आवश्यकता ही क्या रह जावेगी ? अतः मैं कहता हूँ कि आप इस

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सब-क्लॉज़ (२) को डिलीट कर दें और १२ महीने के स्थान पर ६ महीना कर दें। पूरा डिलीट कर दें तो और भी अच्छा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदय, जो क्लॉज ३६ है यह केवल एक असुविधा जो अचानक इस एक्ट के प्रोविज़न को इफेक्ट देने में आवे, उसके निवारण के हेतु बनाया गया है; परन्तु जो इसके पीछे निहित सिद्धान्त है वह इतना भयानक है कि यदि इस सदन ने उसे स्वीकार कर लिया तो हम तमाम इस पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी को एक मजाक बना देंगे।

सभापति महोदय, इस सदन ने इस बिल पर विचार किया है। इससे पूर्व एक सिलेक्ट कमेटी ने भी इस पर विचार किया है और इसके बाद इस पर बहस करके इसको मन्जूर किया है। तो इस बिल पर काफी बहस होनेके बाद और काफी सोचविचार के बाद मन्जूर हुआ है। इसी बिल में मनचाहा संशोधन और परिवर्तन और परिवर्द्धन या इन्टरप्रीटेशन लगाने के लिये सरकार इस क्लॉज़ ३६ के जरिये असीम और अबाध पॉवर्स अपने हाथ में लेना चाहती है। अगर इतनी बहस और परिश्रम से एक कानून को पास करने के बाद इस तरह के अधिकार सरकार अपने हाथ में लेती है तो फिर क्या मकसद रह गया इस कानून को पास करने का, इस पर बहस करने का और व्यर्थ में इतना परिश्रम करने का और क्या मकसद रह गया है इस लेजिस्लेचर का भी और क्यों इतना सिरदर्द किया गया ? इससे तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह सरकार कहने को भले ही डेमोक्रेसी को सैद्धान्तिक रूप में मानती हो, पर व्यवहार में बिल्कुल एक फासिस्ट टेन्डेन्सी सरकार में पैदा हो रही है।

श्री सभापति: You need not repeat the arguments that have been advanced by the Hon'ble Members.

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : माननीय सदस्य दो, तीन बार पहले भी ये बातें कह चुके हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : I want to stress and we have to place our points also. Certain other parties have put their view points and I have to put my own party's view...

श्री सभापति : Avoid the repetitions, that is what I meant.

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसलिये यह प्रश्न भी नहीं है कि एक दिन के लिये भी ऐसे अधिकार सरकार को दिये जावें जो कि डेमोक्रेसी के सिद्धान्त पर चलने का दम्भ भरती है। इस तरह के अधिकार देने की बात इस बिल में से हटा देनी चाहिये।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : सभापति महोदय, एक मिनट का समय मुझे दिया जाय।

श्री सभापति : आप इसका विरोध करना चाहते हैं ?

श्री अब्दुलजब्बार : इसे डिलीट करने के प्रस्ताव के सपोर्ट में बिल्कुल कॉन्स्टीट्यूशनल-वे में कुछ कहना चाहता हूँ।

श्री सभापति : There should be no repetiton.

श्री अब्दुलजब्बार : बिलकुल नहीं। डेमोक्रेसी में सरकार प्रिन्सिपल्स पर चलती है। लेजिस्लेशन, जुडिशियरी एग्ज़ीक्यूटिव और स्वायत्त संस्था इन चार खम्भों पर जनतन्त्र का भवन खड़ा है। कोई भी एक खम्भा अगर निकाल दिया गया तो यह जनतन्त्र का भवन ढह जावेगा और उसकी छत के नीचे खड़े हम सब दब जावेंगे, हमारी जानें चली जावेंगी और केवल शब्द ही आकाश में गूंजते रहेंगे प्रजातन्त्र! प्रजातन्त्र!! प्रजातन्त्र!!!

आज जब एक कानून को पास करने का अधिकार लेजिस्लेचर को दे रखा है तब फिर उसमें इन्टरफियर करने का अधिकार सरकार क्यों अपने पास लेना चाहती है? यह अधिकार लेना जनतन्त्र की इमारत का लेजिस्लेशन का खम्भा निकालने जैसा है। यह उस खम्भे को गिराना है, उस पर कुठाराघात करना है। इस कुठाराघात को रोकने के लिये हर सदस्य को जोर लगाना चाहिये और यह अधिकार सरकार को नहीं देना चाहिये। लेजिस्टेटिव बॉडी के अधिकारों में एग्ज़ीक्यूटिव इन्टरफियर न करे। एग्ज़ीक्यूटिव बॉडी को भी इन्डिपेन्डेन्ट रहना चाहिये, उसे दूसरों के अधिकार नहीं छीनने चाहिये। They should bring to the Legislative Body and then it should be removed. अगर उनको कोई तकलीफ है तो हमें कहे, हम लेजिस्लेशन और लावेंगे और उनकी तकलीफ रफा करेंगे। इसलिये इस क्लॉज़ ३९ को इसमें से बिल्कुल हटा देना चाहिये और हर माननीय सदस्य का फर्ज है कि इसका खुलकर विरोध करे और इस डेमोक्रेसी की बिल्डिंग पर आघात होने से बचाए।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : माननीय सभापतिजी, इस ३९ क्लॉज़ को लेकर यहां तक कहा गया कि हम प्रजातन्त्र की किसी माने में हत्या करना चाहते हैं या सरकार का रुख फासिस्ट है इस तरह से कई आरोप सरकार पर लगाये गये। मुझे खेद है कि इन चार्जेज़ को स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूँ। हम सदन की प्रतिष्ठा को कायम रखना चाहते हैं, प्रजातन्त्र के उसूलों को कायम रखना चाहते हैं और इसमें हमारा उत्साह उतना ही है जितना कि उनका है।

यह सेक्शन ३९ है। इसके दो हिस्सों पर विचार किया जा सकता है। जहां तक पहला सेक्शन है कोई जोधपुर यूनिवर्सिटी में ही इसका समावेश किया गया हो, ऐसी बात नहीं है, बल्कि जब कभी नई यूनिवर्सिटी जन्म लेती है और पुरानी यूनिवर्सिटी अपने बन्धनों को तोड़ कर आती है तो उसके ट्रान्ज़ीशनल पीरियड में कई ऐसी एमर्जेन्सी की बातें पैदा होती हैं जिसके बारे में सरकार के पास में ऐसे अधिकार दिये गये हैं। मैं आपको पूना यूनिवर्सिटी एक्ट का रेफरेन्स देता हूँ, जो कि बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, देहली यूनिवर्सिटी एक्ट जो नया है उसका जिक्र कर रहा हूँ, उनमें भी ऐसा क्लॉज़ है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी का जिक्र करता हूँ जो कि बिल्कुल नई बनी है, क्योंकि आगरा यूनिवर्सिटी को और जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ बनी थीं आगरा को यूनिवर्सिटी एक्ट में भी ऐसा ही प्रोविज़न है। मैं आपको तसल्ली दिलाना चाहता हूँ कि इसका उपयोग बहुत ही रेयरली होता है। हमने म्युनिसिपेलिटी एक्ट, पंचायत समिति और जिला-

(श्री मथुरादास माथुर)

परिषद् एक्ट पास किये उनमें भी यह प्रोविज़न रखा था और आप सभी को मालूम है कि ऐसे क्लॉज़ के मातहत कार्यवाही बहुत ही कम की जाती है ....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : इसका बड़ा भारी दुरुपयोग हुआ है।

श्री मथुरादास माथुर : वह तो एक्ट का ही हो सकता है, प्रोविज़न का नहीं हो सकता। तो मैं यह निवेदन करना चाहता था कि जो आपको शंकायें हैं वे निराधार हैं। न तो प्रजातन्त्र की हत्या करने का इरादा है, न आपके हकों को छीनने का इरादा है। इसको केवल १२ महीने के लिए करने का सोचा गया है और उसके बाद में यह अपने आप लैप्स हो जाता है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : ६ महीने कर दीजिए।

श्री मथुरादास माथुर : क्या फर्क पड़ता है? What difference does it make?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Then get it '9th months.' 9 Months will do.

श्री मथुरादास माथुर : जहां तक दूसरे क्लॉज़ का सम्बन्ध है इसके ऊपर जो दलील दी गयी है, अदालतों के अन्दर, कोर्ट ऑफ लॉ के अन्दर भी नहीं जा सकते। इसके लिए हमारे शिक्षा मन्त्री महोदय उत्तर देंगे तब इसके ऊपर रोशनी डाल देंगे।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री, शिक्षा) : सभापति महोदय....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): इतना इन्डिपेन्डेन्ट चार्ज मत दो डिप्टी मिनिस्टर्स को।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (शिक्षा मंत्री): मुझे खुशी है कि नौजवानों के हाथों में आज शक्ति जा रही है।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, रिमूवल ऑफ डिफीकल्टीज़ का जो प्रोविज़न है उसको पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है :—

"Removal of Difficulties--The State Government may for the purpose of removing any difficulties, particularly in relation to the transition from the provisions of the University of Rajasthan Act, to provisions of this Act..."

इसलिए यह ट्रान्ज़ीशनल पीरियड के लिए है और वह भी प्रोवीज़ो में साफ लिखा है कि गवर्नमेन्ट का इस तरह का ऑर्डर एक साल से ज्यादा का नहीं होगा। दूसरे इस क्लॉज़ के सब-क्लॉज़ (ए) में भी स्पष्ट है :—

"Direct that this Act, shall during such period as may be specified in the order, take effect subject to such adaptations whether by way of modification, addition or omission as it may deem fit to be necessary or expedient."

उस ऑर्डर में भी टाइम ऑफ स्पेसिफिकेशन होगा। इसलिए दो तरह के उसमें चैक

(श्री परसराम मदेरणा)

हैं और जैसा कि लॉ मंत्री महोदय ने बताया कि इस राज्य में जो एक्ट यहां पारित हुए हैं और जो एक्ट के रूप में आज एनफोर्स हैं, राजस्थान म्युनिसिपेलिटी एक्ट है, पंचायत समिति और जिला परिषद् एक्ट है उनमें भी इस तरह की इनीशियल स्टेज में डिफीकल्टीज़ को रिमूव करने का प्रावधान था। जब हम नई यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रहे हैं और ट्रान्ज़ीशनल पीरियड में और खास तौर से राजस्थान यूनिवर्सिटी एक्ट के प्रोविज़न्स उस एक्ट के प्रोविज़न्स हैं कि इस तरह की डिफीकल्टीज़ अराइज़ हो जायें तो गवर्नमेंट इस तरह का एक ऑर्डर नोटीफाई करेगी और उसमें भी समय को निर्धारित करेंगे और वह समय ज्यादा से ज्यादा १२ महीने का होगा। तो दो, दो चैक्स लगा दिये गये हैं और मैं समझता हूँ कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ जिनका हवाला लॉ मिनिस्टर ने किया उनमें भी ऐसा प्रावधान है। मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य, जिस स्प्रिट से हमने रखा है उसी स्प्रिट से लेंगे, न कि खासतौर से प्रजातंत्र की हत्या की संज्ञा देकर इसका गलत मतलब निकालें। जहां तक सब-क्लॉज़ (२) का प्रश्न है सभापति महोदय, उसको डिलीट किया जाये तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं माननीय सदस्य के सुझाव को स्वीकार करता हूं और ऐसा प्रस्ताव करता हूं कि सब-क्लॉज़ (२) को डिलीट किया जाये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३९ में से सब-क्लॉज़ (२) हटाने का संशोधन स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३९, संशोधित रुप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३९, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रुप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १, प्रीएम्बल इत्यादि।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १, प्रीएम्बल, इनेक्टिंग फॉर्मूला एवं टाइटल विधेयक के अंग बनें। (स्वीकृत)

क्लॉज़ १, प्रीएम्बल, इनेक्टिंग फॉर्मूला व टाइटल विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जोधपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९६२ को, जैसा कि सदन द्वारा संशोधित किया गया है, पारित किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जोधपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९६२, जैसा कि सदन द्वारा संशोधित किया गया है, पारित किया जाये।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

We now adjourn to meet tomorrow at 8 A. M.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही १ बज कर ४८ मिनट पर ११ मई, १९६२ के ८ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

संक्षिप्त-विवरण

(गुरुवार, १० मई, १९६२)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक ७०२१

ग्राम अरोदा, सब-तहसील मासलपुर में डकैती।

राज्यों में सांख्यिकी संस्थाएं।

जोधपुर में गन्दा नाला।

अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, जोधपुर।

निवाई में सस्ती बिजली।

खादी कार्यकर्त्ताओं की जमीन।

सड़क-निर्माण।

जालोर जिले में डॉक्टर और अन्य स्टाफ।

डेपुटेशन पर भेजे गये अधिकारीगण।

शपथ-ग्रहण।

सड़क-निर्माण।

सांचोर में गोचर भूमि का कब्जा।

निवाई कस्बे का शफाखाना।

थाना आवां गांधीग्राम, तहसील, देवली में दायर हुए मुकदमे।

सड़क और पुलिया।

गंगानगर म्युनिसिपैलिटी के चुनाव।

पक्की सड़क का निर्माण।

विकास प्रदर्शनियां।

अलवर जिले को चम्बल की बिजली।

अग्रिम वेतन-वृद्धि।

सड़क का सुधार।

पुल-निर्माण।

रानीवाड़ा में एन. ई. एस. ब्लॉक।

सड़क का सुधार।

अलेक्ज़ेन्ड्रा हॉस्पिटल, अलवर।

बिजली की योजना।

सड़क निर्माण की मांग।

पक्की सड़क का निर्माण।

सांचोर में नल योजना का कार्य।

स्थगित प्रश्न

(३-५-६२)

गबन के मामले।

स्तम्भ | स्तम्भ

जिला पाली के सरपंचों के विरुद्ध गबन की शिकायतें ।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र ७०८५

१. श्री बालकृष्ण कौल, वित्त मंत्री ने निम्नांकित लेखे तथा प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखे:—

(१) राजस्थान राज्य के विनियोग लेखे, १९६०–६१

(२) राजस्थान राज्य के वित्त लेखे, १९६०–६१

(३) अंकेक्षा प्रतिवेदन, १९६२ ।

२. श्री हरिभाऊ उपाध्याय, शिक्षा मंत्री ने जो जोधपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९६२ से संबंधित वित्तीय ज्ञापन को सदन की मेज पर रखा ।

प्रतिवेदन का उपस्थापन ७०८६

श्री हरिदेव जोशी, सभापति, जन-लेखा समिति ने समिति के पहले प्रतिवेदन का उपस्थापन किया जो निम्नलिखित लेखे व अंकेक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित है:—

(१) विनियोग लेखा, १९५८–५९ एवं अंकेक्षा प्रतिवेदन, १९६० ।

(२) वित्त लेखा, १९५८-५९ एवं अंकेक्षा प्रतिवेदन, १९५९ ।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना ७०८६

श्री रामकिशन (बैर) ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत भरतपुर जिले में तोल के नये बाटों के न मिलने के कारण उत्पन्न स्थिति की ओर उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री चन्दनमल वैद, उप-मन्त्री, उद्योग, ने इस संबंध में एक संक्षिप्त वक्तव्य दिया ।

विधायी कार्य–विचारार्थ लिये गये विधेयक ।

जोधपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९६२ ७०९२

उपरोक्त विधेयक के विचारार्थ लिये जाने के मूल प्रस्ताव एवं विधेयक को एक नई प्रवर समिति के सुपुर्द करने व जनमत जानने हेतु प्रसारण के संशोधन प्रस्तावों पर आज भी वादविवाद किया गया; जिनमें निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:—

१. श्री सम्पतलाल

२. श्री आनन्दसिंह कच्छवाहा

३. श्री गंगासिंह

४. श्री हीराभाई

५. श्री रघुनाथ बिश्नोई

६. श्री रामानन्द अग्रवाल

७. श्री निरन्जननाथ आचार्य

८. श्री भैरोंसिंह।

शिक्षा मंत्री के उत्तर के पश्चात् विधेयक को एक नई प्रवर समिति के सुपुर्द करने का संशोधन प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकार किया गया तथा विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारण का संशोधन प्रस्ताव वापिस ले लिया गया।

तत्पश्चात् विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड २ से ६-स्वीकार किये गये।

खण्ड १० और ११—संशोधित रूप में स्वीकार किये गये।

सदन की बैठक १ बज कर ४८ मिनट पर शुक्रवार, दिनांक ११ मई, १९६२ को प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

शुक्रवार, दिनांक ११ मई, १९६२ की कार्य-सूची

१. राजस्थान मोटर स्पिरिट विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, १९६२ (विचारार्थ एवं पारित)

२. राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६२ (विचारार्थ एवं पारित)

३. राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९६२ (विचारार्थ एवं पारित)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५८४ का उत्तर देखिये)

क्रम संख्या	नाम हल्का, पंचायत	कुल गोचर भूमि जो सौंप दी गई।	दिनांक सौंपने का
१	२	३	४
१.	आकोली	२,५६०॥)१	१६-६-६१
२.	इटाद्रा	१,१६२॥)४	२१-४-६१
३.	केरिया	८०१।)४	,,
४.	गुडाहमा	१,६२५)	२५-५-६१
५.	चीतलवाना	२,६५४।)४	,,
६.	चोरा	२,८०२॥)४	,,
७.	झाब	४२०॥)।	,,
८.	डाचल	२,०३६)१	६-५-६१
९.	देवड़ा	१,६१३॥)२	१२-११-५६
१०.	रणोदर	१,१८२॥)२	१८-५-६१
११.	विजरोल	३,७१२।)	,,
१२.	होलीगांव	२७,७८८॥)	४-५-६१
१३.	डूंगरी	३,६६५)१	६-२-६०
१४.	भीमगुडा	५,६१८॥)३	३१-१-६०
१५.	बीछावाड़ी	१,६४६)४	६-२-६०
१६.	भडवल	३,२४६।)१	५-२-६०
१७.	सुराचंद	५,६२५।)४	३१-१-६०
१८.	अचलपुर	३,४३४)३	११-२-६०
१९.	सरवाना	१५,१२६।)२	,,
२०.	खेजडियाली	१३,३४,३६२)२	१३-२-६१
२१.	दूठवा	६,६४६॥)४	२६-१-६०

१	२	३	४
२२.	जानवी	४,७६५।)१	११-२-६०
२३.	ढाडेचा	२,६६६॥।)२	,,
२४.	बावरला	१,५८३।)२	४-२-६०
२५.	सूटडी	३,३६३॥)३	६-२-६०
२६.	जाखल	७७२)१	सन् १६५६-६०
२७.	हरियाली	१,१६२॥)२	,,
२८.	कारोला	२,०१६)४	,,
२९.	पांचला	१,३००।)२	,,
३०.	सरनऊ	२,०६६॥)१	,,
३१.	बीरोल	२,६०७)	,,
३२.	नैनोल	२,२०४।)	,,
३३.	गुन्दाऊ	१,६६०)४	,,
३४.	पुर	१,०६६)१	,,
३५.	खारा	१,६८६॥)३	,,
३६.	अरणाय	३,००६॥)३	,,
३७.	हांडेतर	४,२८४।)१	,,
३८.	साकड़	१,२६८॥)	,,
३९.	मुरावा	४,०७७।)१	,,
४०.	गोलासण	४,६४४)१	,,
४१.	डयाल	२,२५६।)३	,,
४२.	सांचोर	२,४४६॥।)१	,,
४३.	धमाणा	२,६३७॥)२	,,
४४.	परावा	३८४।)१	६-५-६१
४५.	निम्बाऊ	१,२१६॥।)३।	२५-५-६१

परिशिष्ट २

(कृपया स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या ४०२ का उत्तर देखिये)

LIST OF EMBEZZLEMENT CASES TAKEN PLACE AFTER THE FORMATION OF R.S.E.B. i. e. from 1957.

S. No. 1	Particulars. 2	Amount involved. 3	Remarks showing the present position of the case and steps taken to effect the recovery. 4
1.	Embezzlement by Shri Durga Lal L.D.C. of Power House, Bhilwara.	Rs. 13.50	The delinquent has been charge-sheeted and Departmental enquiry is being conducted.
2.	Embezzlement by Shri Mishri Lal Jain, U.D.C. of Power House, Jaipur.	No figures have yet been arrived.	The incumbent has been placed under suspension & Depatmental enquiry is being conducted.
3.	Embezzlement by Shri Mohan Lal Pandya, U.D.C. of Power House, Bhilwara.	Rs. 30.00	Audit party is deputed for investigation into the case.
4.	Embezzlement by Shri Gurcharan Lal Bhatiya of Shri Ganganagar, P.H.	Rs. 424.35	The delinquent absconded. The case has been reported to the Police for investigation and recovering the amount. Efforts for recovering the amount are also being made. Rs. 200/- have since been recovered.

1	2	3	4
5.	Embezzlement by Shri Leela Dhar Joshi, L.D.C. of Jodhpur Power-House.	Rs. 2,132.24	The accused has been placed under suspension and recovery of the amount of embezzlement has also been effected. Departmental enquiry is in progress.
6.	Embezzlement by Shri Lalit Mohan, L.D.C. of Power House, Deeg.	Rs. 1,949.72	The accused has been placed under suspension and the case has been registered by the Police who is investigating into the matter.
7.	Embezzlement by Shri Ramesh Chandra Cashier of Power House, Karauli.	Rs. 3,008.58	The delinquent has been placed under suspension & the recovery has been effected. Necessary investigation is being made.
8.	Embezzlement by Shri JethaRam Purohit of Ratangarh.	Apprs. Rs. 66.07	The incumbent has been placed under suspension & Police investigation as well as Departmental proceedings are being taken. Recovery of the embezzlement amount has since been effected.
9.	Embezzlement at Bhawani Mandi.	Rs. 600/-	Recovery has since been effected. Departmental investigation is being made.

परिशिष्ट ३

(कृपया स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या ४०७ का उत्तर देखिये)

गबन सम्बन्धी शिकायतों की सूची दिनांक १-१-६० से ३१-३-६१ तक जो जिलाधीश, पाली के यहां पेश हुई

क्रम संख्या	नाम पंचायत	शिकायत पेश होने का दिनांक	नाम पद जिसके विरुद्ध शिकायत	जांच की कार्यवाही का विवरण
१	२	३	४	५
१.	तख्तगढ़	२-४-६०	सरपंच	सब-डिविजनल ऑफिसर, बाली द्वारा जांच करने पर शिकायत तथ्यहीन होने से जिलाधीश द्वारा दिनांक ३१-८-६० को मामला समाप्त किया गया।
२.	तख्तगढ़	२७-४-६०	पूर्व सरपंच	एस. डी. एम. कोर्ट, बाली में विचाराधीन है।
३.	गुडाएन्दला	१८-२-६१	सरपंच	जिलाधीश के यहां जांच में चल रहा है।
४.	नारलाई	१०-३-६१	सरपंच.	राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है-उप-जिला विकास अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।
५.	घर	२४-३-६२	उप-सरपंच	मामला पुलिस में चल रहा है तथा राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है।
६.	नाणा	२६-३-६१	भूतपूर्व सरपंच	रकम जमा करा देने तथा गलती की क्षमा-याचना करने से राज्य सरकार द्वारा चेतावनी देकर मामला समाप्त किया गया।
७.	सांडिया	१०-४-६१	भूतपूर्व सरपंच	जिलाधीश के यहां से जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, जो मामला राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

१	२	३	४	५
८.	चेन्डा	३१-३-६१	सरपंच	जिलाधीश के यहां जांच में चल रहा है।
९.	सादड़ी	११-६-६१	भूतपूर्व सरपंच	,, ,, ,,
१०.	डेन्डा	१-९-६१	सरपंच	,, ,, ,,
११.	देवली	२५-९-६१	भूतपूर्व सरपंच	मामला पुलिस में चल रहा है।
१२.	गुडाएन्दला	१२-१०-६१	भूतपूर्व सरपंच,	जिलाधीश के यहां जांच में चल रहा है।
१३.	तारीमानीय	१३-१०-६१	सरपंच	,, ,, ,,
१४.	तूती	२१-१०-६१	सरपंच	,, ,, ,,
१५.	सुमेरपुर	२१-१०-६१	भूतपूर्व सरपंच	,, ,, ,,
१६.	माडा	३०-१-६२	,,	,, ,, ,,
१७.	नोदी	१४-२-६२	,,	,, ,, ,,
१८.	भादरलाऊ	१६-२-६२	सरपंच	,, ,, ,,
१९.	बर	११-३-६१	सरपंच	,, ,, ,,

शुद्धि-पत्र

(गुरूवार, दिनांक १० मई, १६६२)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
७०२१	अन्तिमसे२	डकती	डकैती
७०२३	१	श्री मथुरादास	श्री मथुरादास
७०३०	शीर्षक	विधेयक, १६६२	तारांकित प्रश्नोत्तर
७०३६	शीर्ष	श्री रघुकाथ	श्री रघुनाथ
७०५२	अन्तिमसे २	गांवीग्राम	गांधीग्राम
७०६०	२१	कन्ट्राक्टरों के । वगैरह के	कन्ट्राक्टरों वगैरह के
७०६३	१६	There ore	There are
७०६६	शीर्ष	(श्री भूलचन्द)	(श्री मूलचन्द)
७०७१	अंतिम से ४	जनवरी समाप्त	जनवरी में समाप्त
७०७६	३	वड़ा	बड़ा
७०७६	४	Rajasthan	Rajasthan
७०८०	२	वहुव	बहुत
,,	अंतिम से ४	३२-३-६२	१-३-६२
७०८६	शीर्ष	(श्री रामकिशन)	(श्री रामकिशन)
७०६१	१२	खेर्सिटीज	स्केयर्सिटीज़
७०६६	११	विल	बिल
७१०२	अंतिम से ३	स्टेटस	स्टेट्स
७११२	२१	धीरे	धीरे
७१२८	१८	टेकनिकल	टैक्निकल
७१६०	१८	श्री रघुनाध	श्री रघुनाथ
७१६५	१६	इम्प्रवमेंट	इम्प्र् वमेंट
७१६६	१८	इजिक	जिक

१	२	३	४
७१६६	२	अपोइन्ठमेंट	अपोइन्टमेंट
,,	२०	words' and	words 'and
७१८०	२३–२४	खंड २ और ३ पर	खंड २ पर
७१८३	४	behealf	bshalf
७१६२	शीर्षक	विधेयक, १६६१	विधेयक, १६६२
७१६६	४	विटज़ीर	विज़ीटर
७२०२	११	तरर कां	तरह का
७२०६	२२	Piease	Please
७२०८	अन्तिम पंक्ति	सब्जेक्टस	सब्जेक्ट्स
७२१८	१८	Subclavse	Sub-clause
७२४७	कॉलम४, पंक्ति २	पूर्व सरपंच	भूतपूर्व सरपंच